खण्ड-334, अंक-6
मंगलवार, 7 भाद्रपद, शक संवत् 1900
(29 अगस्त, 1978 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 334 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७५३–७५६
प्रश्नोत्तर	७५७–८०६
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	८०६–८०८
सीतापुर जनपद के ब्लाक महमूदाबाद के कतिपय ग्रामों में कालरा के प्रकोप के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	८०९
ग्राम बघोना, तहसील मोहन लालगंज, जिला लखनऊ में अतिवृष्टि के कारण एक मकान गिरने से दो व्यक्तियों की मृत्यु तथा अन्य के घायल होने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	८०९–८१०
ग्राम पृथीपुर, जिला बिजनौर में विद्युत् कर्मचारियों द्वारा विद्युत् कनेक्शन देने में गड़बड़ी के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	८१०
निर्धन निकेतन आश्रम, हरिद्वार के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत स्वीकार की गयी सूचना पर आपत्ति ..	८१०–८१२
कानपुर में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	८१३–८१४
सुल्तानपुर के थाना अमेठी के दरोगा द्वारा एक हरिजन युवती के साथ बलात्कार के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	८१४
श्री नन्हा राम प्रधान शिक्षक, प्राइमरी पाठशाला, गोमापुर उन्नाव की हत्या के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	८१४–८१५
उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग की कार में पकड़ी गई शराब के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	८१५–८१६
बस्ती जिले के आई० टी० आई० में मोटर मैकेनिक ट्रेड तोड़ दिये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	८१६
नियम ३०१ के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को अस्वीकार किये जाने पर आपत्ति	८१६–८१७
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	८१७
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	८१७–८१९

विषय	पृष्ठ-संख्या
हिन्डालकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर मंत्रियों द्वारा परस्पर विरोधी वक्तव्य दिय जाने के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन	८१९-८२०
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा गढ़वाल विश्व-विद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन कार्य-क्रम में परिवर्तन की सूचना	८२०-८२१
उत्तर मिर्जापुर के रेणुकूट स्थित हिन्डालकों के मजदूरों के प्रश्न को लेकर वहां दफा १४४ लागू किये जाने तथा कुछ मजदूरों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	८२१-८२२
उत्तर काशी में कनौडिया गाड में भू-स्खलन से एक नई झील बन जाने के कारण उत्तर प्रदेश में उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	८२२-८२५
विद्युत् कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	८२५-८२६
१९७८-७९ के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा	८२६-८६६
१९७८-७९ के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या--१ राज्य विधान मंडल (जारी) ..	८६६
१९७८--७९ के अनुपूरक अनुदानों पर कटौती का प्रस्ताव पेश करने की अनुमति न मिलने पर आपत्ति	८६७-८६९
१९७८-७९ के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १--राज्य विधान मंडल (स्वीकृत) ..	८६९
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	८६ ९
१९७८-७९ के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ३--मंत्रि-परिषद् (स्वीकृत) ..	८६९
अनुदान संख्या ४--न्याय प्रशासन (स्वीकृत)	८७०
अनुदान संख्या १०--राज्य आबकारी (स्वीकृत)	८७०
अनुदान संख्या ११--बिक्री-कर (स्वीकृत)	८७०
अनुदान संख्या १८--सचिवालय (स्वीकृत)	८७०
अनुदान संख्या २१--पुलिस (स्वीकृत)	८७१
अनुदान संख्या २२--कारागार (स्वीकृत)	८७१
अनुदान संख्या २४--सार्वजनिक निर्माण कार्य (स्वीकृत) ..	८७१
अनुदान संख्या २८--शिक्षा (स्वीकृत)	८७२
अनुदान संख्या २९--कला एवं संस्कृति (स्वीकृत) ..	८७२

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या ३१--चिकित्सा (स्वीकृत)	८७२
अनुदान संख्या ३२--परिवार कल्याण (स्वीकृत) ..	८७२-८७३
अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत) ..	८७३
अनुदान संख्या ३४--मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति (स्वीकृत)	८७३
अनुदान संख्या ३६--नगर विकास (स्वीकृत)	८७३
अनुदान संख्या ३८--श्रम एवं सेवायोजन (स्वीकृत) ..	८७४
अनुदान संख्या ३९--हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण (स्वीकृत)	८७४
अनुदान संख्या ४०--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाएं (स्वीकृत)	८७४
अनुदान संख्या ४३--सहकारिता (स्वीकृत)	८७४-८७५
अनुदान संख्या ४४--विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र (स्वीकृत) ..	८७५
अनुदान संख्या ४६--कृषि (स्वीकृत)	८७५
अनुदान संख्या ४८--गन्ना विकास (स्वीकृत)	८७५
अनुदान संख्या ४९--सामुदायिक विकास (स्वीकृत) ..	८७६
अनुदान संख्या ५०--भूमि तथा जल संरक्षण (स्वीकृत) ..	८७६
अनुदान संख्या ५३--पशुपालन (स्वीकृत)	८७६
अनुदान संख्या ५४--दुग्धशाला (डेरी) विकास (स्वीकृत) ..	८७६-८७७
अनुदान संख्या ५५--मत्स्य उद्योग (स्वीकृत)	८७७
अनुदान संख्या ५६--वन (स्वीकृत)	८७७
अनुदान संख्या ५८--ग्राम एवं लघु उद्योग (स्वीकृत) ..	८७७
अनुदान संख्या ६३--सिविल विमानन (स्वीकृत) .	८७८
अनुदान संख्या ६४--संचार साधन (स्वीकृत)	८७८
अनुदान संख्या ६६--सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान (स्वीकृत) ..	८७८
अनुदान संख्या ६७--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान (स्वीकृत)	८७८-८७९
अनुदान संख्या ६९--पर्यटन (स्वीकृत)	८७९
अनुदान संख्या ७१--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	८७९
अनुदान संख्या ७२--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	८७९

विवरण	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या ७३--चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	८८०
अनुदान संख्या ७४--आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	८८०
अनुदान संख्या ७६--सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वी त)	८८०
अनुदान संख्या ७७--विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	८८१
अनुदान संख्या ८०--कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	८८१
अनुदान संख्या ८१--सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	८८१
अनुदान संख्या--८७ संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	८८१
अनुदान संख्या ९४--ऋण और अग्रिम उद्योग (स्वीकृत) ..	८८२
अनुदान संख्या ९५--ऋण और अग्रिम सहकारिता (स्वीकृत) ..	८८२
अनुदान संख्या ९६--ऋण और अग्रिम कृषि (स्वीकृत) ..	८८२-८८३
अनुदान संख्या ९७--ऋण और अग्रिम विद्युत् (स्वीकृत) ..	८८३
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का अनुपूरक) विधेयक, १९७८ (पारित)	८८३-८९२
वित्तीय वर्ष १९७२-७३ की बढ़ती व्यय के अनुदानों की मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी (स्वीकृत) ..	८९२
अनुदान संख्या ४--बिक्रीकर (स्वीकृत)	८९२
अनुदान संख्या ६--स्टाम्प (स्वीकृत)	८९३
अनुदान संख्या १५--पुलिस (स्वीकृत)	८९३
अनुदान संख्या २०--सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत) ..	८९३
अनुदान संख्या २६--नियोजन और समन्वय (स्वीकृत) ..	८९३-८९४
अनुदान संख्या २७--श्रम और सेवायोजन (स्वीकृत) ..	८९४
अनुदान संख्या २८--सूचना निदेशालय (स्वीकृत) ..	८९४
अनुदान संख्या २९--अनुसूचित और पिछड़ी जातियां (स्वीकृत)	८९४
अनुदान संख्या ३०--समाज कल्याण (स्वीकृत) ..	८९५
अनुदान संख्या ३१--राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्वीकृत)	८९५

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं (स्वीकृत)	८९५
अनुदान संख्या ३४—संचार साधनों का सुधार (स्वीकृत) ..	८९५-८९६
अनुदान संख्या ३७—परिवहन (स्वीकृत)	८९६
अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता (स्वीकृत) ..	८९६
अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें (स्वीकृत) ..	८९६
अनुदान संख्या ४०—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते (स्वीकृत) ..	८९७
अनुदान संख्या ४१—लेखन सामग्री मुद्रण (स्वीकृत) ..	८९७
अनुदान संख्या ४७—बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	८९७
अनुदान संख्या ४८—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	८९८
अनुदान संख्या ४९—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	८९८
अनुदान संख्या ५०—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	८९८
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७२-७३ के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७८ (पारित)	८९९-९०२
जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ में संसद् द्वारा संशोधन कराने हेतु संकल्प (जारी)	९०२-९०४
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	९०४
नत्थियां	९०५-९०७

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २९ अगस्त, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३२७

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ोनी, श्री
इस्माईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० जाइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कौसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पान्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजो प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री

गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद मोझा, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
श्याम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल गुरीस, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलवारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाल कृष्ण, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती प्रसाद सिंह, श्री

भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन यादव, श्री
मुकुन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द, ठाकुर,
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहम्मद उस्मान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल, वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री

रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पान्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)

रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भू नाथ, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुल्लई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पान्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हबीब अहमद, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट--हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं ।

मंगलवार, २९ अगस्त, १९७८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

अपराधियों को हथकड़ी लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का पत्र

*१—श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी) तथा श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल) —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माननीय प्रधान मन्त्री ने मुख्य मन्त्री को कोई पत्र इस आशय का अभी हाल ही में भेजा है कि अब अपराधियों को हथकड़ी न लगाई जाय ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या निर्णय लिया है ?

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)—

जी हां । प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री राम सिंह—

मान्यवर, मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपके पास भेज दिया था, वे उसी को पढ़ रहा हूं ।

जी, हां, प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री श्याम धर मिश्र—

मुझे तो प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में क्या परामर्श दिया है या क्या लिखा है, क्या पत्र-व्यवहार हो रहा है ? साथ ही साथ यह बताया जाय कि क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में तमाम जेलों को लिख दिया गया है कि जो कम से कम राजनैतिक कैदी हैं, उन्हें हथकड़ी न लगायी जाय ? अभी आप कह रहे हैं कि निर्णय विचाराधीन है :

श्री राम सिंह—

माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो पत्र माननीय मुख्य मंत्री को लिखा है उसमें उन्होंने इसी बात का हवाला दिया है कि संसद के अधिवेशन के दौरान हथकड़ी सम्बन्धी जो प्रश्न, जिस पर मैंने अपने विचार व्यक्त किये हैं, उसके सम्बन्ध में कुछ उन्होंने निर्देश दिये हैं और यह कहा है माननीय प्रधान प्रधान मंत्री जी ने कि जब तक यदि आवश्यक न हो और या किसी अपराधी का बैड करेक्टर न साबित हुआ हो, उसके भाग जाने की या वायलेंस करने की सम्भावना न हो, तब तक इस तरह के अपराधियों को हथकड़ी न लगायी जाय । इस तरह के विचार व्यक्त किये हैं और यह निर्देश दिये हैं कि राज्य सरकार अपने नियम और कानून में संशोधन करने पर विचार करें ।

श्री श्याम धर मिश्र—

मैं यही तो जानना चाहता था, यह कब पत्र आया और कितने दिन आप विचार करते रहेंगे । मेरा तो प्रश्न यह था कि आप साथ-साथ विचार भी कर रहे हैं और आदेश भी दे रहे हैं, तो कैसे विचार कर रहे हैं और कैसे आदेश दे रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि निर्णय कब तक ले लेंगे, अगर निर्णय नहीं लिये हैं ?

श्री राम सिंह—

यह पत्र माननीय प्रधान मंत्री जी ने २२ तारीख को लिखा है माननीय मुख्य मंत्री को २६ तारीख को प्राप्त हुआ है, अभी उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया है । मैंने यह कहा कि यह प्रश्न विचाराधीन है कि इसके ऊपर क्या व्यवस्था की जाय ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि माननीय प्रधान मंत्री जी का पत्र इनको मिल गया है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो कुछ भी सुझाव या निर्देश माननीय प्रधान मंत्री जी का उत्तर प्रदेश सरकार को या मुख्य मंत्री जी को भेजा है, क्या उसको सिद्धान्त रूप में यह सरकार स्वीकार कर चुकी है ? यदि हां, तो इसके विषय में कानून और नियम में कब तक संशोधन कर दिये जायेंगे ?

श्री राम सिंह—

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया है कि यह प्रश्न विचाराधीन है और बहुत शीघ्र ही इस पर निर्णय करेंगे ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मैंने पूछा कि सिद्धान्त रूप में स्वीकार किये हैं या नहीं किये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जो उत्तर आप लेना चाहते हैं, उसके लिए मैं बाध्य नहीं कर सकता हूं । इसके ऊपर विवाद नहीं किया जायगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रधान मंत्री जी ने यह कहा है कि—"यदि आवश्यक न हो, तो", तो यदि आवश्यक न हो, इसका फैसला किन परिस्थितियों में और कौन अधिकारी करेगा ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, कुछ मामलों में तो अब भी ऐसा है कि जो अरेस्टिंग आफिसर होता है पुलिस का, उसके संकेत पर यह होता है कि यदि आप जरूरी समझें, तो हथकड़ी लगायें और जरूरी न समझें तो हथकड़ी न लगायें । जो अरेस्टिंग आफिसर पुलिस का होता है, मौके पर उसको अधिकार है कि किसी बंदी को हथकड़ी लगायें या न लगायें ।

यह तो उसको निर्णय करना होगा कि कौन व्यक्ति ऐसा है, जो वायलेंस करेगा या भाग जायगा या आत्म हत्या करने की कोशिश करेगा । यह तो स्वयं उसको तय करना है ।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, प्रधान मंत्री जी ने जो निर्देश दिये हैं, उसके अनुसार राज्य सरकार नियम बनाने के लिये स्वतंत्र है तो क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि राजनैतिक बंदियों के अलावा जो सामान्य अपराधी हैं, जिन्होंने सीरियस अपराध नहीं किया है उनको भी हथकड़ी लगाने से मुक्त रखेंगे ?

श्री राम सिंह—

श्रीमन्, इस प्रकार के निर्देश तो अब भी हैं, जैसे राजनैतिक सत्याग्रही, पत्रकार, जूरिस्ट, डाक्टर, लेखक, शिक्षा शास्त्री यह निर्देश अब भी हैं कि ऐसे व्यक्तियों को हथकड़ी न लगायी जाय ।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, जेलों के अंदर कुछ अपराधी ऐसे हैं, जिनको बेड़ियां पहनायी जाती हैं जिससे उनको बहुत ही तकलीफ होती है । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी विचार कर रहे हैं कि जेल के अंदर अपराधियों के जो बेड़ियां डाली जाती हैं, वह न डाली जायं, क्या इस पर विचार कर रहे हैं ?

श्री राम सिंह—

जब हथकड़ी के प्रश्न पर विचार करेंगे तो बेड़ी से सम्बन्धित जो मामले हैं उन पर भी विचार करेंगे ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि उसको अधिकार है वह अपने विवेक पर हथकड़ी पहना सकता है । तो माननीय प्रधान मंत्री ने जो सुझाव दिये हैं उसमें और पहले वाले आदेश में अंतर क्या है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, इसमें अंतर है । माननीय प्रधान मंत्री ने बहुत से विषय उठाये हैं । उन्होंने कहा है कि हैरस करने के दृष्टिकोण से, अपमानित करने के दृष्टिकोण से, पुरानी रंजिश होने के कारण हथकड़ियां न लगायी जायं । अपमानित करने या हैरस करने के लिये हथकड़ियां न लगा सकें । तो कई चीजें इसमें हैं ।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय देव बहादुर जी को हथकड़ी लगाये जाने के बारे में बहुत चिंता है । उनकी चिंता को देखते हुये माननीय गृह मंत्री उनके सुझाव पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह—

सुझाव तो सब अच्छे हैं जिन पर विचार करेंगे । सुझाव में क्या दिक्कत है ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि होम्योपैथिक छात्र और अन्य विद्यालयों के जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उन्हें हथकड़ी लगायी जा रही है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन छात्रों को हथकड़ी नहीं लगायी जायेगी ?

श्री राम सिंह—

माननीय, मैंने बताया कि गिरफ्तार करने वाले के ऊपर है कि वह अपने विवेक से काम ले ।

प्रदेश में यूरेनियम का कथित भण्डार

**२—श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी) तथा श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि उत्तर प्रदेश में पिछले २ माह के अन्दर यूरेनियम का विशाल भण्डार मिला है ? अगर हां, तो कहां और कितना ?

उद्योग मन्त्री (श्री राम प्रकाश)—

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में पिछले २ माह के अन्दर यूरेनियम का विशाल भण्डार मिलने की कोई सूचना नहीं है और न निदेशालय द्वारा ऐसा कोई भण्डार खोजा गया है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

माननीय, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनकी जानकारी में आया है कि १६ अगस्त को प्रधान मंत्री ने लोक सभा में बतलाया कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के सर्वेक्षण से पता चला है कि चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, देहरादून के इलाकों में यूरेनियम विद्यमान है और क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि राज्य सर्वेक्षण द्वारा सूचना दी गयी है कि मिर्जापुर से ७० कि० मी० पर सोन नदी के दोनों ओर यूरेनियम मिलने के संकेत मिले हैं ?

श्री राम प्रकाश—

श्रीमन्, यह बात सही है कि प्रधान मंत्री जी ने यह सूचना दी थी कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में यूरेनियम के कुछ भण्डार प्राप्त होने के संकेत मिले हैं। परन्तु यह कार्य भारत सरकार के आटमिक मिनरल डिवीजन द्वारा किया जाता है और इसकी सूचना काफी गोपनीय रहती है, विशेषकर भण्डार कितने बड़े हैं । जो पहाड़ी क्षेत्रों में काम हो रहा है वह आटमिक मिनरल डिवीजन भारत सरकार ही कर रही है और इसकी विस्तृत सूचना कोई हमारे पास उपलब्ध नहीं है । जहां तक प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय का सम्बन्ध है, तो यह भारत सरकार के आटमिक मिनरल डिवीजन के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ललितपुर में यूरेनियम की खोज सम्बन्धी कार्य कर रहा है । यह प्रथम बार १९७४ में मालूम पड़ा था कि वहां पर कुछ यूरेनियम के भण्डार हैं और इसके लिये तभी से खोज हो रही है और एक हजार फीट की गहराई के नीचे ड्रिलिंग से ऐसे संकेत मिले हैं कि उसके नीचे यूरेनियम के भंडार हैं । यह बहुत बड़ी गहराई है इसलिये उस भंडार से कोई व्यवसायिक लाभ नहीं हो सकता है और खोज की जा रही है कि ऊपर की सतह में भण्डार मिल जायं तो उसके बारे में खोजबीन की जाय, इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगा कि एक स्थान पर अभी ड्रिलिंग के नतीजे कुछ उत्साहवर्द्धक हैं । एक ड्रिल में हाल में ५५ मीटर की गहराई में एक अच्छे यूरेनियम का जोन पाया गया है । लेकिन खोज की जा रही है और स्पष्ट नतीजे इसके अभी नहीं आये हैं ।

(श्री सुखपाल पांण्डे के कुछ जोर की आवाज में कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

श्री सुखपाल पांडेय आपके चिल्लाकर कहने पर मैं समय नहीं दूंगा । आप सदन का समय नष्ट करते हैं । आप बैठें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश

क्या मंत्री जो मेरी जानकारी को सही मानकर कि जो पहाड़ी इलाकों में और मिर्जापुर से ७० किलोमीटर दूर सोन नदी के दोनों ओर यूरेनियम मिलने के संकेत मिले हैं, इसकी जानकारी करायेंगे ?

श्री राम प्रकाश--

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैंने पहले ही बता दिया है कि यह काम केन्द्र द्वारा किया जा रहा है और इसका सीधे सम्बन्ध भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय से पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं है । ललितपुर के बारे में सूचना दे दिया है कि मिर्जापुर में जानकारी है कि वहां खोज सम्बन्धी ड्रिलिंग कार्य आरम्भ हुआ तो उसके मध्य ओर में एक इंच चौड़ाई में रेडियो एक्टीविटी पायी गयी इसलिये भारत सरकार के आटमिक डिवीजन को यह कार्य सौंप दिया गया है लेकिन पता नहीं है कि उसमें यूरेनियम है कि नहीं । इसलिये जांच हो रही है । उसके बाद मई-जून में ७ ड्रिल होल्स में रेडियो एक्टीविटी लांगिंग का कार्य किया गया है और वह बर बर जांच कर रहे हैं । लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है । यदि अधिक जानकारी माननीय सदस्य चाहते हैं तो वह प्राप्त कर ली जायेगी ।

श्री मान सिंह आजाद--

क्या मंत्री जो और अधिक यूरेनियम के भण्डार तलाश करने के आदेश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसका मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)--

क्या मंत्री जो बतायेंगे कि ललितपुर में जो भण्डार मिलने की संभावना है वह १५० किलोमीटर की पूरी एक पट्टी है उसमें खोज की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री राम प्रकाश--

ललितपुर में यूरेनियम मिलने की संभावना है और यह बात सही है कि बहुत लम्बे क्षेत्र में इसके मिलने की संभावनाएं हैं । जैसा मैंने कहा ५५ मीटर की गहराई पर बहुत ज्यादा उत्साहवर्द्धक तत्व प्राप्त हुए हैं । यह कोशिश भी की जा रही है कि बहुत बड़े क्षेत्र में जो यह फैला हुआ है उसका खनन किया जाय ।

श्री श्याम धर मिश्र--

यह सही है कि खनिज निदेशालय की सीधी जिम्मेदारी है लेकिन जब प्रदेश की सरकार को इत्तिला मिल गयी इस प्रश्न के द्वारा कि इस प्रदेश के कुछ भूभागों में खनिज पदार्थ हैं तो यहां के निदेशालय ने क्या भारत सरकार से पत्र-व्यवहार किया और प्रदेश की सरकार ने क्या दौड़-धूप की, क्योंकि इससे सीधा फायदा प्रदेश को मिलेगा ?

श्री राम प्रकाश—

जैसा मैंने बताया उससे स्पष्ट हो गया कि राज्य सरकार का जो खनिकर्म निदेशालय है वह इस समय भारत सरकार के आटोमिक विभाग से सीधा सम्बन्ध किये हुए हैं। ललितपुर में मेरी सूचना के अनुसार जानकारी प्राप्त की जा रही है और पहाड़ी क्षेत्र में प्रत्यक्ष कार्य चल रहा है। जो प्रयास चल रहा है उसमें कहां तक पहुंच सके हैं उसका स्पष्ट बतलाना मुश्किल है क्योंकि वसे भी उनका जो कार्य चलता है वह गोपनीय रहता है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

इन्सपेक्टर कौंसिल हाउस के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*१—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या गृह मन्त्री जी बतायेंगे कि ३१ मार्च, १९७८ तक इन्स्पेक्टर, कौंसिल हाउस के विरुद्ध कितनी शिकायतें शासन को प्राप्त हुयीं। उनमें से कितनी विधायकों की हैं, कितनी गैर-विधायकों की एवं कितनी पुलिस विभाग के कर्मचरियों की और उन पर शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम सिंह—

३१ मार्च, १९७८ तक इन्स्पेक्टर कौंसिल हाउस के विरुद्ध दो शिकायती-पत्र प्राप्त हुये हैं। उनमें से एक विधायक का है तथा दूसरा अज्ञात है। दोनों शिकायती-पत्रों में निहित आरोपों की जांच कराई गई। कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि इन्स्पेक्टर कौंसिल हाउस के क्या कार्य क्षेत्र हैं ? जब ७७ के पूर्व बहराइच में यह तैनात थे, तो एस० एस० आई० के रूप में उस समय सेक्शन १६१ में घूसखोरी का मुकदमा उन पर चला और दफा ७ की कार्यवाही की गयी और जब प्रतापगढ़ में थे तो उस समय कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना घटी जिसकी रिपोर्ट की गयी थी। इसी तरह ५ साल पूर्व यह हेडक्वार्टर इंटेलिजेंस में थे और सरकारी कागजात ले जाते हुए वह पकड़े गये थे ?

श्री राम सिंह—

ओ० पी० भार्गव जब बहराइच जनपद में थे तो धारा १६१ आई० पी० सी० और विभागीय धारा ७ के अन्तर्गत कार्यवाहियां उनके विरुद्ध की जा चुकी हैं। जो कार्यवाही हुई वह उससे बरी हो गये थे क्योंकि साबित नहीं हुआ।

श्री राम आसरे वर्मा—

प्रतापगढ़ में जब तैनात थे उस समय कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई जिसकी रिपोर्ट भी हुई। ५ साल पहले हेडक्वार्टर इंटेलिजेंस में थे और सरकारी कागजात ले जाते हुए पकड़े गय, उसकी लिखा-पढ़ी है। जिस समय यहां सत्र शुरू हुआ तो उस समय एक महिला सब-इन्स्पेक्टर थी श्रीमती शान्ती शुक्ला उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया था और उसकी शिकायत तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री बाजपेयी को

की गयी थी और यह भी कहा था कि जब तक वह यहां मौजूद रहेंग तब तक वह काम नहीं कर सकतीं ?

श्री राम सिंह---

जो आरोप माननीय सदस्य अब लगा रहे हैं वह मुझे ऐसा लगता है कुछ नये हैं । जो दो आरोप-पत्र प्राप्त हुए हैं शासन को उनमें इनका जिक्र नहीं है । इस समय जो प्रतापगढ़ और दूसरे जिलों के प्रश्न उठाये हैं यह पहले शिकायती-पत्र जो प्राप्त हुए उनमें इनका जिक्र नहीं है ।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य (जिला बरेली)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि आरोप-पत्र जिन व्यक्तियों ने दिये थे जांच के समय उनको अपनी बात कहने का मौका दिया गया था और किसके द्वारा यह जांच की गई ?

श्री राम सिंह---

मान्यवर, यह जांच गोपनीय थी और पुलिस उप अधीक्षक, स्थानीय द्वारा यह जांच कराई गई । चूंकि यह गोपनीय था इसलिए यह आवश्यक नहीं समझा गया कि शिकायतकर्ता से इसके बारे में पूछताछ की जाय । एक शिकायत इसमें जरूर है ।

श्री राम अधार ---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्य वर्मा जी ने जो नये आरोप सामने रखे हैं उनको सामने रखकर पुनः जांच करायेंगे ?

श्री राम सिंह---

मान्यवर, माननीय सदस्य आरोप लिखकर देंगे तो मैं उसके ऊपर जांच करा लूंगा।

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, मुझे अभी एक प्रश्न और करना है अभी मैंने एक ही प्रश्न किया है ।

श्री अध्यक्ष---

अब मैं इजाजत नहीं दूंगा आप दो प्रश्न कर चुके हैं । अब आप बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा---

[× × ×]

उच्च न्यायालय, लखनऊ व इलाहाबाद में लम्बित मुकदमें

*२---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---

क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (लखनऊ खण्ड पीठ सहित) में ऐसे मुकदमों की संख्या क्या है जो कि आज की तिथि को ५ वर्ष से अधिक अवधि से विचाराधीन हैं ?

नोट---[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

न्याय मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

दिनांक ११-८-७८ को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में (लखनऊ खण्ड पीठ को सम्मिलित करते हुए) ५ वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित मुकदमों की संख्या ३४,१६२ थी ।

मनोहर कहानी में छपे लेख के विरुद्ध खटिक जाति का जिलाधिकारी, इलाहाबाद के समक्ष प्रदर्शन एवं कथित हड़ताल

*३--श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १५ फरवरी, १९७७ को इलाहाबाद में जिलाधिकारी के सम्मुख अनुसूचित जाति के लोगों ने (खटिक) एक विशाल मौन प्रदर्शन किया था ? और इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मिर्जापुर इत्यादि नगरों में इस दिनांक को खटिक जाति के लोगों ने आम हड़ताल किया था ? क्या यह प्रदर्शन एक मासिक पत्रिका में खटिक जाति के विरुद्ध आपत्तिजनक लेख लिखने के कारण हुआ था जिसके विरोध में जिलाधिकारी, इलाहाबाद को ज्ञापन भी दिया था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम सिंह--

दिनांक १५ फरवरी, १९७८ को खटिक जाति के लोगों ने एक जुलूस निकालकर जिलाधिकारी, इलाहाबाद के समक्ष मौन प्रदर्शन किया था और प्राप्त सूचना के अनुसार केवल लखनऊ की कैसरबाग मण्डी में खटिक जाति के लोगों की दुकाने उस दिन बंद रहीं और कहीं से हड़ताल की पुष्टि नहीं हुई है । यह प्रदर्शन हिन्दी मासिक पत्रिका "मनोहर कहानियां" के दिसम्बर, १९७७ के अक में 'लखनऊ का विलसिया हत्याकांड' शीर्षक से छपे लेख के कतिपय तथाकथित आपत्तिजनक अंशों के विरोध में हुआ था और जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद को इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन भी दिया गया था ।

ज्ञापन में की गयी मांग के आधार पर लेख के लेखक तथा पत्रिका के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक के विरुद्ध धारा १५३-ए भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु मुकदमा दर्ज करके विवेचना के आदेश दिये गये हैं ।

श्री कन्हैया लाल सोनकर--

क्या माननीय गृह मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे जिस आपत्तिजनक अंक के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ था उस अंक को जब्त करने के आदेश दिये हैं और जो मांग पत्र में यह लिखा गया था कि इसकी टाइटिल को जब्त कर लिया जाय उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मुकदमा दर्ज किया गया है उसका इनवेस्टीगेशन होगा और विवेचना के पश्चात् जो निर्णय आयेगा उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे ।

श्री कन्हैया लाल सोनकर--

मान्यवर, मेरी सूचना के आधार पर यह किताब अभी भी आधी कीमत में इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बनारस और देश के कोने-कोने में बिक रही है । ऐसे आपत्तिजनक शब्द लिखने के कारण मुकदमा चल रहा है तो उस अंक को जब्त करने में शासन को क्या कठिनाई है ।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, इसके बारे में विधि परामर्शी की राय ली और एडवोकेट जनरल की भी राय लेना उचित समझा कि इसमें क्या कार्यवाही की जा सकती है । उनकी यह राय है कि जब तक यह निश्चित न हो जाय कि उसमें कितना अपराध है, इनवेस्टीगेशन होने के पश्चात् अदालत में कार्यवाही होगी । तब निश्चित होगा कि कितना दंड दिया जायेगा तो तब तक कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जब किताब के अन्दर किसी जाति के खिलाफ गुस्सा पैदा करने वाली चीजें छपी हैं तो फिर किसी और चीज की इनक्वायरी के लिये एडवोकेट जनरल से पूंछने की क्या आवश्यकता है ? मुकदमा चलाने की बात तो अलग है । लेकिन किताब के अन्दर तो छप चुका है और शासन ऐसा महसूस करता है कि गलत छपा हुआ है तो किताब का सरकुलेशन रोकने में क्या दिक्कत है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मैंने मुकदमा चलाने के पूर्व विधि परामर्शी और एडवोकेट जनरल से राय ली थी । उनकी राय के मुताबिक १५३-ए की कार्यवाही की जायेगी, इनवेस्टीगेशन होगा और उसके बाद जो भी अपराध बनेगा, उस पर कार्यवाही हो सकेगी ।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न है कि जब्त करने में क्या कठिनाई है, क्योंकि मैंने कई ऐसी उर्दू की पत्रिकाओं को देखा है जिनको प्रेसक्राइब किया गया है । तो जप्त करने में क्या कठिनाई है ।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, जब्त करने में कठिनाई यह है कि ऐसी जो सामग्री छपी है, उस पर शासन ने महसूस किया है कि प्राइमाफेसी केस बनता है । तो इनवेस्टीगेशन के बाद जब निर्णय हो जायेगा कि क्या अपराध बनता है तभी वह कार्यवाही की जा सकेगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, अगर उक्त लेख को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि "उनकी औरतें काफी खूबसूरत होती हैं । उनमें नैतिक ढिलाई पायी जाती है । कुछ तो सचमुच बहुत खूबसूरत होती हैं । उनकी शादी कम उम्र में ही हो जाती है लेकिन बहुधा वे धनी लोगों की रखैल बनकर रहती हैं ।" तो मान्यवर, यह तो एक पूरी कम्युनिटी पर लांछन है । तो मेरा निवेदन है कि ऐसी हालत में इन प्रतियों को जब्त करने में कौन सी प्रशासनिक या वैधानिक कठिनाई है ?

श्री राम सिंह--

जो सामग्री अभी नेगी जी ने पढ़ी है, उसको आपत्तिजनक मानते हुये ही शासन ने महसूस किया है कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय । तो उस सम्बन्ध में विचार करेंगे कि किताबों को जब्त कर लें ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रकाशक और मुद्रक और लेखक के खिलाफ प्राइमाफेसी केस बनता है और उसके लिये इनवेस्टीगेशन के आदेश दिये हैं और जहां तक मंत्री जी की बात को मैं समझ सका हूं, वह किताब को जब्त करने की अभी आवश्यकता नहीं समझते, तो फिलहाल जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की ओर ध्यान देते हुये कि अगर इस पत्रिका को जप्त करने की आवश्यकता नहीं है तो क्या पत्रिका के मालिक से इस संदर्भ में कोई जमानत मांग रखी है या नहीं ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, मुकदमा दर्ज होने के पश्चात् जो चीज जरूरी होगी की जायेगी। उसमें अगर जमानत जरूरी होगी तो वह भी ली जायेगी। उसके बारे में अभी यहां चर्चा करने से कोई लाभ नहीं। जो उचित होगा उसको किया जायेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं शायद अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाया या माननीय मंत्री जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया...

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न स्पष्ट है। आपने कहा कि प्रकाशक और मालिक से जमानत ली गयी है कि नहीं ? उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दे दिया कि जो कानून के मुताबिक कार्यवाही हो सकेगी, की जायेगी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपत्तिजनक समाचार छापने पर जो क्रिमिनल मामला है, वह बात तो अलग रही। उसके बारे में भी जानना चाहता हूं।

श्री राम सिंह—

मान्यवर, १५३-ए भारतीय दंड संहिता के मुताबिक कार्यवाही की जायेगी। कानूनी चीज जितनी जरूरी होगी, की जायेगी।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माननीय नेगी जी ने जो अंश पढ़कर सुनाया है वह स्वयं में इतना आपत्तिजनक है और दिसम्बर, १९७७ का प्रकाशन है तो आपको कितना समय और लगेगा, उसको जब्त करने में ?

श्री राम सिंह—

समय लगने का सवाल नहीं है। मुकदमा दर्ज हो गया है उसका इनवेस्टीगेशन होगा और तब कार्यवाही होगी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने गलती की है। आपने जिनको विवेचना के लिए दिया है क्या प्रदर्शन में उनकी कोई रिपोर्ट आयी है और यदि आयी है तो आपको इस सामग्री को जब्त करने में क्या कठिनाई है ?

श्री राम सिंह—

अंक को जब्त करने के कानूनी पहलू पर सरकार विचार करेगी और यदि जब्त किया जा सकता है तो जब्त कर लिया जायगा ।

श्री श्याम धर मिश्र—

क्या आपने इस पर विचार कर लिया है कि जितने दिन विचार करने में विलम्ब कर रहे हैं उतने दिन यह मनोहर कहानियां बिक रही हैं । विवेचना कर रहे हैं सम्पादक के सम्बन्ध में इंडियन पैनल कोड में तो वह तो करते रहे लेकिन क्या इस पर भी विचार किया कि उतने दिन तक यह कापी छापकर बिक रही है ?

श्री राम सिंह—

उसके जब्त करने सम्बन्धी कार्यवाही १५ दिन में निश्चित कर लेंगे ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मेरा यह प्रश्न है कि विवेचना अभी तक प्रारम्भ हुई या नहीं और अगर हुई तो क्या कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं ?

श्री राम सिंह—

शासन ने निर्णय लिया है कि मुकदमा दर्ज होगा और इनवेस्टीगेशन होगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मुकदमा दर्ज करना एक चीज है, विवेचना दूसरी चीज है और गिरफ्तारी तीसरी चीज है । मेरा प्रश्न है कि विवेचना प्रारम्भ हुई है या नहीं और कोई मुल्जिम गिरफ्तार किया गया या नहीं ?

श्री राम सिंह—

मैंने जो मूल उत्तर दिया है उसकी आखिर लाइन में स्पष्ट है १५३-ए भारतीय दन्ड संहिता के अन्तर्गत अभियोजन चलाए जाने हेतु मुकदमा दर्ज करके विवेचना के आदेश दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न है कि विवेचना प्रारम्भ हुई या नहीं ?

श्री राम सिंह—

उसकी सूचना नहीं है ।

[विधान सभा के प्रथम सत्र १९७८ के सातवें मंगलवार के लिए श्री धर्मगज सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३० के उत्तर में संशोधन]

रेन्ज आफिसर श्री एस० पी० सिंह यादव, पुवायां, जिला शाहजहांपुर द्वारा गोली से लड़कियों की हत्या

मूल प्रश्न

*३०—श्री धर्मगज सिंह (जिला हरदोई)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला शाहजहांपुर, थाना सेहरामऊ उत्तरी के अन्तर्गत हाल ही में एक वन विभाग के रेंजर ने अपनी बन्दूक द्वारा दो हरिजन

लड़की की हत्या कर दी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस रेन्जर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

मूल उत्तर

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ८ दिसम्बर, १९७७ को बेनी पुत्र दुलारे जाटव, निवासी ग्राम मोहनपुर-गोविन्दपुर, जिला शाहजहांपुर ने थाना सेहरामऊ उत्तरी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके गांव के पास फारेस्ट गार्ड की चौकी पर तैनात रेंज आफिसर पुवायां श्री एस० पी० सिंह यादव तथा अन्य अधिकारी से प्रार्थी ने अपना बकाया वेतन मांगा। जिस पर रेंजर ने बन्दूक से फायर कर दिया। परिणामस्वरूप पास खड़ी प्रार्थी की एक लड़की तथा दो भतीजियां घायल हो गयीं। इस सूचना पर अपराध संख्या १३४ धारा ३०७ भारतीय दन्ड विधान पंजीकृत किया गया। दो घायल लड़कियों की अस्पताल में मृत्यु हो गयी। अतः अभियोगों में धारा ३०२ भा० दं० वि० भी जोड़ दी गयी। अभियुक्त एस० पी० सिंह यादव रेंजर तथा सालिग राम वाचर के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक १२ अप्रैल, १९७८ को न्यायालय भेजा गया। अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है।

संशोधित उत्तर

उपर्युक्त में आरोप-पत्र न्यायालय में भेजे जाने की तिथि १२ अप्रैल, १९७८ के स्थान पर दिनांक १७ मई, १९७८ पढ़ी जाय।

श्री राम सिंह—

संशोधित उत्तर केवल इतना है कि उपर्युक्त में आरोप पत्र न्यायालय में भेजे जाने की तिथि १२ अप्रैल, १९७८ के स्थान पर दिनांक १७ मई, १९७८ पढ़ी जाय।

[मंगलवार, २९ अगस्त, १९७८ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

थानों के सफाई मजदूरों का वेतन मान

*१—श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थानों में बाल्मीकी जो सफाई करते हैं उनको सरकार की तरफ से क्या वेतन दिया जाता है ?

श्री राम सिंह—

थानों पर कार्यरत पूर्णकालिक सफाई मजदूरों को निर्धारित वेतनक्रम १७५-२१५ रु० के अधीन वेतन व स्वीकृत दरों से मंहगाई भत्ता आदि दिया जाता है।

अंश कालिक सफाई मजदूरों को उनकी कार्यावधि के आधार पर क्रमशः ३१ रु० २० रु० प्रति अंशकालिक सफाई मजदूर की दर से मजदूरी दी जाती है। १-९-७८ से जिला स्तर पर अंशकालिक सफाई मजदूर को ६० रु० प्रति माह तथा अन्य स्थानों पर ५० रु० प्रति माह दिये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये बाल्मीकी, जो मलाबि उठाने का काम करते हैं और थानों में नियुक्त हैं, वे पार्ट-टाईम हैं या फुल टाइम हैं और जो दरें अब बढ़ाई गई हैं, वह उनकी राय में क्या उचित और पर्याप्त हैं ?

श्री राम सिंह—

ये सफाई कर्मचारी तीन प्रकार के हैं। एक तो पूर्णकालिक सफाई कर्मचारी हैं, जिन्हें नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों के समान वेतनक्रम मिलता है। फिर अंशकालिक में भी दो प्रकार की श्रेणियां हैं। यानी दूसरे प्रकार के वे सफाई कर्मचारी हैं, जो ४ से ६ घंटे के मध्य काम करते हैं और उन्हें पहले ३१ रुपया दिया जाता था और अब ६० रुपये के आदेश किए गये हैं। तीसरे, वे हैं जो ४ घंटे या उससे कम काम करते हैं, उनको पहले २० रु० वेतन दिया जाता था, और अब ५० रुपया प्रति मास कर दिया गया है।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'—

बड़े दुःख की बात है कि मंत्री जी स्वयं हरिजन होते हुए उनकी बात नहीं समझ रहे हैं, जो ४-५ घंटे की बात है, तो मलाबि उठाने का काम तो सुबह ही के समय होता है, तो यह जो नई दरें लगाई गई हैं, उनसे हरिजनों की बड़ी उपेक्षा होती है।...

श्री अध्यक्ष —

यह तो आप टिप्पणी कर रहे हैं।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'—

जो आपने ५० व ६० रुपया दरें निर्धारित की हैं, वे कब से बढ़ायेंगे और क्या यह आपकी दृष्टि में उचित हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या आप इन दरों को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, ३० साल के शासन में २० व ३१ रुपया था और अब हमने ५० व ६० रुपया कर दिया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

३० वर्ष के शासन में माननीय मंत्री जी कितने वर्ष किस शासन में थे।

श्री अध्यक्ष—

नारायण दत्त जी, वह तो झेंक बेंच रहे हैं।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य—

जिन तीन प्रकार की सफाई कर्मचारियों की श्रेणियों का मंत्री जी ने जिक्र किया, ये उन्होंने बनाई हैं या पहले से थी ? और वह क्या इन श्रेणियों में भी किसी प्रकार वेतनमान बढ़ाने और तरक्की के अवसर बढ़ाने का प्राविधान रखेंगे और इसे कब से लागू करेंगे।

श्री राम सिंह—

यह श्रेणियां तो उनके समय की माननीय वैद्य जी की बनाई हैं, हमने तो इसमें केवल पैसा बढ़ाया है ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

जिन्हें आप अंशकालिक कर्मचारी मानते हैं, उनकी कोई आप उपस्थिति पंजिका रखते हैं या नहीं ? और १-८-७२ से लागू जो वेतन समिति की रिपोर्ट है, उसने उनके बारे में दिया है कि यदि वेतन बिल बनाकर पेमेन्ट होता हो तो उन्हें पूर्ण-कालिक मान लिया जाएगा, तो क्या आप उनको पूर्णकालिक मानेंगे ?

श्री राम सिंह—

इनके लिए यह बहुत मुश्किल है कि बिल बनाकर दें, तो उसकी स्वीकृति हो और फिर वह उनको प्राप्त हो । इसलिए हमने निश्चित राशि रखी है, वह उसको मिलेगी ।

सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर स्थानापन्न नियुक्त कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

*२—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर दिनांक १ जनवरी, १९७७ के पूर्व से प्रोन्नति द्वारा तदर्थ रूप से कार्य कर रहे कर्मचारियों की नियुक्तियां शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या १९/८/७५-का०-१/७८, दिनांक १८ अप्रैल, १९७८ में लिए गए निर्णय के अनुसार नियमित की जा रही हैं ? यदि हां, तो नियुक्तियां कब तक नियमित हो जायेंगी ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

प्रश्नगत कार्यालय ज्ञाप दिनांक १८ अप्रैल, १९७८ केवल सीधी भर्ती द्वारा की गई तदर्थ नियुक्तियों के विनियमन से ही सम्बन्धित है । इसलिए इसके आधार पर प्रोन्नति द्वारा तदर्थ रूप से कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंग कि प्रोन्नति द्वारा तदर्थ नियुक्तियों एवं सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ नियुक्तियों में क्या बुनियादी फर्क है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह तो सीधा सा अन्तर है । जैसे प्रवर वर्ग सहायक की जो सीधी भर्ती की जाती है, वह सीधी नियुक्ति है । जो उससे नीचे लोवर डिवीजन के क्लर्कों का प्रोमोशन किया जाय वह प्रोन्नति की नियुक्ति है ।

श्री देव बहादुर सिंह—

यह जवाब सुन रहे हैं ? फिर से उत्तर दिलवा दें । प्रश्न कुछ और उत्तर कुछ ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, नहीं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मंत्री जी को जानकारी होगी कि प्रोन्नति द्वारा जो तदर्थ नियुक्तियां होती हैं कम से कम उनकी सेवाएं नियमित होती हैं पहले से और जो सीधी भर्ती होती है उसमें नियमित होने का प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए जिस ज्ञाप का जिक्र किया गया है उसके मुताबिक प्रोन्नति द्वारा तदर्थ रूप से कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने में शासन को क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

श्रीमन्, प्रोन्नति द्वारा तदर्थ नियुक्ति नहीं की जाती है। प्रोन्नति द्वारा जो नियुक्ति होती है वह कहलाती है आफिशिएटिंग, स्थानापन्न।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आप देखिए कि दो तरह की नियुक्तियां हैं। प्रवर वर्ग में एक सीधी और एक प्रोन्नति के द्वारा, जो प्रोन्नति एडहाक बेसिस पर है, आप का प्रश्न है, उसको नियमित करने में क्या कठिनाई है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, यह प्रश्न विचाराधीन है अभी। जो इस प्रकार प्रोन्नति द्वारा भरती हुई हैं उनकी नियमावली बनायी जा रही है। जो ज्ञापन है, उसमें मैंने निवेदन किया, सीधी भर्ती की तदर्थ नियुक्ति से सम्बन्धित है। उसमें प्रोन्नति द्वारा ज्ञापन नहीं है। लेकिन जो आपकी चिन्ता है उस पर विचार किया जा रहा है। निममावली बनायी जा रही है। उनको नियमित करने पर विचार किया जा रहा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रोन्नति से जो भर्ती की जाती है, उसमें कोई परसेन्टेज का आधार रखा गया है और यह नियमितीकरण का प्रश्न कब से विचाराधीन है और अब तक निर्णय लिया जायगा ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

४ मार्च, १९७८ को कैबिनेट का निर्णय हुआ और उसके तहत १८ अप्रैल, १९७८ को सीधी भर्ती से सम्बन्धित ज्ञापन जारी किया गया। उसमें दो नियमावली, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू के बाहर की सेवायें हैं उनकी और जो उसके अन्दर हैं उनकी नियमावली बनायी जा रही है। उसी के तहत प्रोन्नति वाले लोगों की बाबत भी नियमावली बनायी जा रही है। शीघ्र बन जाने की सम्भावना है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

कोई परसेन्टेज आपने रखा है ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो बतलाया। जब नियमावली बना रहे हैं तो नियमावली में परसेंटेज भी होगा।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाएंगे जो आपने जारी किया गया है कैबिनट के डेसीजन के बाद उसके अन्दर स्पष्ट रूप से दोनों तरह की नियुक्तियों के लिए कोई परसेन्टेज रखा गया है या नहीं, और रखा गया है तो क्या ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने बतलाया कि वह सर्कुलर जो किया गया है वह सीधी एडहाक नियुक्तियो के बारे में नहीं है।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य--

यह शासन का नियम है जो नियुक्तियां होती हैं उसमें पदोन्नति द्वारा इतने प्रतिशत लोगों को लिया जायगा यह कहना कि उसके लिए जो हम नियम बनाएंगे, नियम तो पहले से बने हुए हैं। और किन परिस्थितियों में लोगों को प्रोन्नत किया और कितने समय में स्थायी कर दिया जायेगा। माननीय मंत्री जी इसका स्पष्ट उत्तर दें ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह कहना सही नहीं है कि नियम पहले से बने हैं कुछ सेवाओं में तो होता है कि इतने प्रतिशत लोगों की सीधी भर्ती की जायेगी।

श्री राम अधार--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या तदर्थ नियुक्तियों के सम्बन्ध में कैबिनेट का निर्णय है कि ३ साल तक सेवा करने के उपरान्त उनको रेगुलर कर दिया जावेगा ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह सही है कि एक जनवरी, १९७७ से पहले जो तदर्थ नियुक्तियां थीं और उनकी ३ साल की सेवा हो गयी है तो उनको नियमित कर दिया जायेगा। यह निर्णय है।

उन्नाव जिले के ग्राम बजैंडरा मजरा रघुनाथ खेड़ा के श्री राम किंकर सिंह के विरुद्ध कायम किया गया मुकदमा

*३--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

क्या गृह मंत्री को यह जानकारी है कि उन्नाव जिले के थाना बिहार की पुलिस ने ग्राम बजैंडरा मजरा रघुनाथ खेड़ा, निवासी एक ऐसे व्यक्ति जो लगभग ३५ साल पहले स्वर्ग सिधार चुक है, पर ताजीरात हिन्द की धारा १५१/१०७/११६ के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया है ? यदि हां तो उक्त थाने की पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत कथन सही नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत घटना सही है ?

श्री अध्यक्ष--

यह आपका कोई प्रश्न नहीं हुआ ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

एक व्यक्ति ३० साल पहले मर गया था और उस पर मुकदमा चल रहा है । मंत्री जी कहते हैं कि यह गलत है । मेरी सूचना है कि मर जाने के बाद १५१, १०७ और ११६ में उसके विरूद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और एक व्यक्ति का चालान भी हुआ है तो पुलिस ने दूसरे व्यक्ति का चालान क्यों नहीं किया ?

श्री राम सिंह--

माननीय सदस्य जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रश्न कर रहे हैं, उनका नाम श्री राम किंकर सिंह है और वह साधु वेश में रहते हैं । पार्टीबाज आदमी हैं और वह जीवित हैं ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

क्या यह जानकारी है कि जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने बताया वह गांव यदाकदा आता है, वह कहां आता है और कहां चला जाता है ?

श्री राम सिंह--

इसके दो प्रमाण हमारे पास हैं । उनके लड़के युद्धनाथ सिंह ने बताया है और कहा है कि हमारे पिता मरे नहीं हैं । वहां के प्रधान ने भी बताया है कि राम किंकर जीवित हैं । इसके साथ ही साथ जो जमीन राम किंकर सिंह के नाम है उसका दाखिज खारिज भी उनके लड़कों के नाम नहीं हुआ है ।

श्री राम अधार--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दफा १५१ और १०७ की कार्यवाही उसी के ऊपर होती है जो स्थायी रूप से उस गांव में रहता है और शान्ति भंग होने की आशंका रहती है ? जो कार्यवाही हुई है उसके बारे में मंत्री जी पुनः कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम सिंह--

वह पार्टीबाज आदमी हैं । कोई आदमी जाता नहीं है और झगड़ा हो जाता है ।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कथित व्यक्ति बेल पर है या नहीं ?

श्री राम सिंह--

वह बेल पर नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि वह कभी-कभी आते हैं तो उनको गिरफ्तार करने में क्या अड़चन है ? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री राम सिंह--

माननीय सदस्य उनके आने की सूचना दे दें तो मैं उनको गिरफ्तार करवा दूंगा ।

श्री श्याम धर मिश्र--

मान्यवर, आपके सामने पूरी बात नहीं आई है । माननीय मन्त्री जी ने यह बताया कि यह मामला विवादग्रस्त है, विचाराधीन है या समाप्त हो गया, यह उत्तर दे रहे हैं । मैं प्रश्न कर रहा हूं कि वह जीवित है या नहीं ? साधुवस्था में है या नहीं ? पार्टी गाज है या नहीं ? यह मामला विवादग्रस्त है वह जमानत पर है या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री राम सिंह--

कोई सूचना दे देंगे तो उनको पकड़वायेंगे और कार्यवाही होगी ।

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ के नक्सलपंथी बन्दियों की रिहाई की मांग

*४--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नक्सलपंथी बन्दियों की रिहाई के लिए शासन ने कोई हिंसा में अविश्वास सम्बन्धी शर्त गत वर्ष रखी है ? यदि हां, तो कितने नक्सलपंथी बन्दियों ने उसे स्वीकार किया है और कितने इस प्रकार के बन्दी रिहा किए जा चुके हैं ? यदि अब तक कोई रिहाई नहीं हुई हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जी हां । प्रदेश की विभिन्न जेलों में बन्द १० सिद्धदोष बंदियों में से केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में बन्द ५ नक्सलपंथी बंदियों ने इस संबंध में लिखित घोषणा भेजी है । ये ५ बन्दी, जो जिला हरदोई के निवासी हैं और जिनकी समय से पूर्व मुक्ति का जिला प्रशासन ने कड़ा विरोध किया है, के मामले अभी शासन के विचाराधीन हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह स्वयं बताया है कि प्रदेश के नक्सलपंथी बन्दियों की रिहाई के लिए शासन ने हिंसा में अविश्वास सम्बन्धी शर्त रखी है, इसको स्वीकार किया । स्वीकार करने के बाद फिर भी जिले के प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्यवाही हुई उसका क्या कारण है ? क्या कारण है कि उनको अब जेल में रखा गया है जब कि इसी नीति के तहत पंजाब, बिहार और बंगाल और दूसरे राज्यों में तमाम नक्सलपंथी बंदियों को रिहा किया जा चुका है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, यह जो शर्त रखी गई है यह रखी हुई है और उसी तरह उन पर विचार किया जायेगा । इन पांचों के मामले अभी भी विचाराधीन हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसके सन्दर्भ में यह शर्त रखी गई है जो यह लिखकर दे दें कि हिंसा में विश्वास नहीं है तो हम कार्यवाही करेंगे, उन्हें मुक्त कर देंगे । यह सीधा प्रश्न इस तरह का प्रश्न था जो यह

आश्वासन दे दे कि हम हिंसा की कार्यवाही में विश्वास नहीं करते तभी वह मुक्त कर दिये जायेंगे । इस तरह उसके बाद उनको मुक्त क्यों नहीं किया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, मैंने कहा कि उसमें यह निर्देश भेजे गये हैं कि जो इस तरह का आश्वासन दे देंगे कि हिंसा में विश्वास नहीं करते, उनके मामले में विचार किया जाय । उसमें यह नहीं कि आश्वासन लिख कर दें तब उन्हें छोड़ ही दिया जाये । प्रदेश में शान्ति व्यवस्था की क्या गतिविधियां हैं उन पर विचार करके ही निर्णय करेंगे, इसलिये यह मामला विचाराधीन है ।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, क्या शासन ने पिछले सत्र में यह सदन को आश्वस्त किया था कि जो नक्सलपंथी यह लिख कर दे देंगे कि हम कोई भी हिंसात्मक कार्यवाही में विश्वास नहीं करते उनको उन्मुक्त कर दिया जायेगा ? क्या शासन ने पिछले सत्र में आश्वस्त किया था ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी उसका उत्तर दे चुके हैं । इसमें उनका कथन है कि सिद्धान्त रूप से इसे स्वीकार किया है । उन्होंने आश्वासन दिया कि वह इसमें विचार करेंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके आश्वासन दे देने से हम ऐसा करेंगे ही । उत्तर दे चुके हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय गृह मंत्री जी को यह विदित है कि केन्द्र द्वारा स्पष्टरूप से यह घोषणा की गयी थी जिन राज्यों में नक्सलपन्थी ऐसे ढंग का कोई आश्वासन दे देंगे उनको रिहा कर दिया जायेगा और इसी आधार पर माननीय मंत्री जी को विदित है कि अन्य राज्यों में भी रिहा किए गए । क्या इन विचाराधीन बन्दियों में भी कोई ऐसे बन्दी हैं जिनको इन सुविधाओं के आधार पर मुक्त किया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा था कि यह जो शर्त की बात कही गयी वह केन्द्रीय सरकार के ही निर्देश पर एक उनका सुझाव था उसी के आधार पर यह किया गया था । केन्द्रीय सरकार ने कहीं ऐसा निश्चित हमें नहीं बताया है कि जो इस प्रकार का डिक्लेरेशन दें उनको छोड़ दिया जाय । यह तो केवल नक्सलपन्थियों के लिए है । अन्य बन्दियों के सम्बन्ध में इसका कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

अब इस प्रश्न का समय समाप्त हो गया है । मैं आपको समय नहीं दूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×] (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपको पहले खड़ा होना चाहिए था । अब आप बैठिए । यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राम अधार--

मान्यवर, आप....

श्री अध्यक्ष--

मैंने कह दिया है अब इस प्रश्न पर कोई चर्चा नहीं हो सकती ।

* ५-६--श्री सुखदाल पाण्डेय--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

आगरा जिले के थाना नारखा के अन्तर्गत डाकुओं एवं पुलिस की मुठभेड़ में कांस्टेबिल की हत्या

*७--श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि दिनांक ७ मार्च, १९७८ को आगरा जनपद के नारखा थाने के अन्तर्गत एक रात में तीन भीषण डकैतियां पड़ीं जिनमें डकुओं द्वारा काफी सम्पत्ति की हानि व तीन लोगों की हत्या की गयी एवं डाकू पुलिस गश्ती दल पर हमला कर एक कांस्टेबिल की हत्या कर उ की रायफल ले जाने में सफल हुए? यदि हां, तो सरकार द्वारा उपयुक्त अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ७-३-७८ की रात्रि को उक्त थाने के क्षेत्र के अन्तर्गत केवल एक डकैती पड़ी जिसमें जेवर व नकदी डकैतों द्वारा लूटा गया । घटना के किसी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई । इस सम्बन्ध में पंजीकृत किए गए अभियोग अन्तर्गत धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि० की अब तक की विवेचना से प्रकाश में आए एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं ।

दिनांक ७-३-७८ की रात्रि को उक्त थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मोदना के पास कुछ बदमाशों तथा पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक कान्सटेबिल मारा गया और बदमाश उसकी राइफल एवं कारतूस की पेटी ले गए । पुलिस द्वारा एक बदमाश पकड़ा गया । इस सम्बन्ध में पंजीकृत किए गए अभियोग अन्तर्गत धारा १४७/१४८/१४९/३०७/३०२/३९५ भा० दं० वि० की विवेचना के बाद एक अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया गया । एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है । अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं ।

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राजेश कुमार सिंह—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक ७-३-७८ को जो डकैती हुई उस सम्बन्ध में क्या पुलिस यह पता लगा सकी है कि यह कार्य किस डाकू दल द्वारा किया गया और उसकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जैसा मैंने अपने उत्तर में बताया इस डकैती से सम्बन्धित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसको जेल भेजा गया। इसके अतिरिक्त जो उसने नाम बताये थे अपने जुर्म के साथ शामिल व्यक्तियों के, उनकी तलाश जारी है और अभी तक वह पकड़े नहीं जा सके हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ७-३-७८ को कोटला में डकैती पड़ी। उसी दल ने फिरोजाबाद के सुभाषनगर में भी डकैती डाली। मोटना में और फिर मठसेना में डकैती हुई। एक कांस्टेबिल की हत्या की गयी। यह सब एक ही गैंग द्वारा एक ही दिन किया गया। जो व्यक्ति मारा गया क्या वह भी डकैती में शामिल था ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, यह कहना कठिन है कि एक ही गैंग द्वारा यह किया गया है। विवेचना जारी है और बिना विवेचना के यह पता नहीं चल सकता।

श्री राजेश कुमार सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने तीनों डकैतियों को तो स्वीकार कर लिया है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि (१) जो व्यक्ति मारा गया है उसके परिवार को क्या कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है ? (२) जिस गिरोह ने डकैती डाली उस गिरोह का मुखिया कौन है ? (३) क्या वे पकड़े गए हैं।

श्री राम सिंह—

मैंने निवेदन किया कि ७-३-७८ को जो घटना हुई, उसमें एक अभियुक्त को पकड़ा गया। उसने अपने जुर्म के साथ ५ अन्य व्यक्तियों के नाम बताये हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

जहां तक दूसरी घटना का सम्बन्ध है जिसमें पुलिस का सिपाही मारा गया है तो उसके आश्रित को पैसा देने के मामले पर सरकार विचार कर रही है और शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

आगरा, मैनपुरी व एटा जिलों में विभिन्न अपराधों में वृद्धि

*८—श्री राजेश कुमार सिंह—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या शासन आगरा, एटा व मैनपुरी जनपद के सीमावर्ती अंचल में डकैतियों, लूट, हत्या, अपहरण एवं बलात्कार आदि की बढ़ती हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अपराधियों के विरुद्ध विशेष पुलिस अभियान चलाने एवं आगरा जनपद के सीमावर्ती ग्राम कोटला में पुलिस चौकी स्थापित करने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही शासन द्वारा की जा रही है ?

श्री राम सिंह—

आगरा, एटा व मैनपुरी जनपद के सीमावर्ती अंचल में डकैतियों, लूट हत्या, अपहरण एवं बलात्कार की घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा सुनियोजित ढंग से अभियान चलाए जा रहे हैं ।

जनपद आगरा के थाना नारखी के अन्तर्गत ग्राम कोटला में एक अस्थायी चौकी स्थापित कर दी गई है ।

मेरठ जिले के ग्राम पांचली बुजुर्ग में श्रीमती माया के साथ बलात्कार

*९—श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पांचली बुजुर्ग, थाना सरूरपुर, जिला मेरठ में दिनांक २१ मार्च, १९७८ शाम ५ बजे जंगल में श्रीमती माया के साथ बलात्कार की कोई घटना हुई है जिसकी रपट थाना सरूरपुर में दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो मुलजिम कौन है और उसके साथ क्या कानूनी कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में नानक प्रधान के विरुद्ध थाना सरूरपुर जनपद मेरठ पर अपराध अन्तर्गत धारा ३७८ भा० दं० वि० पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है ।

ए० डी० एन० इन्टर कालेज, मेरठ से खुशलका का अपहरण

*१०—श्री मन्जूर अहमद—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ८ नवम्बर, १९७७ को खुशलका, आयु १४ साल, ए० डी० एन० इन्टर कालेज, लाल कुर्ती, मेरठ से अपहरण कर ली गयी थी जिसकी रपट थाना लाल कुर्ती, मेरठ में दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो मुल्जिमान कौन हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में न्यूटन उर्फ गुड्डू निवासी बी० आई० लाइन मेरठ के विरुद्ध थाना लालकुर्ती मेरठ पर धारा ३८३ भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया । विवेचना प्रचलित है एवं अभियुक्त के विरुद्ध धारा ८२/९३ दं० प्र० सं० की कार्यवाही की गई है ।

बीस सूत्री कार्यक्रम पर फिल्म बनाने हेतु दी गयी धनराशि

*११--श्री जगदीश प्रसाद द्विवेदी--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बताएंगे कि वर्ष 1977 में लखनऊ के किसी राम पान्डेय नामक व्यक्ति को २० सूत्रीय कार्यक्रम पर फिल्म बनाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ५ लाख रुपया दिया गया है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ?

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१२--श्री रियासत हुसैन--

[२६-४-७८ को वक्तव्य होने के कारण निरस्त]

उच्च न्यायालय, लखनऊ व इलाहाबाद में लम्बित मुकदमे

*१३--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या न्याय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ दिसम्बर, 1977 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन ऐसे मुकदमों की संख्या क्या थी, जो कि ५ वर्ष के अधिक अवधि से विचाराधीन थे ? (लखनऊ खन्ड पीठ सहित सभी मुकदमों की संख्या अपेक्षित है) तथा उनके शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

दिनांक ३१-१२-७७ को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में (लखनऊ खन्ड पीठ को सम्मिलित करते हुए) 5 वर्ष की अवधि से अधिक से लम्बित मुकदमों की संख्या २९,२३६ थी । उक्त तिथि को उच्च न्यायालय में जजों की स्वीकृत संख्या 50 थी जबकि केवल ४४ जज ही कार्य कर रहे थे । वर्तमान में जजों की स्वीकृत संख्या बढ़ाकर ५३ कर दी गई है और ४८ जज कार्यरत हैं । रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए चालू प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है । जजों की संख्या पूर्ण होने के पश्चात् लम्बित मुकदमों के निस्तारण में गति आयेगी ।

पी० सी० एस० से आई० ए० एस० सम्वर्ग में प्रोन्नति हेतु गठित समिति की बैठक

*१४--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पी० सी० एस० से आई० ए० एस० के वरिष्ठ वेतनक्रम में प्रोन्नति देने के लिए सेलेक्ट लिस्ट बनाने हेतु किसी चयन समिति की बैठक नवम्बर, १९७७ में हुई ? यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ? तथा उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनको उक्त सूची मे रखा गया परन्तु उनके विरुद्ध सतर्कता आयोग द्वारा जांच की जा रही है अथवा वो प्रतिकूल प्रविष्टियां मौजूद हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

जो हां, आई० ए० एस० (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) रेग्युलेशन्स १९५५ के रेग्युलेशन ३ (१) के प्राविधानों के अनुसार समिति का गठन निम्नवत् रहा--

(१) मुख्य सचिव--श्री कृपा नारायण ।

(२) वरिष्ठतम--सदस्य, राजस्व परिषद् श्री वीरेन्द्र कुमार, ।

(३) वरिष्ठतम मन्डलायुक्त--श्री के० किशोर, ।

(४) वरिष्ठतम आयुक्त एवं सचिव--श्री आर० बी० सक्सेना, ।

(५) भारत सरकार--द्वारा नामित अधिकारी जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम का न हो श्री बी० सी० मथुर ।

(६) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य डा० ए० आर० किदवई अथवा सदस्य ।

चूंकि प्रवरण सूची तथा ऐसे अधिकारियों के नाम जिनके विरुद्ध सतर्कता आयोग द्वारा जांच की जा रही होती है और चरित्रपंजियों की प्रविष्टियां गोपनीय प्रकृति की वस्तुएं हैं । अतः इनके सम्बन्ध में सूचना देना जनहित में नहीं है ।

भूतपूर्व मुख्य सचिव, श्री कृपा नारायन श्रीवास्तव की कथित पदावनति

*१५--श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि भूतपूर्व मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, श्री कृपा नारायन श्रीवास्तव की पदावनति कर दी गयी है ? यदि हां, तो कारण क्या है ?

श्री राम नरेश यादव--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फतेहपुर जिले के भूतपूर्व पुलिस अधीक्षक, श्री ललित मोहन सिंह द्वारा आपात्काल में किये गये भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*१६--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद और फतेहपुर के के सभी विधायकों तथा राम प्रकाश त्रिपाठी एम० एल० ए० दयाराम भूतपूर्व सदस्य लोक सभा और उप मंत्री जी माननीय सत्य देव त्रिपाठी की संस्तुति तथा हस्ताक्षरों से कानपुर क्षेत्र के डी० आई० जी० पुलिस को अक्तूबर, के दूसरे सप्ताह में फतेहपुर के भूतपूर्व पुलिस अधीक्षक श्री ललित मोहन सिंह के विरुद्ध आपातकाल में भ्रष्टाचार करने और कुछ व्यक्तियों को मीसा में बन्द करने में पूर्ण सहयोग न देने पर श्री त्र्यनन्द त्यागी, एस० आई० को मीसा में बन्द करने की धमकी देने की शिकायत की थी ? उक्त शिकायतों की जांच कब और किस अधिकारी से कराई गई है ? क्या शिकायत कर्ताओं से पूछ-ताछ की गयी है ? यदि नहीं, तो जांच का क्या आधार था ? यदि अभी तक जांच नहीं कराई गई तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह--

प्रश्नगत शिकायती-पत्र श्री सत्यदेव त्रिपाठी, उप मंत्री के पृष्ठांकन दिनांक १९ अक्तूबर, १९७७ के साथ पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र को प्राप्त हुआ था । पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर ने उसे पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर को जांच के लिये भेजा पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर ने क्षेत्राधिकारी (बिन्दकी), फतेहपुर से जांच करा कर पुलिस उप महानिरीक्षक को अपना यह निष्कर्ष संसूचित किया कि शिकायती पत्र में लगाये गये आरोप निराधार हैं ।

इस जांच में शिकायतकर्ताओं से कोई पूछताछ नहीं की गई । पुलिस उप महानिरीक्षक से पूछा जा रहा है कि उन्होंने इस मामले में स्वयं जांच क्यों नहीं की और शिकायतकर्ताओं से पूछताछ क्यों नहीं की गई ।

मेरठ जिले के पुलिस इन्टेलीजेन्स विभाग के सिपाही, श्री कृष्ण पाठक का निलम्बन और निर्वाह भत्ता

*१७--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि पुलिस विभाग इन्टेलीजेन्स, मेरठ के एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी सिपाही श्रीकृष्ण पाठक को ३१ अगस्त, १९६८ को निलम्बित किया और १२ अगस्त, १९६९ को बरखास्त कर दिया किन्तु ट्रिब्यूनल द्वारा १६ मई, १९७७ को उसे पुनः बहाल करने और वेतन देने के आदेश दिए गए ? उसे अभी तक वेतन तो नहीं दिया गया वरन् १० जनवरी, १९७८ को पुनः निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त सिपाही को कब चार्जशीट दी गयी है और उस चार्जशीट में कौन-कौन से आरोप लगाए गए हैं ? क्या निलम्बन के बाद वेतन का ३/४ निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री राम सिंह--

जी हां । उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (ट्रिब्युनल) के आदेशों के आधार पर श्रीकृष्ण पाठक दिनांक २१-८-७७ को पुनः सेवा में बहाल किये गये तथा उनके विरुद्ध पुनः कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक १०-१-७८ को उन्हें आरोप-पत्र देते हुये निलम्बित किया गया । उनके विरुद्ध आदेशों की अवहेलना करने, बिना छुट्टी के कार्यालय से अनुपस्थित होने, ड्यूटी सम्बन्धी निर्धारित रजिस्टर में हस्ताक्षर न करन, उपस्थिति रजिस्टर में जानबूझ कर गलत प्रविष्टि करने तथा अपने अधिकारियों के प्रति अपने प्रार्थना-पत्र में कठोर एवं अनुचित भाषा का प्रयोग करने सम्बन्धी आरोप हैं ।

श्री पाठक को दिनांक ११-७-७८ से वेतन का ३/४ भाग निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है ।

फैजाबाद जिले के थाना जलालपुर में अंकित अपराध नम्बर १३८

*१८--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या गृह मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि दिनांक ६ जून, १९७५ को जनपद फैजाबाद के थाना जलालपुर में अपराध नम्बर १३८ पर दर्ज रिपोर्ट के अन्तर्गत धारा ३९५ आई० पी० सी० में क्या कार्यवाही हो रही है ? क्या यह भी सही है कि राजनैतिक दबाव के कारण उक्त मामला धारा ३७९ आई० पी० सी० में

बदल दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त मामले के अभियुक्तों को दण्डित करने में और मुकदमें की कार्यवाही शीघ्र चालू करने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री राम सिंह—

मामले की विवेचना की गई जिससे अपराध धारा ३९५ की बजाय धारा १४७/४२७/४५४/३८ भा० दं० वि० का पाया गया । विवेचनोपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया जो न्यायालय के विचाराधीन है । यह कहना सही नहीं है कि मुकदमें की धारा राजनैतिक दबाव के कारण बदली गयी ।

सब इन्सपेक्टर पुलिस, श्री ओंकार नाथ, श्री कप्तान सिंह व श्री उमा सिंह का प्रोन्नति हेतु चयन

*१९—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७८ में (दिनांक २३-३-७८) जिन सब-इन्सपेक्टरों को पदोन्नति हेतु चयन किया गया है उनमें से सर्वश्री ओंकार नाथ, कप्तान सिंह एवं उमा सिंह के विरुद्ध चयन से पूर्व गम्भीर आरोपों की जांच विचाराधीन थी ? यदि हां, तो पुलिस अधीक्षकों द्वारा उनका पदोन्नति हेतु क्यों नामांकन किया गया तथा उन्हें किस आधार पर पदोन्नति दी गयी ?

श्री राम सिंह—

उल्लिखित सब-इन्सपेक्टरों के विरुद्ध किसी प्रकार की जांच की सूचना चयन समिति को नहीं थी । श्री ओंकार नाथ के विरुद्ध किसी प्रकार की जांच इस समय भी विचाराधीन नहीं है । श्री उमा सिंह के विरुद्ध चयन के बाद परन्तु अनुमोदित लिस्ट निकलने के एक दिन पूर्व एक अपराध पंजीकृत हुआ था जिसकी सूचना बाद में प्राप्त हुई थी । श्री कप्तान सिंह के विरुद्ध विचाराधीन जांचों की सूचना न दिये जाने की परिस्थितियों को देखा गया है और आवश्यक कार्यवाही की गयी है । सब-इन्सपेक्टर कप्तान सिंह की प्रोन्नति नहीं हुई है ।

*२०—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

[२२-८-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या २२ द्वारा उत्तरित ।]

पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि के कर्मचारियों का पर्वतीय विकास भत्ता

*२१—श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय अंचल में सेवारत राज्य कर्मचारियों की भांति पर्वतीय क्षेत्र के स्थानीय निकायों, जिला परिषदों तथा नगरपालिकाओं इत्यादि के कर्मचारियों को भी पर्वतीय भत्ता देने की मांग पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय लिया जायगा ?

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री शोबन सिंह जीना)—

राज्य कर्मचारियों की भांति पर्वतीय क्षेत्र में स्थित शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संचालित हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट

कालेजों तथा डिग्री कालेजों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को एवं बेसिक शिक्षा परिषद् तथा जिला परिषदों के कर्मचारियों को पर्वतीय विकास भत्ता देने हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं ।

मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को प्रश्नगत भत्ता देने का मामला शिक्षा विभाग के विचाराधीन है ।

पुलिस इन्सपेक्टरों एवं सब-इन्सपेक्टरों की प्रोन्नति

*२२—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पुलिस विभाग में इन्सपेक्टरों की प्रोन्नति उनकी चरित्र पंजिका में बैडइन्ट्री के कारण रोक दी है ? क्या यह भी सही है कि उक्त नीति का स्पष्ट उल्लंघन करके ३२ बटालियन पी० ए० सी० के एक इन्सपेक्टर की प्रोन्नति ३५ बटालियन पी० ए० सी०, लखनऊ में डी० एस० पी० के पद पर दिसम्बर, १९७७ या जनवरी, १९७८ में कर दी गई है और इसी प्रकार से वर्ष १९७८ में सब-इन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर के लिए हुए चयन में भी सामान्य नीति का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री राम सिंह—

(अ) जनवरी, १९७७ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सदर्थ चयन समिति ने कुल १४१ पात्र निरीक्षकों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन कर जिन ४० निरीक्षकों को प्रोन्नति के लिये उपयुक्त नहीं पाया और जिन्हें प्रोन्नत नहीं किया गया उनकी सूची संलग्न है ।

(ब) यह सही नहीं है कि ३२वीं बटालियन पी० ए० सी० के किसी इन्सपेक्टर की प्रोन्नति सामान्य नीति के उल्लंघन में की गई । इस बटालियन के किसी इन्सपेक्टर को प्रोन्नत करके पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात नहीं किया गया है ।

(स) यह भी सही नहीं है कि वर्ष १९७८ में सब-इन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर के लिये चयन में किसी सामान्य नीति का उल्लंघन किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६०५ पर) ।

पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, विद्यार्थियों द्वारा थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट

*२३—श्री रामदत्त जोशी—

क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जनपद के पन्तनगर कृषि विद्यालय तथा उससे सम्बद्ध कृषि फार्म, डेयरी फार्म इत्यादि संस्थानों से हड़ताली मजदूर नेताओं तथा छात्र नेताओं द्वारा खदेड़े गए अधिकारियों, कर्मचारियों, प्राध्यापकों, विद्यार्थियों द्वारा रुद्रपुर व किच्छा पुलिस थानों में विगत १ अप्रैल से २४ अप्रैल, १९७८ तक कितनी रपटें लिखाई गई हैं और उन पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में एक हस्तक्षेपीय तथा २८ अहस्तक्षेपीय रिपोर्ट थाना रुद्रपुर तथा किच्छा, जिला नैनीताल में लिखाई गई । एक हस्तक्षेपीय रिपोर्ट के आधार पर धारा ४५२/३२३ भा० दं० वि० का अपराध कायम किया गया जो विवेचनाधीन है । अहस्तक्षेपीय मामलों में पुलिस द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई । किन्तु जिन व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट लिखाई गई उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध पुलिस द्वारा कर दिया गया ।

देवरिया जिले के ग्राम अरनहवां के श्री कमला गौड़ की हत्या एवं आश्रितों को पेन्शन दिये जाने की मांग

*२४—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद में निबुआ थाने के के अन्तर्गत ग्राम अरनहवां के नवयुवक श्री कमला गौड़ (अनुसूचित) १४ फरवरी, १९७८ की रात में सशस्त्र दस्यु दल का मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए जिसकी रपट थाने में दर्ज है ? यदि हां, तो उक्त हतात्मा ग्रामीण की निराश्रित विधवा को असाधारण पेन्शन दी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह—

दिनांक १४ फरवरी, १९७८ को सशस्त्र बदमाशों से हुई मारपीट में उनके द्वारा पहुंचाई गई चोटों के परिणामस्वरूप श्री कमला गौड़ की मृत्यु हो गई थी जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज है और विवेचना हो रही है । स्वर्गीय श्री कमला गौड़ के आश्रितों को पेन्शन ग्राह्यता के सम्बन्ध में आवश्यक छानबीन की जा रही है ।

देवरिया जिले के ग्राम परसौनी के श्री ऐनुल्लाह के घर पर डकैती तथा कत्ल

*२५—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद के निबुआ थाने के अन्तर्गत ग्राम परसौनी में क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्ति (श्री ऐनुल्लाह अंसारी) के घर मार्च, १९७८ में प्रथम सप्ताह में भीषण डकैती में अस्सी हजार की सम्पत्ति लूट ली गयी तथा दो व्यक्तियों एवं एक दस वर्षीय मासूम बालक की हत्या कर दी गयी, जिसमें गृह स्वामी के बहादुर पुत्र नियाज अहमद ने दो डाकुओं को मौत के घाट उतार दिया जिसकी विधिवत सूचना सम्बद्ध थाने में दर्ज है ? यदि हां, तो मृत लोगों के परिवार को असाधारण पेन्शन तथा अद्भुत शौर्य प्रदर्शित करने वाले उनके नियाज अहमद को असाधारण पुरस्कार दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह—

जनपद देवरिया के नेबुआ नौरंगिया थाना के अन्तर्गत ग्राम परसौनी में दिनांक २८ फरवरी, १९७८ की रात्रि में श्री ऐनुल्लाह अंसारी के घर पर पड़ी डकैती जिसमें लूटे गये माल की कीमत लगभग १८,१६० रु० बताई गयी है और जिसमें दो व्यक्तियों तथा एक १४ वर्षीय बालक की बदमाशों के हाथ मृत्यु हुयी व श्री नियाज अहमद ने एक डकैत को मार दिया, की सूचना थाने में दर्ज है जिसकी विवेचना हो रही है ।

मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को असाधारण पारिवारिक पेन्शन व श्री निथाज अहमद द्वारा दिखाये गये शौर्य के लिये उन्हें पुरस्कार दिये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

*२६—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

[३रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उत्तरी गोंडा वन प्रभाग के सुहेलवा रेन्ज के माफीदार गांवों को लकड़ी की आपूर्ति

*२७—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या शासन को यह जानकारी है कि वन विभाग नार्थ, गोंडा रेन्ज सुहेलवा पश्चिमी के अधीन माफीदार गांवों में विगत तीन वर्षों से अब तक माफी की लकड़ी नहीं दी गयी ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है और कब तक उन्हें माफी की लकड़ी दिला दी जायेगी ?

(वन मंत्री) श्री श्रीचन्द्र—

उत्तरी गोंडा वन प्रभाग के सुहेलवा पश्चिमी रेन्ज के माफीदार गांवों को माफी की लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग से इन्डेन्ट (मांग पत्र) प्राप्त होता है । वर्ष १९७४–७५ का मांग पत्र (इन्डेन्ट) देर से प्राप्त होने के कारण उस वर्ष लकड़ी नहीं दी जा सकी । लेकिन उसी इन्डेन्ट के आधार पर माफी वर्ष १९७५–७६ में दी गयी थी । वर्ष १९७६–७७ में कोई मांग–पत्र (इन्डेन्ट) राजस्व विभाग से प्राप्त न होने के कारण, उस वर्ष कोई माफी की लकड़ी नहीं दी जा सकी । वर्ष ११७७–७८ के लिए केवल तीन ग्रामों–बमनी, विशुनापुर और लोहटी के सम्बन्ध में मांग–पत्र (इन्डेन्ट) प्राप्त हुए थे । देर से प्राप्त होने के कारण १९७७–७८ में माफी की लकड़ी दी नहीं जा सकी । अब सीजन शुरू होते ही (अक्तूबर के बाद), मांग–पत्र के अनुसार लकड़ी छाप कर दी जायेगी ।

वाराणसी जिले के ग्राम बहोरीपुर के श्री रामधनी सिंह के घर पर डकैती तथा कत्ल

*२८—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बहोरीपुर, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी में तारीख ३ व ४ जून, १९७८ को डकैती एक व्यक्ति के यहां डाली गयी जिसमें एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों की हत्या डाकुओं द्वारा कर दी गयी और हजारों का सामान लूट लिया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अब तक की गई ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ३/४–६–७८ की रात में तीन नामांकित व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध श्री रामधनी सिंह निवासी ग्राम बहोरीपुर, थाना बड़ागांव (वाराणसी) द्वारा अपने यहां डकैती की घटना होने व उसमें तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने की सूचना दिनांक ४–६–७८ को थाना बड़ागांव पर दी गई । इस सूचना पर एक मुकदमा धारा ३९६ भारतीय दन्ड विधान के अधीन कायम किया गया तथा विवेचना शुरू की गई ।

पुलिस ने नामांकित दो अभियुक्तों तथा विवेचना से प्रकाश में आए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया । शेष एक नामांकित अभियुक्त ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया । इन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया ।

वाराणसी जिले के ग्राम नाथपुर के श्री क्षमानाथ तिवारी के यहां पड़ी डकैती में मृत श्री होरी लाल के आश्रितों को स्वीकृत पेन्शन

*२९--श्री ऊदल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव नाथपुर, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी में क्षमानाथ तिवारी के यहां सन् १९७३-७४ में डकैती पड़ी थी और डकैतों का मुकाबला करते हुए सभी भगौतीपुर थाना फूलपुर, जिला वाराणसी के प्राइमरी स्कूल के मास्टर श्री होरी लाल हरिजन जान से मारे गए थे और सरकार ने उनकी आश्रित विधवा को उसी वक्त से ४० रुपया मासिक पेन्शन भी मंजूर किया है ? यदि हां, तो होरी लाल की विधवा को पेन्शन अब तक न देने का कारण क्या है, क्या यह सत्य है कि पुलिस अधीक्षक, वाराणसी के यहां से सन् १९७४ में ही पेन्शन के कागजात ठीक कराकर ए० जी०, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेज दिए गए हैं ?

श्री राम सिंह--

जी हां, स्वर्गीय श्री होरी लाल के आश्रितों को दिनांक २८ फरवरी, १९७३ से ४० रु० प्रतिमाह पेन्शन स्वीकृति के आदेश ३० अगस्त, १९७६ को जारी किए तथा पेन्शन पेमेन्ट आर्डर महालेखाकार द्वारा २३ जून, ११७७ को जारी किया गया जिसकी सूचना पेन्शन भोगियों को भी दी गयी है । पेन्शन भोगियों को ट्रेजरी में उपस्थित होकर पेन्शन प्राप्त करने हेतु पुनः सूचित किया जा चुका है । ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा पेन्शन कागजात वर्ष १९७४ में पुलिस मुख्यालय के माध्यम से शासन को भेजे गए थे न कि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को।

*३०--श्री बदन सिंह---

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को यूकिलिप्टस आयल की सम्पूर्ति

*३१--श्री रणजीत सिंह जूदेव---

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९७६, १९७७ में स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को यूकिलिप्टस आयल की रायल्टी ९० रु० प्रति टन दी जाती थी जोकि अब बिना किसी तकनीकी सिफारिश के ७० रु० प्रति टन कर दी है जिससे सरकार को १५ से २० लाख रु० की हानि प्रति वर्ष उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो इसका कौन जिम्मेदार है और इसे दूर करने का सरकार क्या प्रतिबन्ध कर रही है ?

श्री श्रीचन्द--

वन विभाग स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को यूकिलिप्टस आयल की सम्पूर्ति नहीं करता है। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

आगरा व फिरोजाबाद में सोडा ऐश के मूल्य में वृद्धि

*३२--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद आगरा व फिरोजाबाद उद्योग नगर में सोडा ऐश में भारी चोर बाजारी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सोडा ऐश को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत शेडयूल्स आइटम में रखकर सोडा ऐश की चोर बाजारी को रोकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश--

उद्योग विभाग द्वारा सोडा ऐश का आवंटन या मूल्य निर्धारण नहीं किया जाता है और न इसका राज्य कोटा ही निर्धारित है ।

यह अवश्य है कि हाल ही में शासन की जानकारी में यह बात लाई गयी है कि सोडा ऐश के मूल्य में वृद्धि हुई है । सोडा ऐश की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से उसे उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (मूल्य तथा स्टाक का प्रदर्शन) आदेश की अनुसूची में शामिल करने की कार्यवाही की जा रही है ।

इस बीच समस्त जिलाधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि वे सोडा ऐश के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए सजग रहें ।

'विमको' माचिस फैक्ट्री को अलैन्थस प्रजाति की लकड़ी का आबंटन

*३३--श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)--

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अलैन्थस प्रजाति, जो माचिस बनाने का काम करती है, का आबंटन आज तक 'विमको' माचिस फैक्टरी को किया गया ? यदि नहीं किया गया, तो क्यों ?

श्री श्रीचन्द्र--

अलैन्थस प्रजाति के वृक्षों की लकड़ी का आबंटन 'विमको' माचिस फैक्टरी को किया जा रहा है ।

तराई केन्द्रीय वन प्रभाग धीमरी ब्लाक में पाप्लर के वृक्षों का रोपण

*३४--श्री पूरन चन्द्र--

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार उन विदेशी प्रजातियों का वृक्षारोपण नहीं किया जाना चाहिए जिनका परीक्षण सफल न हुआ हो ? यदि हां, तो पश्चिमी वृत्त में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के अन्तर्गत धीमरी ब्लाक व अन्य स्थानों में अच्छे व अविकसित जंगलों को काटकर 'पाप्लर' का बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण क्यों किया जा रहा है ? जब कि 'पाप्लर' की अभी तक कोई प्रजाति सफल नहीं हुई है ?

श्री श्रीचन्द्र--

हां । लेकिन पाप्लर, जिसका वृक्षारोपण पश्चिमी वृत्त के तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के धीमरी ब्लाक में किया जा रहा है उसका परीक्षण सफल हुआ है । यह परीक्षण सन् १९६२ से आरम्भ किया गया था और १३ वर्षों तक परीक्षण करने के उपरान्त ६० प्रकार के विभिन्न 'क्लोन्स' में से केवल ३ ही 'क्लोन्स' सफल पाए गए । इन्हीं तीन सफल 'क्लोन्स' का रोपण किया जा रहा है ।

पुलिस निरीक्षकों का कथित चुनाव

*३५--श्री रियासत हुसैन--

क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९७८ में जो पुलिस निरीक्षकों का चुनाव किया गया है उसमें कितने अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों तथा कितने मुस्लिम जातियों के हैं ? क्या यह सही है कि कुछ लोग ऐसे भी चुने गए हैं जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही थी अथवा जिनका नाम जिला से नहीं आया था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राम सिंह--

अप्रैल, १९७८ में पुलिस निरीक्षकों का कोई चुनाव नहीं किया गया है ? शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता है ।

फतेहपुर जिले के ग्राम मिराई के मृत कान्स्टेबिल श्री विजय सिंह की पत्नी को पेन्शन देने की मांग

*३६--श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि ग्राम मिराई, जिला फतेहपुर के मृत कांस्टेबिल श्री विजय सिंह पुत्र श्री बद्री सिंह, जिसकी अचानक मृत्यु ड्यूटी पर दिनांक १४ मार्च, १९७८ को सुबह ३ बजे से ६ बजे के बीच हुई थी, की विधवा पत्नी को आर्थिक सहायता या पेन्शन देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री राम सिंह--

जी हां, नियमानुसार देय पेन्शन स्वीकृत की जायेगी ।

फैजाबाद जिले के ग्राम बड़ागांव के श्री भिखई की हत्या

*३७--श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री पचई पुत्र अधीन हरिजन(कोरी) सा० बड़ागांव, थाना रौनाही, जनपद फैजाबाद ने दिनांक ४ अप्रैल, १९७८ अथवा ४ मई, १९७८ को अपने भाई श्री भिखई पुत्र अधीन को श्री शिवराज पुत्र राम अवतार, सा० बड़ागांव, थाना रौनाही द्वारा मारे जाने की कोई रिपोर्ट उपरोक्त थाने में दर्ज कराई है और इन्हीं चोटों से उपरोक्त श्री भिखई की मृत्यु जिला चिकित्सालय, फैजाबाद में हो गई है ? यदि हां, तो घटना का विवरण एवं पोस्ट मार्टम रिपोर्ट क्या है और अभियुक्त कौन-कौन थे ? और अभी तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

जी हां । प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक ४-५-७८ के अनुसार घटना यह है कि अभियुक्त शिवराम, जिसका दिमाग कभी-कभी खराब हो जाता था, ने श्री भिखई को डन्डेसे मारा जिससे अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई । पुलिस द्वारा अभियुक्त शिवराम को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया, जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

*३८--श्री हरिकेवल प्रसाद तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा--

[४थे मंगलवार के लिए स्थगित ।]

फतेहपुर जिले के थाना खागा क्षेत्र के डकैतों के आग्नेय-अस्त्रों का लाइसेन्स

*३९--श्री जगन्नाथ सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना खागा, जिला फतेहपुर के कुछ फरार वांछित डकैतों के पास, आग्नेय अस्त्रों के लाइसेन्स हैं और पुलिस ने उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

थाना खागा के अन्तर्गत कोई डकैत फरार घोषित नहीं किया गया है। इस थाना क्षेत्र के अन्तर्गत केवल ५ वांछित डकैत हैं जो भागे हुये हैं और जिनके पास आग्नेय-अस्त्रों के लाइसेन्स हैं। इन लाइसेन्सों को निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

वाराणसी जिले के ग्राम दचोखर में पड़ी डकैती में मृत श्री सदायतन पाण्डेय के आश्रितों को पेन्शन देने की मांग

*४०--श्री राजकिशोर तिवारी (जिला जौनपुर)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दचोखर, थाना चन्दौली, जिला वाराणसी में दिनांक १२/१३ जुलाई, १९७७ को राम धनी केशरवानी के घर डकैती पड़ी जिसमें सदायतन पाण्डेय होम गार्ड नं० ४७१२ की मौत डाकुओं की गोली से हो गई ? यदि हां, तो उक्त होम गार्ड के परिवार की क्या सहायता हुई ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

जी हां, स्वर्गीय श्री सदायतन पाण्डेय के आश्रितों को अभी तक कोई सहायता प्रदान नहीं की गयी है उनके आश्रितों को असाधारण पेन्शन दिय जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

मैनपुरी जिले के थाना बेवर में अंकित राज्य बनाम राम बाबू का जुडीशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा

*४१--श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

क्या न्याय एवं विधि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मैनपुरी जिले के बेवर थाने से सम्बन्धित अपराध संख्या १८४/७८, धारा ३२३ व ४५२ भारतीय दन्ड विधान के क्रिमिनल केस नम्बर ६१२/१९७७ राज्य बनाम राम बाबू आदि जो जुडिशियल मैजिस्टेट, मैनपुरी की अदालत में विचाराधीन है, को शासनादेश रेडियोग्राम नम्बर ८८३, ७-बी ५६८/७८, द्वारा २ जून, १९७८ तक के लिए स्थगित कर दिया गया था ? क्या यह भी सही है कि शासन ने २ जून, १९७७ को पुनः आदेश भेजकर उस मुकदमें को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार उस मुकदमें को वापस लेने पर क्यों विचार कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

माननीय सदस्य ने जिस अभियोजन का विवरण दिया है वह अपराध संख्या १८४/७६ से सम्बन्धित है। शासकीय रेडियोग्राम संख्या एक्स-८८३/सात-ख-१६८/७७ दिनांक ११ अप्रैल, १९७८ के द्वारा मुकदमें की वापसी के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय तक स्थान की कार्यवाही के निदेश दिये गए थे। दिनांक २ जून, १९७८ को पुनः स्थान के आदेश जारी नहीं किए गए। अब यह निर्णय ले लिया गया है कि न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप न किया जाय।

देहरादून जिले के कतिपय ग्रामों में जंगली हाथियों के रोक-थाम हेतु की गयी व्यवस्था

*४२--श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादुन)--

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देहरादुन के ग्राम रेनापुर, घमन्डपुर डांडी, बड़कोट, शेरगढ-माजरी तथा खेरी कला के कृषकों की ओर से सामूहिक अथवा पृथक-पृथक प्रार्थना-पत्र विभाग को जंगली हाथियों द्वारा माह अप्रैल एवं मई, १९७८ में फसलों का हानि पहुंचाने के कारण रोक थाम के लिए प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो विभाग की ओर से जंगली हाथियों की रोक-थाम के सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं ?

श्री श्री चन्द्र--

जी हां ।

विभाग की ओर से जंगली हाथियों की रोक थाम के लिए वन कर्मचारियों द्वारा बन्दुकों से हवाई फायर करना, आग जलाना एवं मशालों की सहायता से हाथियों को भगाने का प्रयास किया गया और जा रहा है ।

*४३--श्री मित्र सेन--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

देवरिया जिले के थाना भटनी के थानाध्यक्ष से कुछ लोगों द्वारा छीनी गई पिस्टल

*४४--श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के भटनी थाना पर जुलाई, १९७८ के प्रथम सप्ताह में एक उग्र भीड़ ने थानाध्यक्ष को मारा है और उसका रिवाल्वर छीन लिया ? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और इस सम्बन्ध में अब तक कितने लोग गिरफ्तार किए गए ?

श्री राम सिंह--

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार हमला थाने में नहीं वरन मिश्रौली दीक्षित ग्राम के पास हुआ था । सरकारी पिस्टल १२ कारतूस सहित छीना गया था । प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक ६-७-१९७८ को यह सूचना पाकर कि मिश्रौली दीक्षित ग्राम के पास दो पक्ष घातक हथियारों से लस शान्ति भंग करने पर अमादा हैं थानाध्यक्ष उपलब्ध पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर गये । पुलिस के पहुंचने पर एक पक्ष तो मैदान छोड़ कर भाग गया । परन्तु दुसरे पक्ष के कुछ लोगों ने थानाध्यक्ष को आहत करके उनका सरकारी पिस्टल मय १२ कारतूस छीनकर भाग गए । इस संदर्भ में अब तक केवल तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा ६ अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमपर्ण किया एक अभियुक्त के विरुद्ध ८२/८३ जा० फौ० की कार्यवाही की गयी ।

*४५--श्री राज किशोर तिवारी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

*४६--श्री अरुण कुमार--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

यूपिका की प्रबन्ध समिति का चुनाव

*४७--श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किन परिस्थितियों के कारण यूपिका के बोर्ड का गठन अब तक नहीं हो पाया है ?

श्री राम प्रकाश--

यूपिका के प्रशासक का कार्यकाल १९-५-७८ को समाप्त होने पर यूपिका की प्रबन्ध समिति, जिसके ५ सदस्यों का निर्वाचन १५-११-७७ को सम्पन्न हुआ था, १८-५-७८ को शासन द्वारा १० सदस्यों के नामांकन किए जाने पर गठित हो गई । परन्तु इसके पूर्व कि प्रबन्ध समिति की पहली बैठक अयोजित हो पाती उपरोक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में दायर किए गए एक विवाद में नियुक्त मध्यस्थ ने अपने अस्थायी निषेध आज्ञा दिनांक २३-५-१९७८ तथा स्थायी निषेध आज्ञा दिनांक १९-६-७८ द्वारा अभिनिर्णय तक होने प्रबन्ध समिति द्वारा कार्य करने पर रोक लगा दी है तत्पश्चात् ११-८-७८ को मध्यस्थ ने अपने निर्णय द्वारा १५-११-७७ को हुए निर्वाचन को निरस्त करते हुए पुनः चुनाव करने का आदेश दिया है ।

वन विभाग के ठेकेदरों पर कान्ट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एबालिशन, ऐक्ट, १९७० लागू न होना

*४८--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में वन ठेकेदरों को ठीका विनियमन एवं समाप्ति अधिनियम, १९७० तथा केन्द्र के इस कानून के अन्तर्गत बनी हुई विनियमन तथा नियमावली, १९७५ के उपबन्धों से मुक्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इस कानून के अन्तर्गत ठेकेदारों के लिए पंजीकरण करना, लाइसेन्स लेना उपस्थित पंजिका रखना, एक निश्चित तारीख के भीतर मजदूरी का भुगतान करना, बोनस देना, और दुर्घटनाग्रस्त होने पर क्षति पूर्ति करना अनिवार्य था ।

श्री श्री चन्द्र--

वन विभाग के ठेकेदार कान्ट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एबोलिशन) ऐक्ट, १९७० की धारा २ (सी०) में उल्लिखित कान्ट्रेक्टर की परिभाषा में नहीं आते हैं । अतः उक्त अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनी नियमावली से उक्त ठेकेदारों को मुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*४९--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[४थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

देहरादून जिले के ग्राम क्यार कुली में मार्बल खनन हेतु श्री पूरण सिंह का प्रार्थना-पत्र

*५०--श्री रणजोत सिंह (जिला देहरादून)--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देहरादून के ग्राम क्यार कुली में श्री पूरण सिंह का उप खनिज परिहार नियमावली, १९६३ के अन्तर्गत मार्बल खनन पट्टे हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र दिनांक २४ मई, १९७७ किन कारणों से अस्वीकृत किया गया है ?

श्री राम प्रकाश--

चूंकि प्रार्थित क्षेत्र भितरली नदी के कैचमेन्ट क्षेत्र में पड़ता है तथा खनन कार्य करने के फलस्वरूप भितरली नदी का मलवा टोन्स नदी के द्वारा बीजापुर केनाल में आयेगा, जिससे सिंचाई सुविधाओं में कमी आने की सम्भावना थी, इस लिए श्री पूरण सिंह का प्रार्थना पत्र दिनांक २४-५-७७ अस्वीकृत कर दिया गया इसकी सूचना श्री पूरण सिंह को भी दिनांक ८-११-७७ को दे दी गयी ।

'स्वतन्त्र' भारत, तरुण भारत' व 'जन मोर्चा' समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापनों हेतु प्रदान की गई मान्यता

*५१--श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार को पता है कि आपातकाल में सरकारी विज्ञापन के वितरण में जो पक्षपात किया गया था, उसका अभी तक निराकरण नहीं हुआ है ? क्या यह सही है कि आपातकाल की घोषणा के बाद सन् १९७५ में राजधानी के प्रमुख हिन्दी दैनिक 'स्वतन्त्र भारत' को राज्य लोक सेवा आयोग का विज्ञापन बन्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो सरकार ने इसका प्रतिकार करने के लिए क्या किया ?

श्री राम नरेश यादव--

आपातकाल में सरकारी विज्ञापन वितरण राज्य सरकार की तत्कालीन नीति के अनुरूप किया गया । जो अखबार आपातकाल स्थिति लागू होने के समय विज्ञापन सूची में थे और आपातकाल में बन्द हो गए उनको पुनः विज्ञापन शर्तों के अनुसार प्रकाशन करने पर विज्ञापन दिये जा रहे हैं । अन्य कोई मदद संभव नही है ।

लोक सेवा आयोग एक संविध संस्था (Statutory Body) है और अपने विज्ञापन सीधे जारी करते हैं ।

*५२--श्री श्रीराम द्विवेदी--

क्या सूचना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आपातकाल की घोषणा के दिनांक २६ जून, १९७५ को शासन द्वारा, किन-किन समाचार-पत्रों की मान्यता समाप्त की गयी ? क्या तरुण भारत' को शासन द्वारा पुनः मान्यता प्रदान की गयी ? यदि हां, तो लखनऊ से प्रकाशित होने वाले 'जनमोर्चा,' को मान्यता न देने का आधार क्या है ?

श्री राम नरेश यादव--

२६ जून, १९७५ को सूचना विभाग द्वारा किसी समाचार-पत्र की विज्ञापन मान्यता समाप्त नहीं की गयी ।

'तरुण भारत' समाचार-पत्र का प्रकाशन पुनः प्रारम्भ होने पर विज्ञापन मान्यता दी गयी ।

आपातकाल की घोषणा से पूर्व जनमोर्चा समाचार-पत्र दैनिक पत्र के रूप में विज्ञापनों के लिए स्वीकृत था । आपातकाल के बाद से जन मोर्चा समाचार पत्र का पुनः प्रकाशन साप्ताहिक समयावधि में हो रहा है । तरुण भारत आपातकाल से पूर्व और आपातकाल के बाद दैनिक समयावधि में ही प्रकाशित हुआ । अस्तु,

आपातकाल से पूर्व और बाद में भिन्न समयावधि में प्रकाशन के कारण 'जनमोर्चा' समाचार-पत्र को पूर्व स्वीकृत के आधार पर पुनः विज्ञापन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

*५३—श्री रवीन्द्र सिंह—

[४थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मैनपुरी जिले के ग्राम बाछ मई में श्री रमेश चन्द्र की हत्या

*५४—श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मैनपूरी, थाना सिरसागंज से ग्राम वाछमई में १८ जून को कुछ शस्त्र व्यक्तियों ने २२ वर्षीय रमेश चन्द्र पुत्र श्री मेवा राम की हत्या कर दी ? यदि हां तो अभी तक इस सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में दिनांक १६/१७ जून, १९७८ की रात्रि में थाना सिरसागंज, जनपद मैनपुरी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गई जिसके आधार पर थाना सिरसागंज पर धारा १४७/१४८/१४९/३२३/३०४ भा० दं० वि० का अपराध पंजीकृत किया गया, जिसमें विवेचना के उपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

*५५—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[४-४-७८ की अतारांकित प्रश्न संख्या १७ द्वारा उत्तरित]

बहराइच जिले के थाना नानपारा के थानाध्यक्ष की तस्करों से कथित सांठ-गांठ

*५६—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें किसी प्रकार की गुप्त सूचना किसी माध्यम से मिली है कि थाना नानपारा, जिला बहराइच के वर्तमान थानाध्यक्ष की तस्करों के किसी गिरोह से सांठ-गांठ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह—

जी नहीं ।

*५७—श्री मुनीन्द्र पाल सिंह—

[२-५-७८ की तारांकित प्रश्न संख्या ५ द्वारा उत्तरित]

*५८—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

आगरा जिले के ग्राम अकोला निवासी श्री छोटे लाल द्वारा थाना मलपुरा में लिखायी गयी रिपोर्ट

*५९—श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री छोटे लाल पुत्र श्री बख्शीराम, निवासी अकोला, थाना मलपुरा, जनपद आगरा ने बसन्तलाल गुप्ता,

श्री श्याम दत्त पालीवाल—

सुपरवाइजर, भुवेव शर्मा अमीन, शिवसिंह एकाउन्टेन्ट, याद राम चपरासी आदि के विरुद्ध २६ कुन्टल गेहूं ले लेने की रिपोर्ट थाना मलपुरा, जनपद आगरा में दिनांक २७ मई, १९७६ को लिखाई थी ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राम सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित मामले के सम्बन्ध में श्री छोटे लाल, निवासी ग्राम अकोला, जनपद आगरा के दिनांक ५-८-७८ के प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना मलपुरा आगरा पर धारा ४०९ भा० दं० वि० के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया। मामला सहकारिता विभाग से सम्बन्धित होने के कारण विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता कोष्ठ को हस्तान्तरित की गई। शासन द्वारा विवेचना शीघ्र पूर्ण करने की अपेक्षा की गई है।

इलाहाबाद जिले के थाना फूलपुर के दरोगा, श्री डी० पी० सिंह द्वारा श्री जावेद पर चलाई गयी गोली

*६०—श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २ जनवरी, १९७८ को करीब ४ बजे शाम थाना फूलपुर, इलाहाबाद के अन्तर्गत दरोगा श्री डी० पी० सिंह ने अपने रिवाल्वर से श्री जावेद विद्यार्थी को सड़क पर सरे आम ६ गोली मारी इसमें से ५ गोली उसके शरीर से होकर बाहर निकल गयी ? क्या यह सही है कि जावेद को गोली मार करके डी० पी० सिंह तथा दो सिपाही थाने भाग गए और जावेद को उसके सम्बन्धी इलाहाबाद अस्पताल ले गये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार मुकद्दमा धारा ४५७/३८० भा० दं० वि० में वांछित अभियुक्त खुरशीद एवं जावेद की गिरफ्तारी एवं उनके पास से चोरी के माल की बरामदगी के लिए उसके घर कस्बा फूलपुर में दिनांक २-१-७८ को एस० आई० श्री डी० पी० सिंह के दो कान्सटेबिलों के साथ पहुंचने पर उक्त अभियुक्तों एवं अन्य लोगों द्वारा गिरफ्तारी एवं तलाशी का विरोध तथा पुलिस पार्टी पर ईंट, पत्थर व बल्लम से वार किया गया जिससे तीनों पुलिसजनों को चोटें आयीं। अभियुक्त जावेद ने एस० आई० की रिवाल्वर छीनने का असफल प्रयास किया किन्तु वह रिवाल्वर की खोल व ६ कारतूस छीनने में सफल हुआ। अपनी तथा अपने साथियों की जान खतरे में होने के कारण एस० आई० ने आत्मरक्षार्थ अपने रिवाल्वर से ६ फायर किए जिससे जावेद घायल हुआ। घायल जावेद को अन्य अभियुक्तगण उठा ले जाने में सफल हुए तथा खुरशीद पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इस सम्बन्ध में एस० आई० द्वारा मु० आ० सं० ३ अन्तर्गत धारा १४७/१४८/३३२/३३६/३०७/३९४/२२४/२२५ भा० द० वि० तथा अभियुक्तों की ओर से श्री मुमताज अहमद द्वारा मु० आ० सं० ३-ए अन्तर्गत धारा ३०७ भा० दं० वि० कायम कराया गया। तीनों मुकद्दमों की विवेचना जारी है। मजिस्ट्रेट द्वारा भी जांच की जा रही है।

फैजाबाद जिले के थाना सम्मनपुर व बेवाना का भवन

*६१--श्री हरी राम वर्मा (जिला फैजाबाद) तथा श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में थाना सम्मनपुर तथा थाना बेवाना का सरकारी भवन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और क्या वर्ष १९७८-७९ में इनके बन जाने की सम्भावना है ?

श्री राम सिंह--

जी नहीं । थाना बेवाना का भवन निर्माण कार्य निर्माणाधीन है और इसके वर्ष १९७८-७९ में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है । थाना सम्मनपुर के लिए धनाभाव एवं भूमि की अनुपलब्धता के कारण भवन निर्माण का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है ।

इलाहाबाद जिले के ग्राम वीरापुर में डकैती तथा कु० मुन्नी निशा के साथ कथित बलात्कार की घटना

*६२--श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना फूलपुर, गांव वीरापुर, इलाहाबाद में ४ व ५ जुलाई की रात को ग्राम वीरापुर में डकैतों ने आकर गोली चलायी, दो औरतों को चोट पहुंचायी और एक कुमारी लड़की जिसका नाम मुन्नी निशा था डाकू लोग पकड़ कर ले गये थे और उसका शील भंग किया ? क्या यह सही है कि उक्त केस को अध्यक्ष थाना फूलपुर ने डकैती और शील भंग का केस न लिख करके उसको चोरी का केस लिखा ? क्या इसके विषय में मन्त्री महोदय को दिनांक १२ जुलाई, १९७८ को एक परिपत्र दिया गया तथा एस० एस० पी० इलाहाबाद, को दिनांक १३ जुलाई, १९७८ को लिखा गया ? यदि हां, तो सरकार की तरफ से थाने के खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में श्री राम देव यादव, निवासी ग्राम वीरापुर, जनपद, इलाहाबाद की लिखित सूचना के आधार पर थाना फूलपुर पर मु० अ० धारा ४५७/३८० भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया । प्रश्न में उल्लिखित शिकायतों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक ११-७-७८ के सम्बन्ध में जांच से उक्त घटना डकैती की ही पायी गयी अतः मुकदमा धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि० में परिवर्तित किया गया । जांच से दो महिलाओं के चोट आने की बात भी ज्ञात हुई किन्तु श्रीमती मुन्नी निशा के साथ बलात्कार किए जाने की बात असत्य पायी गयी । इस मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये पुलिस अधिकारी की पदावनति करके पुलिस लाइन्स हस्तान्तरित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है । उक्त घटना से सम्बन्धित मुकदमा विवेचनाधीन है ।

मंत्रियों की आचार संहिता में संशोधन किये जाने की मांग

*६३--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार मन्त्रियों के लिए एक नई आचार संहिता तथा विधायकों द्वारा उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की प्रारम्भिक जांच के लिए नई प्रक्रिया पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

जी नहीं, आचार संहिता में अभी किसी संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । विधायकों द्वारा मंत्रिमण्डल के सदस्यों के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच के सम्बन्ध में भी किसी नयी प्रक्रिया की आवश्यकता का अनुभव नहीं हुआ ।

श्री विद्या शंकर श्रीवास्तव अनुसचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के स्थानान्तरण का निरसन

*६४--श्री तेजभान सिंह (जिला सुल्तानपुर), श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़), श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़), बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद) तथा श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसचिव, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पेंशन एवं अनुदान विभाग (श्री विद्या शंकर श्रीवास्तव) को सरकार ने आपात स्थिति के दौरान इस विभाग से इसलिए स्थानान्तरण के आदेश दिये गए थे कि अनुदानों को स्वीकृत कराने में यह स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों से कमीशन लेते थे अथवा रुकावटें डालते थे ? अगर हां, तो स्थानान्तरण आदेश का कार्यान्वयन अभी तक क्यों नहीं हुआ ?

श्री राम नरेश यादव--

जी नहीं ।

श्री विद्याशंकर श्रीवास्तव, अनुसचिव गृह विभाग का स्थानान्तरण २२-४-१९७७ को तत्कालीन राज्य मंत्री, खाद्य एवं रसद तथा राजनैतिक पेंशन (सरदार कुलतार सिंह) के आदेशों पर किया गया था। उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी । ३०-४-१९७७ को भूतपूर्व मंत्रिमण्डल के पतन के पश्चात् राष्ट्रपति शासनकाल में तत्कालीन गृह सचिव के अनुरोध पर प्रशासकीय कारणों से उक्त स्थानान्तरण आदेश रद्द कर दिया गया ।

प्रतापगढ़ जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, श्री चन्द्र दत्त सेनानी के शिक्षा व चिकित्सा अनुदान का भुगतान

*६५--श्री तेजभान सिंह, श्री रामदेव, श्री संगम लाल, बाबा राम अधार यादव तथा श्री विद्या शंकर--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ के एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी जो आपात पीड़ित भी है (श्री चन्द्र दत्त सेनानी) को पूर्व सरकार ने अप्रैल, १९७७ में मुबलिग ३०० रु० शिक्षा अनुदान, १,००० रु० चिकित्सा अनुदान, ४०० रु० आर्थिक सहायता अनुदान कुल योग १,७०० रु० के अनुदान स्वीकृत किये थे ? अगर हां, तो क्या कारण है कि उसका भुगतान अभी तक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पेंशन एवं अनुदान विभाग ने नहीं किया है ?

श्री राम नरेश यादव--

कथित तीन प्रार्थना-पत्रों में भूतपूर्व शासन के समक्ष दो प्रत्यावेदन (१) शिक्षा अनुदान ३०० रु० और (२) चिकित्सा अनुदान १,००० रु० के लिये प्रस्तुत किये गये थे और प्राप्त हुये हैं, जिनका नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है । तीसरा प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

अतारांकित प्रश्न

भूतपूर्व पुलिस अधीक्षक, श्री ललित मोहन सिंह, जिला फतेहपुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

१—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व पुलिस कप्तान, फतेहपुर (श्री ललित मोहन सिंह) की शिकायतों की जांच सतर्कता आयोग कर रहा है ? यदि हां, तो मुख्य आरोप क्या हैं और उनकी पूर्ति कब तक होने की आशा है ?

श्री राम सिंह—

श्री ललित मोहन सिंह भूतपूर्व पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही है ।

श्री ललित मोहन सिंह की फतेहपुर जिले में नियुक्ति की अवधि में श्री सिंह के पुत्र द्वारा उसी जनपद में जीवन बीमा निगम की एजेन्सी चलाये जाने, श्री सिंह द्वारा कुछ उप निरीक्षक को निलम्बित करके बिना किसी कार्यवाही के बहाल किये जाने तथा उनके भ्रष्ट अधिकारी होने की शिकायतों को पुलिस महानिरीक्षक ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन से जांच करायी थी जांच पूरी हो गयी है और उसके आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

सह निदेशक, रेशम उद्योग, हल्द्वानी, नैनीताल का स्थानान्तरण एवं निलम्बन

२—श्री राम दत्त जोशी—

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके कार्यालय में दिनांक १३ अक्तूबर, १९७७ को सह-निदेशक (रेशम उद्योग), हल्द्वानी (नैनीताल) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप से सम्बन्धित कोई दरख्वास्त प्राप्त हुई है ? यदि हां तो उपरोक्त सह निदेशक जो विगत १० वर्ष से निरन्तर हल्द्वानी (नैनीताल) में ही तैनात चले आ रहे हैं उनको स्थानान्तरित न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री राम प्रकाश—

जी हां ।

सम्बन्धित सह-निदेशक (रेशम उद्योग) का स्थानान्तरण अप्रैल, १९७८ में हल्द्वानी (नैनीताल) से चमोली किया गया था किन्तु कार्यमुक्त होने के पूर्व ही एक अन्य शासनादेश द्वारा उन्हें सेवा से निलम्बित कर दिया गया है ।

उप पुलिस अधीक्षकों का पुलिस अधीक्षकों के पद पर प्रोन्नति

३—श्री हुकम चन्द तिवारी—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, १९७० से दिसम्बर, १९७७ तक कितने उप पुलिस अधीक्षकों को प्रोन्नति करके पुलिस अधीक्षक बनाया और उनमें से कितने विभाग द्वारा प्रोन्नति व कितने लोक सेवा आयोग (पी० सी० एस०) द्वारा चयन किए गये पुलिस अधीक्षक थे ?

श्री राम सिंह—

जनवरी, १९७० से दिसम्बर, १९७७ के बीच १०६ पुलिस उपाधीक्षकों को तदर्थ रूप से पुलिस अधीक्षक या उसके समकक्ष पद पर प्रोन्नत किया गया। बाद में इनमें से ४६ अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित हुए। शेष ६० अधिकारी तदर्थ रूप से ही प्रोन्नत रहे।

मथुरा जिले के थाना फरह की पुलिस द्वारा श्री ऊदल सिंह का चालान

४—श्री हुकम चन्द तिवारी—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या १४६ व १४६-ए, धारा ३९५/३९७ व ३९६ भा० दं० सं०, थाना फरह, जिला मथुरा की प्रथम सूचना (एफ० आई० आर०) दिसम्बर, १९७७ में अभियुक्त ऊदल सिंह, निवासी बेरी का नाम अंकित था ? यदि नहीं, तो उसका चालान उक्त अभियोग में किस साक्ष्य के द्वारा किया गया और धारा ६९ जाब्ता फौजदारी की रिपोर्ट कैसे दी गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार झूठा चालान करने वाले विवेचना अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार अपराध संख्या १४६ एवं १४६-ए नहीं अपितु दिनांक ७-१२-७७ को थाना फरह पर अपराध संख्या २४६ एवं २४६-ए क्रमशः धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि० व धारा ३९६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये। उक्त अपराधों की विवेचना के दौरान गिरफ्तार किये गये एक अभियुक्त ने ऊदल सिंह को भी उक्त अपराधों में शामिल होना बतलाया। अप० सं० २४६-ए की शिनाख्त कार्यवाही में ऊदल सिंह की किसी गवाह द्वारा सही शिनाख्त न होने के कारण उसे धारा १६९ दं० प्र० सं० के अन्तर्गत मुक्त किया गया।

मथुरा जिले में मोम का आवंटन

५—श्री हुकम चन्द तिवारी—

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के अन्तर्गत दिनांक १७ जुलाई, १९७७ से १५ मार्च, १९७८ तक कितने मोम उद्योग के लिए प्रार्थना-पत्र पंजीकृत किए गए और कितने प्रार्थियों को मोम का कोटा प्रदान किया गया ?

श्री राम प्रकाश—

मथुरा जनपद में दिनांक १७-७-७७ से १५-३-७८ तक केवल १० इकाइयों को उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग के अन्तर्गत आयातित मोम के लिये पंजीकृत किया गया। जिसमें से किसी को भी मोम का आवंटन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त देशी मोम के लिये पंजीकृत ८ पुरानी इकाइयों के प्रार्थना-पत्र इसी अवधि में प्राप्त हुये, जिन्हें शासन की नीति के अनुसार मोम का आवंटन कर दिया गया है।

कानपुर जिले में उद्योग विभाग के ऋण की वसूली

५--(क) श्री हुकम चन्द तिवारी--

क्या उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि कानपुर नगर में दिनांक २० अगस्त, १९७७ से २० फरवरी, १९७८ तक उद्योग विभाग का कितना ऋण शेष था और उसमें कितना वसूल हुआ और कितने फर्मों की वसूली आदेश स्थगित किए गए तथा यह भी बताया जाय कि जिन फर्मों व प्रार्थियों की वसूली रोकी गयी है उनके बिक्री-कर का रुपया जमा हुआ या नहीं ?

श्री राम प्रकाश--

कानपुर नगर में २०-८-७७ को उद्योग विभाग का ३३·०९ लाख रुपया का ऋण देय था और २०-८-१९७७ से २०-२-१९७८ तक उसमें से ४·१९ लाख रुपया वसूल हुआ। ४३ फर्मों के वसूली आदेश स्थगित किये गये।

जिन फर्मों व प्रार्थियों की वसूली रोकी गई है उनमें से ८ फर्मों का रुपया १,८३,६७४·१३ पैं० बिक्री कर का बकाया है और वह अभी तक जमा नहीं किया गया है। शेष ३० फर्में बिक्री-कर के रिकार्ड पर नहीं हैं। ३ फर्मों पर कोई बकाया नहीं है। एक फर्म बिक्री-कर के रिकार्ड पर तो है परन्तु कर योग्य नहीं है। एक फर्म २८-१-१९७५ से बन्द है, जिसका वर्ष १९७४-१९७५ के केस का निस्तारण अभी नहीं हुआ।

आपातकाल में बलिया जिले के ग्राम मधुबनी के श्री हरि प्रसाद सिंह के सामान की कुर्की

६--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में ग्राम मधुबनी, थाना बैरिया, निवासी श्री हरिप्रसाद सिंह जो कि आपातकालीन स्थिति के दौरान लोक नायक जय प्रकाश के आवाहन पर भूमिगत रह कर आन्दोलन चला रहे थे, उनके घर पर हुई कुड़की (अगस्त, १९७५ में किसी दिन) में क्या-क्या सामान जब्त किया गया तथा आपातकालीन स्थिति के बाद वारन्ट रद्द होने पर उसमें से (जब्त सामान में से) क्या-क्या सामान वापस कर दिया गया है ? जो सामान वापस नहीं किया गया उसे वापस दिलाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हां, संलग्न सूची में उल्लिखित जानवर तथा सामान कुर्क किया गया था। कुर्क किये गये जानवरों को छोड़ कर अन्य सामान वापस कर दिया गया है। जानवरों के बाबत श्री हरि प्रसाद राय ने स्वयं ही मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, पश्चिमी बलिया के न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है। अतः शासन द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न अभी नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९०७ पर।)

राजकीय मुद्रणालय, रामपुर में नियुक्त किये गये विभिन्न जाति के अभ्यर्थी

७--श्री मन्जूर अली खां (जिला रामपुर) तथा श्री मकबूल अहमद (जिला रामपुर)--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर में राजकीय मुद्रणालय में पिछले तीन वर्षों में कितने पदों की स्वीकृति प्रदान की गई और उनमें से कितने पदों पर नियुक्तियां की गईं ? यह नियुक्त किए गए व्यक्ति किन-किन जिलों के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हैं । इनमें से कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो जनपद रामपुर के निवासी हैं और कौन-कौन अन्य जनपदों के निवासी हैं और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके परिवार की भूमि प्रेस के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई थी, इनमें से कितने सवर्ण जाति, कितने पिछड़ी जाति, कितने अनुसूचित जाति एवं कितने अल्प-संख्यक जातियों के लोग हैं ?

श्री राम प्रकाश--

जनपद रामपुर में राजकीय मुद्रणालय में पिछले तीन वर्षों में २३१ पदों की स्वीकृति प्रदान की गई इनमें से १९३ पदों पर नियुक्तियां की गईं । नियुक्त किए गए व्यक्तियों में से १४६ व्यक्ति रामपुर, ७ मुरादाबाद, २ नैनीताल, ५ बरेली तथा १ बदायूं जिलों के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत थे । शेष ३२ व्यक्तियों में से २१ व्यक्ति अन्य शाखा मुद्रणालयों से स्थानान्तरित किए गए हैं, ९ व्यक्ति विज्ञापन के माध्यम से नियुक्त किए गए हैं तथा १ व्यक्ति दूसरे राजकीय विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आया है तथा १ व्यक्ति छटनी शुदा कर्मचारी है । अतः इन ३२ व्यक्तियों के पंजीकृत होने का प्रश्न नहीं उठता । इनमें से रामपुर के १०२, इलाहाबाद ११, लखनऊ २, नागपुर १, मुरादाबाद ७, बरेली ४, बदायूं १, अल्मोड़ा ४, पौड़ी-गढ़वाल २, पीलीभीत १, गढ़वाल १, आजमगढ़ २, गोरखपुर १, दिल्ली १, बांदा १, बुलन्दशहर १, फर्रुखाबाद १, रुड़की १, पिथौरागढ़ २, बिजनौर १, जालंधर १, ४५ कर्मचारी रामपुर के अस्थाई निवासी हैं । किसी व्यक्ति की भूमि प्रेस के भवन के निर्माण हेतु अधिग्रहीत नहीं की गई थी । नियुक्त किए गए कर्मचारियों में से २१ पिछड़ी, २४ अनुसूचित, ७१ अल्प संख्यक तथा ७७ अन्य जाति के हैं ।

पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय में हुए गोली काण्ड में देवरिया जिले के मृत व्यक्तियों के आश्रितों को दिया गया अनुग्रह अनुदान और पेन्शन दिये जाने की मांग

८--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १३ अप्रैल, १९७८ को पन्तनगर (नैनीताल) कृषि विश्वविद्यालय गोली काण्ड में देवरिया जनपद के कितने लोग मरे, कितने आहत हुए तथा मृत व्यक्तियों के परिवार को कितना मुआवजा दिया गया ?

श्री राम सिंह--

दिनांक १३ अप्रैल, ७८ को पन्तनगर (नैनीताल) कृषि विश्वविद्यालय गोली काण्ड में देवरिया जनपद के छः लोगों की मृत्यु हुई थी तथा छः लोग आहत

हुए थे । उक्त मृत व्यक्तियों में से पांच के आश्रितों को पांच हजार रुपये प्रति परिवार की दर से अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जा चुका है । शेष एक मृतक के आश्रितों को भुगतान हेतु जिला अधिकारी देवरिया को पांच हजार रुपये भेज दिये गय हैं ।

९--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि मृतकों की विधवाओं तथा अन्य आश्रितों को असाधारण पेन्शन स्वीकृति की जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

मृतकों की विधवाओं तथा अन्य आश्रितों को किसी प्रकार की पेंशन स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

बरेली जिले के एस० पी० पी०, श्री श्याम नारायण सिंह के स्थानान्तरण की मांग

१०--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या गृह मंत्री कृपया बताएंगे कि एस० पी० पी० (श्री श्याम नारायण सिंह) बरेली में ही दस वर्ष से हैं जिसके कारण जातिवाद को प्रोत्साहन मिल रहा है तथा उनके विरुद्ध कई विधायकों ने शिकायत भी लिखित रूप से दिसम्बर, १९७७ एवं जनवरी, १९७८ में किया है ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह--

श्री श्याम नारायण सिंह बरेली में दिनांक १६-६-७० से अभियोजन अधिकारी पद पर तथा दिनांक १-७-७६ से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी पद पर कार्यरत हैं । उनका बरेली से स्थानान्तरण किया जा रहा है । उनके विरुद्ध विधायकों द्वारा गत अप्रैल, मई में की गई शिकायतों की जांच कराई जा रही है ।

११--श्री राम सजीवन--

[५वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

१२--श्री राम आसरे वर्मा--

[५वें गुरुवार मे अतारांकित प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

इलाहाबाद जिले के ग्राम निविया में अग्नि-दुर्घटना और दी गयी सहायता

१३--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सरकार को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद के मेजा थानान्तर्गत ग्राम निविया में मई, १९७८ के अन्तिम सप्ताह में आग लग जाने से सात बालक जल मरे हैं ? यदि हां, तो शासन ने क्या राहत कार्य किया ?

श्री राम सिंह--

२९ मई, १९७८ को एक अग्नि दुर्घटना हुई थी किन्तु इस दुर्घटना में किसी बालक की मृत्यु नहीं हुई । तथापि, इस दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को सहायतार्थ ४०० रु० गृह निर्माण एवं २६० रु० अहैतुक सहायता के रूप में वितरित किया गया ।

पडरौना तहसील में अग्निकान्ड एवं फायर ब्रिगेड की व्यवस्था

१४--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि जनवरी, १९७७ से मई, १९७८ तक पडरौना तहसील में अग्निकान्ड की लगभग ७० घटनायें घटित हुईं तथा तीन हजार झोपड़ियां स्वाहा हुईं एवं पचास लाख की क्षति हुई ? यदि हां, तो पडरौना तहसील मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाएगी ?

श्री राम सिंह--

इस अवधि में देवरिया के तहसील पडरौना में कुल ३६८ अग्निकान्ड की दुर्घटनाएं हुईं जिनमें २०८२ परिवार प्रभावित हुए तथा ४१,६२,९४७ रु० की अनुमानित क्षति हुई । इस तहसील में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था किए जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

मेरठ जिले के ग्राम डिकोली के श्री रमजान की हत्या

१५--श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतक रमजान, ग्राम डिकोली, थाना मवाना (मेरठ) के बाप मो० सद्दीक ने थाना मवाना में दिनांक २४ मई, १९७८ को कोई रिपोर्ट लिखाई है ? रिपोर्ट क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम सिंह--

श्री सद्दीक द्वारा दिनांक ६-६-७८ को थाना मवाना मेरठ पर अपने पुत्र श्री रमजान को प्रहलाद व अशोक द्वारा दिनांक २४-५-७८ को घर से बुलाकर ले जाने व पुत्र के वापस न आने आदि के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी गई । वादी के पुत्र श्री अनवर ने दिनांक १२-६-७८ को थाना मवाना पर उपरोक्त दोनों अभियुक्तों एवं अवधेश तथा बाबू द्वारा श्री रमजान को धोखा देकर शराब पिलाकर नशे में मारकर नहर में डालने की सूचना अंकित कराई ।

अभियोग की विवेचना के उपरान्त चारों अभियुक्तों का चालान न्यायालय द्वारा किया जा चुका है ।

श्री राजेन्द्र सिंह फर्राश, दारुलशफा द्वारा लिखाई गई थाने में रिपोर्ट

१६--श्री मन्जूर अहमद--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजेन्द्र फर्राश ने थाना हजरतगंज, लखनऊ में दिनांक १४ जून, १९७८ को क्या कोई रिपोर्ट लिखाई है ? यदि हां, तो मुलजिमान कौन हैं और अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री हीरा लाल, जो दारुलशफा में फर्राश है, ने दिनांक १४ जून, १९७८ को सर्वश्री बनारसी दास चांदना, एम० एल० ए०, एक व्यक्ति शर्मा तथा राम सूरत चौरसिया के विरुद्ध मारने पीटने की रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर धारा ३२३/३४२ भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत थाना हजरतगंज लखनऊ में अभियोग कायम हुआ । सम्बन्धित अभियोग

की विवेचना से श्री चांदना के विरुद्ध कोई साक्ष्य प्राप्त न हो पाने तथा दूसरे व्यक्ति श्री शर्मा का सही नाम व पता मालूम न हो पाने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी । तीसरे व्यक्ति श्री राम सूरत चौरसिया के विरुद्ध आरोप पत्र १६-८-७८ को न्यायालय भेजा जा चुका है ।

सीतापुर नगर में हैन्डलूम उद्योग की स्थापना की मांग

१७--राजन्द्र कुमार गुप्त--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर नगर में हैन्डलूम उद्योग की कोई इकाई अथवा कामप्लेक्स बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ? उसका कार्यान्वयन कब तक पूर्ण हो जाएगा ?

श्री राम प्रकाश--

ऐसी कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है ।

हमीरपुर जिले में उद्योग धन्धों हेतु आवंटित धनराशि एवं कथित फर्जी उद्योग धंधा

१८--श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद हमीरपुर के लिए वित्तीय वर्ष १९७७-७८ में कितना धन संस्थागत व व्यक्तिगत उद्योग धंधों के लिए अलग-अलग स्वीकृत व वितरित किया गया ? ये धंधे कौन-कौन से हैं तथा उनकी अलग-अलग स्वीकृत धनराशि क्या है ?

श्री राम प्रकाश--

हमीरपुर जनपद में वर्ष १९७७-७८ में संस्थागत उद्योग धंधों के लिए २,९१,६५० की धनराशि स्वीकृत की गई तथा १,४८,९०० रु० की धनराशि वितरित की गई व व्यक्तिगत उद्योग धंधों के लिए २,०१,२५० रु० की धनराशि स्वीकृत की गई तथा १,८४,२५० रु० की धनराशि वितरित की गई ।

विभिन्न उद्योग धंधों के लिए जितनी धनराशि अलग-अलग स्वीकृत की गई उसका विवरण निम्नलिखित है :--

क्रं० सं०	उद्योग का नाम	स्वीकृत धनराशि	
		ऋण	अनुदान
१	कुम्हार गीरी	३३,३५०·००	१८,८५०·००
२	साबुन	३१,५००·००	६,७००·००
३	चर्म	१,०९,८००·००	१४,५००·००
४	ताड़गुड़	६,५००·००	१,०००.००
५	अनाज दाल प्रशोधन	९,५००·००	..
६	काष्ठ एवं लौह कला	३५,५५०·००	६,५५०·००
७	ग्रामीण तेल	७०,८५०·००	२,८५०·००
८	खादी	९३,०००·००	२५०·००
९	गुड़ खान्डसारी	४,५१,७५०·००	६,९७५·००
		४,३५,२२५·००	५७,६७५·००

१९--श्री ओंकार नाथ--

इन उक्त धन्धों में कितने फर्जी हैं ? यदि हां, तो उनमें से कितने के विरुद्ध धन वसूली आदि की कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो इस प्रश्न को आधार मानकर क्या किसी उच्चाधिकारी से इस तथ्य की जांच कराने को शासन तैयार है ?

श्री राम प्रकाश--

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष ७७-७८ में जिन उद्योग धंधों के लिए धनराशि स्वीकृत एवं वितरित की गई है, उसमें से कोई फर्जी नही है। अन्य का प्रश्न नहीं उठता ।

हमीरपुर जिले में आग्नेयास्त्रों हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र

२०--श्री ओंकार नाथ--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि १ जून, १९७७ से ३१ मई, १९७८ तक जनपद हमीरपुर में आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स के कितने प्रार्थना-पत्र दिए गए ? उनमें से कितने स्वीकृत हुए तथा कितने निरस्त तथा कितने विचाराधीन शेष हैं ? जो प्रार्थना-पत्र इस अवधि में विचाराधीन पड़े हैं उन्हें निर्णित न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह--

इस अवधि में २,८३२ प्रार्थना-पत्र आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स हेतु दिए गए । इनमें से १८३ स्वीकृत हुए, ३४ निरस्त किए गए तथा शेष २,६१५ विचाराधीन है । ये विचाराधीन प्रार्थना-पत्र आवश्यक जांच पूरी न हो सकने के कारण निर्णीत नहीं किए जा सके ।

२१-२२--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[४थे मंगलवार के लिए स्थगित ।]

आजमगढ़ जिले के ग्राम काहेनपुर के श्री राम देव द्वारा थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट

२३--श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के ग्राम हरैया, थाना कोतवाली के निवासी श्री रामदेव पुत्र नैपाल और श्री राम चन्द्र सिंह ने उपरोक्त थाने में दिनांक ६ दिसम्बर, १९७५ ई० को कोई एफ० आई० आर० दर्ज कराया है ? अगर कराया है तो वह क्या है और उस पर अब तक सरकार ने कौन-कौन सी कार्यवाही की है ?

श्री राम सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार केवल श्री रामदेव पुत्र श्री नैपाल निवासी ग्राम काहेनपुर ने एफ० आई० आर० दर्ज कराई । प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार ५ नामजद अभियुक्तों ने वादी को मारा पीटा । विवेचनोपरान्त जुर्म धारा १४७-१४८/३२३/३२५ भारतीय दंड विधान का सिद्ध पाकर पांचों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

२४—श्री राम आसरे वर्मा—

[४ थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्री शतेन्द्र कुमार निवासी महानगर, लखनऊ द्वारा थानाध्यक्ष, महानगर को दिया गया प्रार्थना-पत्र

२५—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री शतेन्द्र कुमार निवासी सी०-५ एच० पार्क महानगर विस्तार, लखनऊ ने ५ मई, १९७८ को एक तहरीर थानाध्यक्ष महानगर, लखनऊ के नाम दी, जिसमें अपने ऊपर हुए हमले का बयान करते हुए जान माल की रक्षा की भी मांग की ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम सिंह—

जी, हां ।

जांच से प्रार्थना पत्र में अंकित आरोप प्रमाणित न होने तथा पेशबन्दी में लगाये जाने के कारण कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी ।

जिला सेशन कोर्ट्स में नियुक्त किये गये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभिवक्ता

२६—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस वर्ष जिला सेशन कोर्ट्स में काम करने के लिए कितने अधिक वक्ताओं की नियुक्ति की गयी है ? उन अधिवक्ताओं में से कितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के अधिवक्ता हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इस वर्ष १५-८-१९७८ तक जिला सेशन कोर्ट्स में कार्य करने के लिये १५६ शासकीय अभिवक्ताओं की नियुक्तियां की गईं । इनमें से ८ अनुसूचित जाति के अभिवक्ता हैं । अनुसूचित जनजाति के किसी अभिवक्ता की नियुक्ति इन पदों पर नहीं की गई है ।

आगरा जिले के मुन्डापाड़ा निवासी श्री यूसुफ का अपहरण

२७—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि ९ मार्च, १९७८ को आगरा के थाना रकाबगंज स्थित मुन्डापाड़ा के राजनीतिक कार्यकर्ता श्री यूसुफ का रहस्यमय ढंग से अपहरण किया गया ? यदि हां, तो रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं ? क्या यह भी सही है कि २० फरवरी, १९७८ को उक्त थाने के ही मान्टोला में तथा २ अप्रैल, १९७८ को नाई मन्डी में स्थानीय पुलिस ने जनता पर ज्यादतियों एवं अत्याचार का सिलसिला चलाया जिसकी शिकायतें ए० डी० एम० (सिटी) को की गई यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह—

श्री यूसुफ के कथित अपहरण के मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

प्राप्त सूचना के अनुसार नाई की मन्डी आगरा के निवासीगण का एक शिकायती पत्र जिला अधिकारी आगरा को प्राप्त हुआ है जिसकी जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है। मोहल्ला मान्टोला के निवासीगण का कोई प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ है।

उप पुलिस अधीक्षकों तथा निरीक्षकों की सी० आई० डी० व अभिसूचना शाखा से सिविल पुलिस में स्थानान्तरण

२८--श्री मंजूर अली खां तथा श्री मकबूल अहमद--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९७७ से अब तक पुलिस विभाग के कौन-कौन उप-पुलिस अधीक्षक तथा इन्स्पेक्टर सी० आई० डी०, विजीलेन्स तथा अन्य अभिसूचना शाखा का कार्य करने वाले को सिविल पुलिस में स्थानान्तरित किया गया और वे कितने-कितने दिनों से सी० आई० डी० विजीलेन्स तथा अन्य शाखा में कार्य कर रहे थे ?

श्री राम सिंह--

उ० पुलिस अधीक्षकों तथा निरीक्षकों से सम्बन्धित वांछित सूचना क्रमशः †संलग्न तालिका 'क' तथा 'ख' में दी हुई है।

गोंडा जिले के थाना करनैलगंज में श्री राम प्रजलित दुबे के विरुद्ध अंकित अपराध

२९ --श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)--

क्या गृह मन्त्री को इस बात की सूचना है कि थाना करनैलगंज, जिला गोंडा में अपराध संख्या १३१/७८ धारा ४२०/४६७/४६८ भारतीय दन्ड विधान के तहत राम प्रजलित दुबे व अन्य ६ व्यक्तियों के विरुद्ध करीब दो लाख रुपए गन्ना पेराई की धोखाधड़ी के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज हुई है ? अगर हां, तो सरकार अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम सिंह--

जी हां। मुकदमा विवेचनाधीन है।

३०--श्री मुहम्मद रफी खां--

[४ थे मंगलवार के लिए स्थगित।]

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

कार्यक्रम के बारे में, जो आज का है आप पूछ सकते हैं या कहीं पर यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है या असंगत है तो कार्य विन्यास के बारे में कोई बात कह सकते हैं।

†छापी नहीं गई।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

माननीय, मैंने एक प्रश्न ५ जून, १९७८ को दिया था जिसमें पूछा था कि क्या राम पांडेय नामक व्यक्ति को २० सूत्रीय कार्यक्रम पर फिल्म बनाने हेतु सरकार द्वारा ५ लाख रुपया दिया गया है। यह प्रश्न अल्पसूचित प्रश्नों में स्वीकार किया गया था लेकिन अब यह तारांकित प्रश्नों में आया है और मुझे यह सूचना मिली कि सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आपने मेरी जानकारी में ला दिया। मैं जांच करूंगा कि क्यों विलम्ब हुआ है।

आचार्य धर्मदत्त वद्य (जिला बरेली)--

माननीय, नियम यह है कि प्रश्नों के संशोधित उत्तर प्रश्नोत्तर काल के बाद ही आते हैं। लेकिन आज नत्थी (ग) में दिया हुआ संशोधित उत्तर बीच में ही ले लिया गया है। इससे हमारे माननीय सदस्यों का समय कम हो जाता है। मैं चाहता हूं कि इस पर आप व्यवस्था दें कि संशोधित उत्तर बाद में ही आया करें।

श्री अध्यक्ष--

जो आपने कहा उसमें थोड़ा भ्रम है। अनुपूरक प्रश्नों के संशोधित उत्तर बाद में आने चाहिए, लेकिन यदि मूल प्रश्न के मूल उत्तर में कोई त्रुटि हो तो उसका संशोधन इसी प्रकार पहले आता है। इस बारे में मैं आपसे अपने कक्ष में बात कर लूंगा यदि इसमें कोई भूल हुयी है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

माननीय, प्रश्नोत्तर काल में माननीय राम आसरे वर्मा ने आपसे यह कहा था कि अनुपूरक प्रश्न न पूछने देने में उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं और कुछ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया। उस समय प्रश्नोत्तर काल चल रहा था। उस समय मैं आपका ध्यान आकृष्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि यह समय माननीय सदन के सदस्यों का बहुमूल्य समय होता है लेकिन यह कार्यवाही का पार्ट न रहे। इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो मैंने सुना उसमें कई असंसदीय शब्दों का माननीय सदस्य ने प्रयोग किया। इसलिए आप कार्यवाही को देखकर उसको निकलवा दें ?

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

जहां तक मुझे स्मरण है मैंने कोई असंसदीय बात नहीं कही और अगर कोई निकली हो तो बता दें ? मैंने केवल अनुचित शब्द कहा है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह बता दूं कि अध्यक्ष रूलिंग्स के पृष्ठ ५७६ पर साफ लिखा है कि यह शब्द अनुचित है। अध्यक्ष के निर्णय को "अनुचित" कहना असंसदीय है। १० फरवरी, १९५६ को श्री झारखन्डे राय ने निम्न कथन के साथ सदन का त्याग किया--

[श्री कल्पनाथ सिंह]

"दूसरे काम रोको प्रस्तावों के विषय में मैं नहीं जानता, लेकिन "सब धान बाइस पसेरी" वाला हिसाब उचित नहीं है, इसलिये मैं आपके निर्णय का विरोध करता हूं और विरोध स्वरूप एक घंटे के लिये सदन का परित्याग करता हूं ।

इस पर श्री अध्यक्ष ने उनसे कहा—

आप मेरे निर्णय पर 'अनुचित' शब्द कह कर सीमा के बाहर चले गये ।"

तो अध्यक्ष के निर्णय को "अनुचित" कहना असंसदीय माना गया है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के सम्बन्ध में पहले भी माननीय नेताओं से विचार-विमर्श हुआ है । इसमें यह बड़ी विडम्बना है कि एक ओर तो माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनके अधिक से अधिक प्रश्न लिये जायें और दूसरी ओर एक ही प्रश्न को लेकर के काफी समय उसी पर अनुपूरक प्रश्न करना चाहते हैं और जब मैं दूसरे प्रश्न को लेता हूं तो खड़े होकर अनुरोध करते हैं कि और प्रश्न पूछने दिये जायें । मैंने पहले भी कहा था कि प्रश्नकर्ता को साधारणतया मैं दो अवसर देता हूं । श्री रामआसरे वर्मा को मैंने एक अवसर दिया, दूसरी बार वे बैठ गये । अगर वे दोबारा खड़े होते तो मैं उनको अवसर देता । अब इस तरह से प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रश्नों के समय व्यवधान डालना और उस पर व्यवस्था का प्रश्न खड़ा करना यह नियमावली में वर्जित है । प्रश्नों के समय कोई व्यवस्था नहीं होना चाहिये । यह एक घंटे का समय आपका ही मूल्यवान समय होता है । इसका सही तरीके से पूरा इस्तेमाल होना चाहिये । माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जिस बात की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया मैंने उसे देखा, वह सही है । इसलिये इस शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

प्रश्नों के समय में या उस सम्बन्ध में यहां रोज व रोज इस तरह के प्रश्न उठाकर सदन का समय नष्ट होता है । जब नियमावली में स्पष्ट है तो सदन का समय उसके लिये नष्ट नहीं करना चाहिये । इस सम्बन्ध में आपके कक्ष में बात हो सकती है ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय कल्पनाथ सिंह जी आपके कक्ष में जाकर बात कर सकते थे ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो व्यवस्था का प्रश्न था । चौहान जी ने जो आपत्ति उठाई है, वह ठीक ही है । मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि और आप भी लाबी में माननीय सदस्यों को समझायें, प्रश्नों के सम्बन्ध में अगर किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति है तो वे मुझसे कक्ष में आकर बात कर लिया करें, यहां उसे नहीं उठाना चाहिये । यहां उसे उठाना नियमों के विरुद्ध है । मैं तो बार-बार माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहता हूं । फिर जहां प्रश्नों के बारे में असंतोष हो, उसके लिये नियम ४९ भी मौजूद है । फिर यहां बिना पत्रावली देखे में कोई उत्तर भी नहीं दे सकता हूं । इसलिये मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य प्रश्नों के विषय में मुझसे मेरे कक्ष में ही आ कर बात कर लिया करें ।

सीतापुर जनपद के ब्लाक महमूदाबाद के कतिपय ग्रामों में कालरा के प्रकोप के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । ब्लाक महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में भीषण कालरा का प्रकोप बढ़ता जा रहा है । एक सप्ताह पहले ग्राम उनेरा में दो हरिजन महिलाओं की मृत्यु कालरा से हो गयी थी । इसी सप्ताह ग्राम सादीपुर में दो दिन में छः व्यक्तियों को कालरा के प्रकोप से अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा । अनेकों व्यक्ति और कालरा के शिकार हो चुके हैं । किसी प्रकार निकटवर्ती चिकित्सकों के यहां भागने पर प्राणों की रक्षा हो सकी । इसी ब्लाक से अन्य गावों से कालरा के प्रकोप से शिकार हुए व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं । बहुत प्रयास करने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुरबल के डाक्टर ने आज तक कोई भी व्यवस्था न की । क्षेत्र की जनता कालरा के भय से निराश हो रही है । सरकार की ओर से जनता में घोर निराशा की भावना बढ़ती जा रही है । सभी में भय व्याप्त हो गया है कौन व्यक्ति इस भीषण बीमारी से किस समय शिकार हो जाय । महोदय, यदि उचित व्यवस्था अविलम्ब न हो सकी तो क्षेत्र में बहुत ही जन-धन की क्षति की आशंका है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व पूर्ण प्रश्न को आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाकर उचित रोकथाम की अविलम्ब व्यवस्था की सरकार से अपेक्षा करता हूं ।

ग्राम बघोना, जिला लखनऊ में अतिवृष्टि के कारण एक मकान गिरने से दो व्यक्तियों की मृत्यु तथा अन्य के घायल होने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान मे लाना

*श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन तथा सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

दिनांक १६-८-७८ को रात्रि में करीब ८ बजे ग्राम बघोना, तहसील मोहनलाल-गंज, जिला लखनऊ में अतिवृष्टि के कारण अहरवादीन व राजा राम पुत्रगण राम नरायन बढ़ई के मकान गिर जाने के परिणाम स्वरूप अहरवादीन का पुत्र राम औतार उर्फ मलखान मलबे से दब जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया जिसको अस्पताल जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गयी तथा राजा राम व उनकी पत्नी एवं ९ वर्षीय पुत्री शशि मलबे में दब गये थे जिनमें से शशि की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गयी तथा राजाराम व उनकी पत्नी को मलबे से निकाल कर बलरामपुर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जिनकी भी हालत चिन्ताजनक है । इस घटना से सम्पूर्ण ग्राम में भय तथा चिन्ता व्याप्त हो गयी है । संबंधित परिवार के लोगों की आर्थिक स्थिति बड़ी ही दयनीय है जिनको तुरन्त आर्थिक सहायता की नितांत आवश्यकता है तथा अस्पताल में भर्ती राजाराम व उनकी पत्नी को विशेष चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सन्त बख्श रावत--]

अतः उपरोक्त परिस्थिति में माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये माननीय स्वास्थ्य मंत्री से आपके माध्यम से अविलम्ब वक्तव्य देने की मांग करता हूं ।

ग्राम पृथीपुर, जिला बिजनौर में विद्युत् कर्मचारियों द्वारा विद्युत कनेक्शन देने में गड़बड़ी के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री मंगलराम प्रेमी (जिला बिजनौर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा गांव पृथीपुर पो० दारानगरगंज, जिला बिजनौर, ब्लाक खारीझारो हलदौर का ग्रामीण विद्युतीकरण अगस्त, १९७७ में हुआ था जिसमें कुछ हरिजनों के कनेक्शन भी थे वह कनेक्शन ७-८-७८ को लगाने के लिए मेरे गांव पृथीपुर में दो कर्मचारी गये जिनका नाम मैं नहीं जानता । उन्होंने कनेक्शन बहुत ही गलत लगाये हैं और वहां जिन हरिजनों के कनेक्शन लगे हैं, उनसे विद्युत कर्मचारी ने पैसे भी लिये और जिन्होंने नहीं दिये उनसे चिढ़कर समस्त गांव को बरबाद करने की नीति अपनाई है पता नहीं उन्होंने ग्राम के बाहर जो डबल पोल है उस पोल में क्या कमी की है जिसकी वजह से ग्राम के तमाम पोलों में बिजली फैल गयी है । पोल के रोकने वाले तनाव थे उनमें भी बिजली आ गयी है जिसकी वजह से मेरे ही पौत्र जिसकी उम्र १८ वर्ष है बिजली ने पकड़ लिया और २० मिनट तक लड़का जमीन में अचेत पड़ा रहा है । बड़ी मुश्किल से गांव वाले भागे और तमाम आदमियों ने परेशानी महसूस की। एक आदमी भाग कर डबल पोल पर गया और लाइन काटी तब मेरे पौत्र राम सिंह की मुश्किल से जान बची ।

यह लड़का राजा ज्वाला प्रसाद आर्य इन्टर कालेज, बिजनौर में कक्षा १० का छात्र है ।

अन्त में मैं आपके माध्यम से माननीय सबंधित मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि कृपया वे इस ओर तुरन्त ध्यान दें और इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी व कर्मचारी जो बिजनौर के हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठावें जिससे कि जनता में फैला असंतोष शान्त हो सके । कष्ट के लिए मैं आपका आभारी रूंगा ।

निर्धन निकेतन आश्रम, हरिद्वार के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत स्वीकार की गयी सूचना पर आपत्ति

श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)--

मान्यवर, निवेदन है कि शून्य प्रहर तथा सदन की सामान्य कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व निम्नलिखित विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :

दिनांक २८-४-७८ को माननीय सदस्य विधान सभा श्री शतरुद्र प्रकाश ने नियम ३०१ के अधीन यह तथ्य माननीय सदन में रखे थे कि निर्धन निकेतन-हरिद्वार, जिला सहारनपुर तथा उसके संचालक ने चार हरिजन महिलाओं का अपहरण किया, इन महिलाओं को आश्रम में छिपाकर रखा, इन महिलाओं की महन्त जी ने हत्या की और मूर्ति की तस्करी के आरोप भी लगाये ।

परंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। माननीय सदस्य को कुछ भी जानकारी आश्रम के बारे में नहीं है और उन्होंने किसी के बहकावे में आकर असत्य भाषण सदन में करके सदन को गुमराह किया है।

यह चूंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र का विषय है। अतः मैं इस विषय में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं और सदन में उपरोक्त माननीय सदस्य द्वारा फैलाये गये भ्रांति के बादलों को हटाना चाहता हूं।

निर्धन निकेतन आश्रम हरिद्वार १२ वर्षों से स्थापित एक मान्य संस्था है। इसकी स्थापना पंजाब, उत्तर प्रदेश के धार्मिक व्यक्तियों ने धर्मार्थ रूप में की है। इसकी एक प्रबंध समिति और एक ट्रस्ट है।

आश्रम में एक संस्कृत महाविद्यालय, एक विद्यालय और एक चिकित्सालय है। जहां निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और चिकित्सा की जाती है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, यह अविलंबनीय लोक महत्व का प्रश्न कैसे हो गया ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ? व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय शतरुद्र प्रकाश ने एक सूचना माननीय सदन को दी। वह सूचना सरकार के पास भेजी गयी होगी। सरकार ने उसकी जांच की होगी। जो जांच की होगी, अगर असत्य है तो सरकार सूचित करेगी। सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गयी है। एक माननीय सदस्य ने किसी बाहर की एजेंसी से सूचना लेकर सूचना दी। अगर ऐसी प्रक्रिया हुयी तो लगातार यह होगा कि एक माननीय सदस्य सूचना रखेंगे तो दूसरे दिन उसी पर दूसरे माननीय सदस्य दूसरी सूचना देंगे। तीसरे माननीय सदस्य तीसरी सूचना देंगे। तो अगर यह प्रक्रिया आरम्भ हुई तो बुनियादी मकसद ३०१ का जो है, जो उद्देश्य है वह खत्म हो जायगा। कृपा करके ऐसी परम्परा मत डालें।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न को पहले एक माननीय सदस्य ने रखा, उनको कोई सूचना नहीं मिली। उसके संबंध में, जो वहां के रहने वाले सदस्य हैं और जिनको उसकी प्रत्यक्ष जानकारी है, वे उसमें एक स्पष्टीकरण ....

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, इसमें नियम की बात है। ....

श्री रियासत हुसैन—

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष—

जब तक मैं अनुमति न दूं तब तक न बोलें ।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ३०१ के अंतर्गत आपने यह व्यवस्था की है कि इसमें अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न स्वीकार किये जायेंगे । अगर ऐसी चीज होगी तो कायदे से सूचना हम नहीं रख पायेंगे । माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने नियम ३०१ के आधार पर सूचना दी थी । उसका जवाब माननीय शतरुद्र प्रकाश जी के पास भेजा गया होगा और जो कार्यवाही की गयी होगी उसका भी विवरण माननीय सदस्य के पास भेजा गया होगा । अगर कोई कांट्राडिक्शन, आपस में, एक दूसरे से माननीय सदस्य करने लगे तो वह चीज नियम ३०१ के अन्तर्गत कहां आती है । वह आपके कक्ष में बात करके उठायी जा सकती है । इस पर विचार होना चाहिये ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय, मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मेरी एक बात सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

यह तरीका अनुचित है । आप खड़े न हों। जिसको मैं बुलाऊंगा, वह बोलेंगे ।

एक आपत्ति श्री रियासत हुसैन और श्री गोविन्द सिंह नेगी ने किया है । तो ठीक है वह स्पष्टीकरण में आता है । इसलिए मैं इस पर विचार करूंगा और इस समय पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

माननीय, यह कार्यवाही का हिस्सा नहीं हो सकता है । इसलिए मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि इस संबंध में आपका पत्र मुझको मिला था और माननीय सदस्य को भी मिला होगा कि उस आश्रम के संबंध में जो सूचना यहां दी गयी है वह आपकी नजर और उनकी नजर में सच नहीं है । इसलिए इस पर मैंने पुनर्विचार और जानकारी किया, लेकिन पूरी जानकारी नहीं कर पाया हूं, किन्तु जितनी जानकारी किया है उसके कारण मैं इस मनः स्थिति में नहीं हूं कि पिछली सूचना को वापस ले लूं । यदि मैंने कोई गलत जानकारी सदन में दिया है तो मेरे खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न लाया जा सकता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय, इसको रुकवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

श्री नेगी और रियासत हुसैन की आपत्ति ठीक है इसलिए मैंने रुकवा दिया है ।

कानपुर में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

श्रीमन् आपके माध्यम से निवेदन है कि कानपुर में जो अव्यवस्था फैल रही है उससे वहां की जनता में असंतोष तथा असुरक्षा की भावना व्याप्त है । अव्यवस्था का विवरण निम्न प्रकार है :

(१) दिनांक २८ अगस्त को दो डकैतियों में २५ हजार रुपये की लूट तथा कई घायल हुये । 'आज' में २०-८-७८ ।

(२) २५ हजार रुपये के कपड़ों की अधिकारी बन कर ठगी । समाचार कटिंग ११ मई, १९७८ ।

श्री अध्यक्ष--

आपको मैंने पहले पृष्ठ से पढ़ने की इजाजत दिया है, इसलिए वही अंश पढ़ें जिसकी अनुमति दिया है ।

श्री गुलाब सेहरा--

मैंने घटनायें तो २७ दिया है जो कि डेढ़ महीने में हुई हैं लेकिन जो १० प्रमुख घटनायें और हैं उनको ही मैं पढ़ रहा हूं :

(३) पुलिस पर निष्क्रियता का एक और कलंक । समाचार-पत्र कटिंग ।

(४) तमंचा दिखाकर कपड़ा व्यापारियों को लूटा गया । समाचार-पत्र कटिंग ।

(५) सिपाहियों में बढ़ती अपराध प्रवृत्ति से नागरिक असुरक्षित ।

(६) पति के सामने ही हरिजन महिला के साथ बलात्कार ।

(७) कलेक्टर गंज में सरेआम एक लाख की डकैती । समाचार-पत्र कटिंग ११ मई, १९७८ ।

(८) पिस्तौल दिखाकर चमड़ा व्यवसायी को लूटा गया। समाचार कटिंग १२ मई, १९७८ ।

(९) ६ जुलाई पत्र कटिंग--एक रात में ५ घरों में डकैती, १७ हजार की लूट । पुलिस वालों ने महिला का सामान लूटा । जी० आर० पी० पुलिस ।

(१०) ९ जुलाई--कानपुर राजहनी की तीन घटनाओं में हजारों की लूट ।

(११) ११ जुलाई की पत्र कटिंग--ककरमऊ गांव में हरिजनों का उत्पीड़न व गोली चली ।

श्री गुलाब सेहरा]

(१२) १० जुलाई, पत्र कटिंग--२४ घंटों के अन्दर कानपुर में ४६ हत्यायें थाना गोविन्द नगर, २--महराजपुर थाना, ३--मंगलपुर थाना।

कानपुर जनपद की कानून और व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। सामान्य नागरिक आज इस जिले में अपने को असुरक्षित समझ रहा है और पूरे जिले में अराजक तत्व व गुन्डों का आतंक छाया हुआ है। पूरा पुलिस विभाग निष्क्रिय व हताश की स्थिति में है। पुलिस की अकर्मण्यता व पुलिस विभाग पूरी तरह असमाजिक तत्वों में मिल गया है। इसलिए मैं तीन माह की कुछ प्रमुख घटनाओं का विवरण शासन के विचार हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं।

उपरोक्त मुख्य घटनाओं के आधार पर मुख्य मंत्री पूरे पुलिस विभाग की आकर्मण्यता को देखें और शीघ्र ऐसी व्यवस्था करें जिसमें वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति कायम हो सके।

सुल्तानपुर के थाना अमेठी के दरोगा द्वारा एक हरिजन युवती के साथ बलात्कार के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

महोदय, आपकी आज्ञा से जिला सुल्तानपुर थाना अमेठी के दरोगा द्वारा एक हरिजन युवती पर बलात्कार करन के सम्बन्ध में शून्य प्रहर में उठाना चाहता हूं :

कमला उर्फ गंगापति आयु २२ वर्ष एक हरिजन युवती जो थाना अमेठी के अन्तर्गत ग्राम खरोना बारमासी की निवासी है। २४ अगस्त, १९७८ को कमला अपने गांव से थोड़ी दूर बाजार करने गई थी। वहां से शाम को जब अपने घर लौट रही थी तो रास्ते में उन्हें अमेठी के थानेदार (दरोगा) मिला और उससे कहा कि कुछ दिन पूर्व जो रिपोर्ट लिखा आई थी उसके बारे में पूछताछ करनी है और एकान्त स्थान पर ले गये वहां उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया जिसकी शिकायत जिलाधिकारी सुल्तानपुर तथा गृह मंत्री उत्तर प्रदेश को भी की जा चुकी है। उक्त घटना से वहां की जनता में बड़ा असंतोष व्याप्त है और पुलिस की इस कार्यवाही से वहां की जनता में बड़ी तनाव की स्थिति है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इस घटना की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने की कृपा करें और सम्बन्धित दरोगा को सजा दिलाने हेतु कार्यवाही की जाय ताकि इस प्रकार की घटना भविष्य में न हो।

श्री नन्हा राम, प्रधान शिक्षक, प्राइमरी पाठशाला गोमापुर, उन्नाव की हत्या के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री हेमराज (जिला उन्नाव)--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं अविलंबनीय अति लोक महत्व की सूचना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कर माननीय गृह मंत्री जी से वक्तव्य की मांग करता हूं।

गत दिनांक ५ अगस्त, १९७८ को श्री नन्हाराम प्रधान शिक्षक प्राइमरी पाठशाला गोमापुर जिला उन्नाव को जब वह नित्य की भांति घर से अपने विद्यालय पढ़ाने जा रहा था तो कुछ लोगों द्वारा धारदार औजारों से मार कर उसकी हत्या कर दी गई। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि उक्त प्रधान शिक्षक ने

श्री नन्हा राम, प्रधान शिक्षक, प्राइमरी पाठशाला गोमापुर, उन्नाव की हत्या ८१५
के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

अपने जान-माल सम्बन्धी खतरे की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए एक प्रार्थना-पत्र अप्रैल, १९७८ में एक विधायक के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को भेजा था जिसमें प्रार्थी ने यह लिखा था कि थाना असोहा के इंचार्ज उसकी हत्या करा देने या किसी डकैती आदि में बन्द करा देने की धमकी दे रहे हैं। यदि इस पर तुरन्त कार्यवाही न की गई तो उसे आशंका है कि उक्त थाने के इंचार्ज उसे निश्चित रूप से मरवा देंगे। प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने सम्बन्धित विधायक को यह पत्र भेजा था कि पत्र में उल्लिखित बातों के विषय में पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ को आवश्यक निर्देश दिये जा रहे हैं किन्तु खेद है कि इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई भी सुरक्षात्मक कार्यवाही नहीं की गई और न ही उक्त थाना अध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई। फलतः प्रधान शिक्षक की हत्या हो गई उसका भरा पूरा परिवार अनाथ हो गया।

अविलम्बनीय लोक महत्व की उक्त सूचना को देकर सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह षड्यंत्रकारी दरोगा के आचरणों की निष्पक्षता पूर्वक जांच करा कर तुरन्त कठोर कार्यवाही करें।

उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग की कार में पकड़ी गई शराब के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, आपका ध्यान उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के निदेशालय लखनऊ की कार यू० टी० सी० ४९५० द्वारा दिनांक १९-८-७८ को लखनऊ में शराब लाने के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। उक्त मोटर कार १९-८-७८ की रात में करीब १० बजे मड़ियाहूं थाने द्वारा पकड़ी गयी जिसमें से अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की गईं। उक्त गाड़ी के चालक श्री देवदत्त की कार सहित पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। उक्त कार दिनांक २४-८-७८ को अदालत के आदेश द्वारा पकड़ी गयी।

यह एक अत्यन्त ही गंभीर मामला है जिसमें सूचना विभाग के उच्च स्तर के अधिकारी भी सम्मिलित हैं। जनपद लखनऊ शराब के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहां शराब की मनाही है और लखनऊ में विभिन्न स्थानों पर सूचना विभाग द्वारा शराब के विरोध में पोस्टर लगाये गये हैं। यह खेद की बात है कि सूचना विभाग ही शराब को मंगवा कर शासन की नीति का उल्लंघन करे तथा कानून को तोड़े।

हमें निश्चित जानकारी मिली है कि सूचना विभाग के कार्यालय में रात को अक्सर शराब पी जाती है। १९ अगस्त को भी रात के करीब ८ बजे निदेशालय के लान में श्री के० जी० तिवारी वाहन अधिकारी, श्री धीरेन्द्र पांडे, फिल्म अधिकारी आदि ने शराब पी। तत्पश्चात कुछ अधिकारी यू० टी० सी० ४९८५ में बैठ कर चले गये और एक कर्मचारी को उक्त कार छोड़ने इटौजा गयी। किन्तु दुर्भाग्यवश जब गाड़ी इटौजा से वापस आ रही थी तो मड़ियाहूं थाने द्वारा पकड़ ली गयी तथा गाड़ी में बैठे अन्य अधिकारी तो भाग गए मगर चालक गिरफ्तार कर लिया गया और घटना को दबाने की नियत से चालक को निलम्बित कर दिया गया।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

अन्य अधिकारी कौन थे और क्या अवसर निदेशालय के लान में शराब पी जाती है ? क्या उक्त गाड़ी द्वारा अक्सर निदेशक सहित अन्य अधिकारियों के लिए शराब लाने का कार्य किया जाता था ?

मान्यवर, मामले की गम्भीरता को देखते हुए मैं इस महत्वपूर्ण सूचना के जरिए आपके माध्यम से शासन से सम्पूर्ण प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच की मांग करता हूं ।

बस्ती जिले के आई० टी० आई० में मोटर मैकेनिक ट्रेड तोड़ दिये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बहराइच)—

बस्ती जनपद उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में पिछड़े हुए जनपदों में अग्रणीय है । बस्ती जनपद में तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में केवल एक आई० टी० आई० है, जिसमें मोटर मैकेनिक ट्रेड भी है । इस ट्रेड के लिए हजारों रुपये के साज सज्जा एवं मशीनें हैं । इस प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य ने गत वर्ष मोटर मैकेनिक ट्रेड में लड़कों को भर्ती नहीं किया जब कि ३५० लड़कों ने मोटर मैकेनिक ट्रेड की मांग की थी । सारे आवेदन-पत्र आज भी मौजूद हैं । इस वर्ष भी लगभग ४०० लड़कों ने मोटर मैकेनिक ट्रेड में नामांकन कराने के लिए आवेदन-पत्र दिया है । जुलाई के द्वितीय सप्ताह में इसकी जानकारी हुई कि मोटर मैकेनिक ट्रेड बस्ती से टूट रहा है । दिनांक १७ जुलाई की बैठक में जिला परिषद सलाहकार समिति ने सर्व सम्मति से मोटर मैकेनिक ट्रेड न तोड़ने की सरकार से मांग की तथा खाद्य मंत्री माननीय हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव एवं क्रीड़ा राज्य मंत्री माननीय श्री चन्द्र शेखर सिंह तथा अन्य विधायकों ने भी माननीय श्रम मंत्री से अनुरोध किया कि मोटर मेकैनिक ट्रेड न तोड़ा जाय, परन्तु इसका कोई असर मंत्री जी पर नहीं पड़ा । बस्ती जनपद के नवजवान जो मोटर मेकैनिक की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनमें एवं जन प्रतिनिधियों में व्यापक रोष व्याप्त है । इससे जनता सरकार की छवि लोगों में गिर रही है । हम विधायकों से बार-बार जनता प्रश्न करती है कि यह ट्रेड क्यों टूट रहा है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शासन से हम मांग करते हैं कि बस्ती जिले की आई० टी० आई० से मोटर मेकैनिक ट्रेड न तोड़ा जाय तथा प्रत्येक ट्रेड में कम से कम ५० प्रतिशत सीटें और बढ़ाई जायं ।

नियम ३०१ के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को अस्वीकार किये जाने पर आपत्ति

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है नियम ३०१ में आपने जो व्यवस्था की थी उसका मैं समझता हूं महत्व ही समाप्त हो रहा है । जिला टेहरी में कितनी तबाही हो रही है....

श्री अध्यक्ष—

इस पर कोई विवाद नहीं है । आप बैठिये । आप जानते हैं कि यह प्रश्न पहले श्री इन्द्रमणि बड़ौनी जी ने उठाया था जिस पर उन्होंने अपना भाषण दिया । आप जानते हैं कि एक मर्तबा जो प्रश्न सदन में आ जाता है उसकी दुबारा अनुमति नहीं दी जा सकती ।

नियम ३०१ के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को अस्वीकार किये जाने पर आपत्ति ८१७

श्री फजलुलवारी (जिला गोंडा)—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसकी इजाजत नहीं दी यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि अगर कोई सूचना ३०१ के अन्तर्गत एक पन्ने से अधिक होगी तो यह स्वीकार नहीं की जायगी। मैं माननीय सदस्यों को लिखकर दे चुका हूं।

श्री फजलुलवारी—

जरा आप देखें पन्ना किस साइज का है।

श्री अध्यक्ष—

इत तरह की २७ सूचनायें प्राप्त हुई हैं। अगर प्रत्येक को स्वीकार कर लिया जाय तो उसकी मंशा ही समाप्त हो जाती है। आपकी सूचना एक सफे से अधिक की है।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

एक सूचना मैंने भी दी थी।

श्री अध्यक्ष—

उसकी मैंने अनुमति नहीं दी।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना विशेषाधिकार के अवहेलना की श्री शतरुद्ध प्रकाश ने दी है अभी मैंने उसको देखा नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, कब लेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं देख नहीं पाया हूं।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी २८ अगस्त, १९७८ की बैठक में यह सिफारिश की है कि सदन के २९ अगस्त, १९७८ से ७ सितम्बर, १९७८ तक के उपवेशनों में निम्नलिखित कार्य-क्रम रखा जाय :—

२९-८-१९७८, मंगलवार	१—वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

नोट —[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री अव्यक्त]

२—वित्तीय वर्ष १९७२–७३ के बढ़ती व्यय के अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

३—संविधान के अनुच्छेद २५२ के अन्तर्गत जल (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ में संशोधन से संबंधित संकल्प का प्रस्तुतीकरण तथा उस पर विचार ।

३०-८-१९७८, बुधवार — निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :—

(क) (१) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ ।

(२) उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८, तथा

(३) उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों का वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८ ।

(ख) अपरान्ह ५ बजे से ६ बजे तक नियम १०३/१०४ के अन्तर्गत श्री गुलाब सेहरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार—

"इस सदन को खेद है कि राज्य सरकार के राज्य मंत्री श्री सत्य देव त्रिपाठी ने २४ जून, १९७८ को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री राज नारायण के साथ हिमांचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगी धारा १४४ को तोड़कर एक सार्वजनिक सभा में भाग लिया और तत्पश्चात् ऐसे वक्तव्य दिये जिनसे हिमांचल प्रदेश की सरकार व जनता व उत्तर प्रदेश सरकार व जनता के पारस्परिक संबंध बिगड़े और उत्तर प्रदेश शासन की प्रतिष्ठा गिरी । इस सदन को खेद है कि मुख्य मंत्री जी ने इस संबंध में राज्य मंत्री श्री सत्यदेव त्रिपाठी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है ।"

३१-८-१९७८, वृहस्पतिवार — निम्नलिखित विषयों पर विचार एवं उनका पारण :—

(१) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७८ ।

(२) उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९७८ तथा

(३) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७८।

७-९-१९७८, वृहस्पतिवार

(क) उत्तर प्रदेश ईंट के भट्ठों पर निर्बन्धन (बागों का संरक्षण) विधेयक, १९७८ पर विचार एवं उसका पारण ।

(ख) ५ बजे अपरान्ह से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा "चीनी मिलों के बंद होने से किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा रहने से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दो घंटे की चर्चा ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, नियम ५२ में चीनी मिलों और गन्ने के बारे में मैंने भी दिया था, लेकिन उसको शामिल नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

अब चर्चा होगी, तो बोल लीजियेगा ।

श्री देव बहादुर सिंह—

आपने कहा था कि जोड़ दिया जायगा····

श्री अध्यक्ष—

उसमें जो पहले सूचना मिलती है, उसे ले लेते हैं लेकिन आप बोल लीजियेगा ।

श्री देव बहादुर सिंह—

आपने कहा था इसलिए मैंने स्मरण दिलाया ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने नियमों को देखा है ।

संसदीय कार्य वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से, जिनकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से, जिनकी सूचना मेरे द्वारा आज सदन को दी गयी है, से सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

हिन्डालको के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर मंत्रियों द्वारा परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये जाने के संबंध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी को आज एक सूचना देनी थी । उन्होंने अनुरोध किया है कि इसको ३० तारीख के लिए स्थगित कर दिया जाय ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

चूंकि प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है कि तीन बार अनुरोध करने पर आपने स्थगित किया । मैंने कहा था कि ३०/३१ तारीख को मैं नहीं रहूंगा । अब ३० को रखेंगे तो मेरा निवेदन है कि इसको ७ तारीख को रख दें या आज शाम को दे दें ।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

आज तो नहीं दे सकता । ७ सितम्बर के लिए रख दें मुझे आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

७ सितम्बर के लिए रख दें ।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे एक सूचना यह देनी है कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की सभा के लिए विधान सभा के पांच सदस्यों तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा के लिए विधान सभा के ५ सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि २९ अगस्त, १९७८ को ४ बजे अपरान्ह तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा २९ अगस्त, १९७८ को ५ बजे अपरान्ह, नामों की वापसी की अन्तिम तिथि ३१ अगस्त, १९७८ तथा मतदान, यदि आवश्यक हुआ, तो दिनांक ७ सितम्बर, १९७८ को किये जाने की सूचना सदन एवं माननीय सदस्यों को दिनांक २४ अगस्त, १९७८ को दी गयी थी ।

अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर उक्त निकायों के लिए निम्नलिखित परिवर्तित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :—

(१) नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय	..	दिनांक ७ सितम्बर, १९७८ को ४ बजे अपरान्ह तक ।
(२) सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय	..	दिनांक ७ सितम्बर, १९७८ को ५ बजे अपरान्ह (सचिव, विधान सभा के कक्ष में) ।
(३) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	..	दिनांक ९ सितम्बर, १९७८ को ४ बजे अपरान्ह तक ।
(४) मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	..	दिनांक ११ सितम्बर, १९७८ को पूर्वान्ह साढ़े दस बजे से ५ बजे अपरान्ह तक कमरा नं० ४८, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में नाम निर्देशन पत्र विधान सभा सचिवालय के पटल कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की ८२१ सभा में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन कार्य-क्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, इसमें एक निवेदन था। अभी तक ७ सितम्बर तक का ही एजेन्डा मिला है। पता नहीं ७ सितम्बर के बाद सरकार सदन को चलाना चाहती है या नहीं। मेरा संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन है कि नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की तिथि ३०/३१ तक रख दें। इसमें उनको कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मुझे कोई एतराज नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों से मेरी बातचीत हुई थी इसीलिए आगे बढ़ाने की सिफारिश की थी। ३१ को रख दें।

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। कल फिर इसको देख लेंगे।

जनपद मिर्जापुर के रेणुकूट स्थित हिन्डालको के मजदूरों के प्रश्न को लेकर वहां दफा १४४ लागू किये जाने तथा कुछ मजदूरों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध वक्तव्य

गृह मंत्री (राम सिंह)—

मान्यवर, हिन्डालको में कार्यरत प्रगतिशील मजदूर सभा (एटक) के सभी निष्कासित/निलम्बित श्रमिकों को बिना शर्त काम पर वापस लेने आदि ११ सूत्रीय मांगों पर बल देने हेतु दिनांक १५ अगस्त, १९७८ से २० अगस्त, १९७८ तक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर धरना, दिनांक २० अगस्त, १९७८ से दो कर्मचारियों द्वारा उक्त स्थान पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने एवं दिनांक २५ अगस्त, १९७८ से पांच दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करने का उक्त सभा ने निर्णय लिया था। जिला प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए वहां धारा १४४ दं० प्र० सं० के अन्तर्गत आदेश लागू कर दिया था। इसके बावजूद श्रमिक नेताओं ने अपना उक्त कार्यक्रम जारी रखा। दिनांक २४ अगस्त, १९७८ को श्री द्वारिका सिंह, सेक्रेटरी हिण्डालको प्रगतिशील मजदूर सभा को धारा १४४ के उल्लंघन के कारण गिरफ्तार किया गया था। उन्हें उसी दिन जमानत पर छोड़ दिया गया।

पुलिस द्वारा लाठी चार्ज अथवा लूट के कथित आरोप सही नहीं हैं। धारा १४४ लागू होने के कारण कोई भीड़ वहां इकट्ठा नहीं होने दी गई थी। श्री द्वारिका सिंह ने धारा १४४ तोड़कर कुछ नारे लगाकर भीड़ इकट्ठा करने का प्रयत्न किया था। परन्तु वे सफल नहीं हुए क्योंकि उन्हें उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था। श्रमिक बिना किसी रोक-टोक के कार्य पर आ रहे हैं। शान्ति व्यवस्था हेतु पुलिस का समुचित प्रबन्ध कर दिया गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

जिस दिन आपने वक्तव्य देने के लिए कहा था, उस दिन माननीय श्रम मंत्री जी ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग बुलाई थी और उक्त मीटिंग में दोनों पक्षों के सहमत हो जाने पर यह हड़ताल वापस हो गई थी। इसी पर वहां यूनियन की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई थी, इस निर्णय की घोषणा करने के लिए और इस पर वहां कार्यालय में मीटिंग चल रही थी। किन्तु वहां पर उसी समय पुलिस ने, पुलिस के एक सब-इन्स्पेक्टर ने बिड़ला जी के भड़काने से वहां जाकर सब

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

गड़बड़ कर दिया और लाठी चलाई, जिससे वहां पर उपस्थित रमेश चन्द्र सिन्हा जी तथा अन्य अनेक लोगों को चोटें आईं। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कृपा करके उस दारोगा को वहां से हटा दें और वह पुलिस को आदेश दें कि बिना कारण वह मजदूरों को भड़काने का ऐसा कोई कार्य न करे।

उत्तरकाशी में कनौड़िया में ग्राम भू-स्खलन से एक नई झील बन जाने के कारण उत्तर प्रदेश में उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

सर्वश्री गोविन्द सिंह नेगी, देव कुमार यादव तथा शिवानन्द नौटियाल ने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, जो इस प्रकार है—जिला उत्तर काशी में कनौडिया ग्राम में भू-स्खलन से एक नई झील बन जाने के कारण पूरे उत्तर प्रदेश को खतरा तथा उसके पीछे विदेशी विध्वंसक तत्वों का हाथ होने की संभावना। इसमें यह है कि दैवी आपदाओं पर कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं स्वीकार होते हैं, (व्यवधान) इसलिए मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

इसको प्राग्दर्शन में सिद्ध करने के लिए आप मेरी बात जरा सुन लीजिए कि कैसे स्वीकार हो सकता है। नियम ५६ व ५८ में इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जिसके अन्तर्गत स्वीकार हो सकता है। एक तो यह है कि एक उपवेशन में एक ही प्रस्ताव लिया जा सकता है और दूसरा है कि एक प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है और तीसरा यह है कि प्रस्ताव किसी हाल की घटित घटना के संबंध में हो। तो यह विषय सभी दृष्टियों से स्वीकार किए जाने योग्य है और अब तक सरकार की तरफ से उत्तरकाशी पर कोई भी वक्तव्य नहीं आया है। इसके कारण तमाम घाटी क्षेत्र में, भागीरथी घाटी में पेनिक फैला हुआ है। कभी रेडियो से आता है कि खतरा है और कभी कहा जाता है कि खतरा नहीं है। गंगोत्री से ऋषिकेष तक के निवासी रात्रि में घरों से निकलकर चोटियों पर चढ़ जाते हैं और दिन में खतरा टलने की सूचना मिलने पर नीचे आ जाते हैं। इससे तमाम प्रदेश के लोगों को खतरा तो है ही, साथ ही यह एक राजनैतिक प्रश्न बन गया है। अखबारों में यह आ रहा है कि विदेशी ताकतें वहां सबोटेज कर रही हैं। वहां पर १०-१० फुट तक के गड्ढे पाए गए हैं, जो मानव निर्मित नहीं है, यांत्रिक हैं। नन्दा जी की चोटी पर रखे यंत्र के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है।

समाचारों में यह भी आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के गुप्तचर विभाग ने वहां पर जाकर मौके का निरीक्षण किया है और भूगर्भ विशेषज्ञों ने भी मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण किया है। यदि वहां पर विदेशी ताकतें इस प्रकार के सबोटेज करके पूरे देश और प्रदेश को इतने बड़े खतरे में डाल सकती हैं, तो इससे बड़ा लोक महत्व का प्रश्न और क्या हो सकता है और उसके सामने आज यह यहां की कार्यवाही क्या चीज है? यदि हिमालय पहाड़ में जासूस घुसकर पूरे प्रदेश को बहा सकते हैं और आपकी छावनियों को बहा सकते हैं, तो आप कहां रहेंगे, यह विधान सभा कहां रहेगी? यदि हिमालय में विदेशी ताकतें इस····

श्री अध्यक्ष—

नेगी जी आप इसकी ग्राह्यता की बात से बाहर जा रहे हैं। आप बैठिए। इस पर लम्बा भाषण नहीं हो सकता। आप बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मैंने तथ्य बताया । इससे बड़ा लोक महत्व का प्रश्न क्या हो सकता है ? देश का जन-जीवन खतरे में है, देश की सुरक्षा खतरे में है । कब सी० आई० डी० जाती है, सरकार का अभी तक कोई अधिकृत वक्तव्य नहीं आया है । आखिर कब तक देश और प्रदेश की जनता को आश्वस्त करेंगे । इसी के जरिये आश्वस्त कर सकते हैं ।

(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप ग्राह्यता पर कहना चाहते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

जिसके बारे में आज्ञा देंगे उसके बारे में कह दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

मुझको मालूम नहीं है कि किस लिए खड़े हुए हैं ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं यह कह रहा था कि जब बाढ़ पर चर्चा हो रही थी मैंने उस समय भी यह कहा था कि जो भागीरथी में तालाब बना है उसके बारे में रोज नयी-नयी बातें आती हैं । आप कहते हैं कि तालाब खाली हो गया है । कन्नाड़ गाड़ के बारे में जो चित्र आये हैं, इंडियन एक्सप्रेस में, बहुत अच्छे चित्र आये हैं, रविवार में चित्र आये हैं, दूसरे समाचार-पत्रों में आये हैं उससे लगता है कि जितना बड़ा कन्नाड़ गाड़ का लैंड स्लाइड हुआ है वह मानवीय नहीं है । कोई विशेष यान्त्रिक हुआ है । इस तरह की चर्चा कुछ शुरू हुई । इन्द्रमणी बड़ौनी जो जो हैं वह मुझ से चर्चा कर रहे थे । वह इस सदन के एक मात्र सदस्य हैं, जो जनता पार्टी के सदस्य हैं, वह मुझसे मिले । वह कह रहे थे कि इस प्रकार के गड्ढे देखे वहां पर जो हाथ के बनाये हुए दिखाई देते हैं । मैंने उल्लेख नहीं किया, बड़ौनी जी ने जिक्र किया । उन्होंने कहा कि मैं लिखकर देने जा रहा हूं, शायद लिख रहे हों या लिखा भी होगा । वहां पर मनेरीभाली प्रोजेक्ट है जो ढाई सौ करोड़ रुपये का है । बहुत बड़ी बिजली की योजना है जिसमें करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है । अगर टनेल में पानी चला गया तो मनेरीभाली प्रोजेक्ट के ढाई सौ करोड़ रुपये का नुकसान होगा । अगर टनेल फट जायगी तो दोबारा टनेल बन नहीं सकती । फिर बिजली घर भी नहीं बन सकता । मनेरीभाली प्रोजेक्ट को सबसे अधिक खतरा हो चुका है । मनेरीभाली प्रोजेक्ट नीचे मनेरीभाली प्रोजेक्ट फेज दो है ।

श्री अध्यक्ष--

आप तो फैक्ट्स पर आ रहे हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कितने महत्व का विषय है । अगर वहां पर तालाब बना है, वह टूटता है, वहां पर षडयन्त्र है या नहीं यह माननीय मुख्य मंत्री बता दें, लेकिन इन्द्रमणी बडौनी जी ने, जिन्होंने जा कर देखा है, और जो उन्होंने चर्चा किया है मुझसे, जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी—]

समाचार–पत्र में आ रहा है, जो टाइम्स आफ इंडिया की रिपोर्ट है, हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, जिसका प्रतिनिधि सात दिन बाद हैलिकाप्टर से वहां से निकाला गया, उसके बारे में शासन ने आज तक कोई बयान नहीं दिया यह विषय ऐसा है जिसमें विदेशी षडयन्त्र हो या न हो, क्या हो सकता है मैं उसको बता रहा हूं क्योंकि वहां पर मनेरीभाली प्रोजेक्ट है, वहां पर मनेरीभाली फेज टू है, फिर टेहरी डेम है, १२ सौ मगवाट का और एक हजार करोड़ खर्च करने जा रहे हैं। इसके बाद हरिद्वार ऋषिकेश की योजना है। उसमें एंटी वायटिक प्लान्ट है। इसके बाद हैवी एलेक्ट्रिकल्स हरिद्वार है। वहां पर हरिद्वार में बहुत बड़ा बिजली प्राजक्ट हरिद्वार ऋषिकेश चिल्ला योजना। उससे प्रभावित हो सकती है, जिसका जिक्र बार–बार आ रहा है कि १०० या २०० किलोमीटर है, सड़क सब टूट चुकी हैं। सारा उत्तरकाशी जिला बाढ़ से प्रभावित है। सारी घाटी में लोग रेडियो सुनते हैं। लोगों का रेडियो पर से विश्वास हट गया है। सरकार कर्त्तव्यबद्ध है कि सही सूचना दे। मनेरीमाली प्रोजेक्ट और टेहरी प्रोजेक्ट को खतरा उत्पन्न हो गया है। ऋषिकेश और हरिद्वार शहरों के लिए खतरा आ गया है। कुछ तो बयान निश्चित आना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में बयान अतिशीघ्र आवे। यह तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर तो मुख्य मंत्री जी को बयान देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अब आप इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आपने कह दिया कि वक्तव्य देना चाहिये। अब आप समाप्त करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आगे आप कहदें जो उचित समझें।

श्री अध्यक्ष—

दवी आपत्तियों के ती कृत्य है नहीं। इसलिए काम रोको प्रस्ताव नहीं आ सकता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष—

आप बठिये। आपका यह तरीका अनुचित है। कोई इस प्रकार काम रोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है इसलिये सरकार से मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दे और जो स्थिति है कि वहां पर झील बन गई है ओर जो विनाश हुआ है उस सम्बन्ध में सरकार पूरी जानकारी देते हुए वक्तव्य दे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, ७ तारीख को सदन उठ रहा है कृपा कर तारीख बता दे कि कब वक्तव्य देंगे।

उत्तरकाशी मे केनौडिया ग्राम में भू-स्खलन से एक नई झील बन जाने के कारण ८२५ उत्तर प्रदेश में उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)—

इस तरह काम नहीं चलेगा। हालत बहुत खराब है। मैं चाहता हूं कि इस पर एक घंटे का अवसर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष—

हमारे सामने बजट आ रहा है आप उस पर बोलेंगे आप कृपया बैठ जाइये। माननीय मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देना कब संभव होगा ?

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

वैसे तो अब तक की सूचना है उसके आधार पर किसी विदेशी शक्ति द्वारा षडयन्त्र करने का कोई हाथ नहीं है। दैवी आपत्तियों के सम्बन्ध में सरकार सजग है। जितने प्रयास किये जा सकते थे उनमें कोई कसर नहीं रखी गई है मैं सारी बातों पर ३ या ४ तारीख को सूचना दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

३१ तारीख तक यह अधिवेशन है। १ से ६ तक छुट्टी है।

श्री राम नरेश यादव—

७ को रख दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सरकार के पास सारे साधन हैं। सूचना परसों तक एकत्र हो सकती है।

श्री राम नरेश यादव—

तिवारी जी जानते हैं कि वहां पर हेलीकाप्टर किस प्रकार से पहुंचता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

काउन्सिल में इसी विषय पर वक्तव्य होने वाला है तो वहां पर सूचना दी ही जायेगी। ३१ तारीख को वक्तव्य दे सकते हैं। कुछ चीजें आ जायें। रेडियो में बराबर कहा जाता है कि खतरा नहीं है और उसी रेडियो में कहा जाता है कि खतरा है।

श्री अध्यक्ष—

अगर ३१ को संभव हो तो आप इस पर वक्तव्य दे दें।

श्री राम नरेश यादव—

३१ को संभव नहीं होगा क्योंकि विस्तृत रूप से जानकारी देनी है।

विद्युत् कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरा काम रोको प्रस्ताव श्री राम आसरे वर्मा, श्री कीर्ति वल्लभ के द्वारा विद्युत् वितरण खण्ड-अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध विद्युत् कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में है। यह ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए अर्थात् सरकारी कर्मचारियों के कृत्यों के सम्बन्ध में कोई काम रोको प्रस्ताव स्वीकार करें इसलिए मैंने स्वीकृति नहीं दी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

माननीय, यह महत्वपूर्ण मसला है ।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष --

यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा । हर प्रश्न को आप गम्भीर बताकर रख देते हैं । मैं इसे अस्वीकार करता हूं इसके बारे में कार्य-स्थगन का कोई प्रस्ताव नहीं बनता । एक सिपाही, पटवारी आदि के बारे में कार्य स्थगन का कोई प्रस्ताव नहीं बनता ।

श्री रामआसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

लगभग २२५ कर्मचारी हड़ताल पर हैं ।

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन का प्रस्ताव नहीं बनता है ।

१९७८-७९ के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा

श्री अध्यक्ष--

अब वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा शुरू होगी ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, यह ३४ करोड़ ८३ लाख रुपये का जो अनुपूरक बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है । श्रीमन् मैं यह समझता हूं कि जब इस वर्षाकालीन सत्र में इतनी बाढ़ का समय जो एक और विनाशकारी बाढ़ प्रदेश के अधिकांश लगभग ४२ जिलों में आई है तो इस अवसर पर जो अनुपूरक बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है । इसमें कुछ भी बाढ़ आदि के लिए विशेष सहायता के लिए स्वीकृति के लिए इस अनुपूरक बजट में मुख्यतः लाया जा रहा होगा । इसके साथ दूसरी मदें भी ली जा रही होंगी लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है श्रीमन्, इस बजट में बाढ़ के लिए एक पैसा भी नहीं मांगा गया है । बाढ़ के लिए सहायता के लिए १५२ करोड़ रुपया इस सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मांगा है । ३-३ बार केन्द्रीय टीमें आकर इस राज्य का दौरा कर चुकी है । न तो अभी तक एक पैसा केन्द्रीय पाया है न सरकार इतनी मदद की प्रतीक्षा में है कि हमें केन्द्र सहायता देगा । वह इस अनुपूरक बजट के माध्यम से पैसा मांगने की इतनी हिम्मत करें । इस हिम्मत की कमी से इस बजट से प्रदेश की हानि दिखाई देती है ।

श्रीमन्, आश्चर्य तो यह है कि राजस्व विभाग ने मांग ही नहीं की है जो बाढ़ के लिए सहायता देने वाला विभाग है । राजस्व विभाग ने कुछ भी पैसा नहीं मांगा है । और तो और श्रीमन्, गावों का बड़ा ध्यान देने वाली सरकार के सिंचाई विभाग ने एक भी पैसा नहीं मांगा है । सिंचाई विभाग ने कितना मांगा इस बजट में नहीं है । बाढ़ के लिए सिंचाई, राजस्व, दो विभाग होते हैं । दोनों विभागों द्वारा इस बजट के अन्दर कुछ भी नहीं मांगा गया है । यह सबसे बड़ी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विडम्बना है कि यह सरकार कितनी उदासीन है । इस प्रदेश की जनता की जलती हुई समस्याओं के लिए। इस बात का श्रीमन् सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब राजस्व मंत्री जी ने यहां वक्तव्य बाढ़ के बारे में जब हमारे प्रदेश के लिए १ करोड़ २० लाख मारजिन मांगा था बाढ़ के लिए, बजट है साढ़े ४ करोड़ २० लाख का १ मारजिन मांगा है । साढ़े ४ करोड़ का, लेकिन जो इतनी बड़ी विभीषिका आई है तो केन्द्रीय सहायता की अपेक्षा में जो इतनी सड़कें टूटी हैं, इतने पुल टूटे हैं उसके लिए कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है । श्रीमन्, जो प्राविधान किए गए हैं वह वही हैं जोकि कांग्रेस शासन काल में किए गए थे । इस सरकार ने केवल उनको दोहरा दिया है और उन्हीं के लिए धनराशि मांगी गई है ।

श्रीमन्, जहां पर बड़ी धनराशि मांगी गई है और किस काम के लिए मांगी गई है, यह बजट की विशेषता होती है कि जिस उद्देश्य से मांगी गई हो वह सदन को बताया जाय । मिसाल के लिए इसमें सबसे अधिक बिजली बोर्ड के लिए अनुदान सं०-६७, पृष्ठ सं० ११३ पर ५ करोड़ १ लाख ८० हजार रुपया मांगा गया है । विद्युत् परियोजनाओं के लिए कम पड़ गया है और परिषद् को अपना कार्य सुचारु रूप से करने में कठिनाई हो रही है इसलिए यह ५ करोड़ बिजली बोर्ड को दे रहे हैं । बजट के नियमों को यह सरकार बिल्कुल भूल गई है । इस सदन में आखिर हमें अधिकार है यह जानने का कि जो इतनी मोटी रकम ५ करोड़ की है वह किस मद में दी जा रही है । श्रीमन्, इस प्रकार की मदें स्पष्ट होना चाहिये ।

मान्यवर, इस प्रकार आप देखेंगे कि २ करोड़ रुपया जो हमने नलकूप निगम को दिया था, वह स्वीकार किया जा रहा है । इतनी देर बाद । हमारा इरादा उसमें यह था कि नलकूप निगम में चूंकि रिग्स कम थे जिसके कारण ट्यूबवेल्स नहीं लगाये जा सकते थे, इसलिए रिग्स को बढ़ाया जाय । इसी के कारण यह शेयर कैपिटल देने की बात की जा रही थी क्योंकि उसका दस गुना वह ट्यूबवेल बनाने में लगा सकते हैं । श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं, माननीय सिंचाई मंत्री जी व मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं वह बतायें कि नलकूप निगम क्या कर रहा है ? आज इन निगमों को करोड़ों रुपया दिया जा रहा है । उन पर मोनिटरिंग करने वाला, नजर डालने वाला कोई संगठन नहीं है । पहले भी मैंने सुझाव दिया था । आज हमारे विकास की बड़ी योजनाओं और उनकी मोनिटरिंग की गति ढीली पड़ गई है । नलकूप निगम ने कितने नलकूप बनाये हैं उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं रखी गई है जिसको कि डेढ़ साल हो गया है । अब नलकूप निगम के सामने क्या कठिनाई है ? अगर कठिनाई है तो उसे हल भी करना है । यह २ करोड़ रुपया तो दे रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है । एक मिसाल देता हूं । हमारे माननीय सदस्य जानते हैं कि देवरिया गोरखपुर गण्डक परियोजना में ८ हजार ट्यूबवेल्स लगाने थे जो जमीन ऊंची हो गई है, उसको नीचा करने के लिए। पता नहीं उसका क्या हुआ ? जो नलकूप निगम है उसके बारे में सोचना चाहिये । क्षेत्रीय विकास निगम के साथ मिलकर पूंजी इकठ्ठा करे तो इससे टैक्स का भार हमारे प्रदेश पर कम होगा ।

मान्यवर, यह एक अच्छी बात है कि इस समय जो हमारे प्लानिंग तथा वित्त सचिव हैं वह बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं । उन्हें तमाम योजनाओं का अनुभव है । शासन को इसका लाभ उठाना चाहिए । लेकिन जब तक माननीय मुख्य मंत्री और माननीय सिंचाई मंत्री इस ओर ध्यान न दें कोई सेक्रेटरी कुछ नहीं कर

[श्री नारायण दत्त तिवारी--]

सकता । सेक्रेटरी केवल रिपोर्ट अच्छी बना सकते हैं । मोनिटरिंग का काम, कोआर्डिनेशन का काम उसके लिए राजनैतिक शक्ति आवश्यक होती है । लेकिन उसके लिए लगता है कि हमारे मंत्रिमण्डल के सदस्यों के पास समय ही नहीं है ।

इस तरह से देखें श्रीमन् अनुदान संख्या-९६ पृष्ठ १११ पर सीलिंग के लिए व्यवस्था करने हेतु १ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । बहुत अच्छा है । १६ महीने की बहस के बाद जो हमारा २० सूत्री कार्यक्रम था उसको चुना है । बहुत से आन्दोलन हैं, जैसे अन्त्योदय है, समग्रक्रांति है इनके द्वारा उन गरीब किसानों के पास पहुंचा दें । ये हमारी पुरानी योजनायें हैं, लेकिन आपने उनको बदल दिया है । अब केवल आपने सीलिंग की योजना के लिए रखा है बाकी का क्या हुआ ? जो दूसरे लोग हैं जिनको ग्राम समाज की जमीन आवंटित हुई थी आपके मंत्रिमंडल का कौन सा सदस्य है जो देखे कि इन आबंटियों को जो २५० रुपये प्रति आवंटी धन, दिया जाना है, सब्सिडी और लोन दिया जाना है, मिल रहा है या नहीं । पहले इस कार्य को देखने के लिए उस क्षेत्र के विधायक जिम्मेदार बनाये गए थे । हर जिले में विधायक वे किसी दल के हों उनको मौका दिया गया था कि वे भूमि सुधार के जितने भी कार्य हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों को देखें । आज १ करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है और यह भी १५ महीने बाद लेकिन इसका कार्यान्वयन होना बहुत ही आवश्यक है ।

इसी प्रकार से मान्यवर, अनुदान संख्या ९४-पृष्ठ १०६ को देखें । कार्पोरेशन की जो चीनी मिलें हैं उनके लिए २ करोड़ रुपया दिया जा रहा है । इसमें मोहीउद्दीनपुर आदि मिलें हैं । उनको घाटा पूर्ति के लिए ऋण दिया जा रहा है । उनके ऊपर पहला भी पुराना ऋण बाकी है । तो ये जो बीमार चीनी मिल हैं उनके इलाज के लिए ये क्या कर रहे हैं ? इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक को मांग की गई थी और ३० प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भेजी गई थीं ताकि राज्य का बोझा कम हो अन्यथा करोड़ों रुपया देने पर भी ये मिलें बीमार पड़ती हैं । अब किसको कहा जाय हमारे गन्ना विकास मंत्री और मुख्य मंत्री जी को भी जानकारी है ही लेकिन कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है ? आज बीमार चीनी मिलों की संख्या बढ़ती जा रही है और अगर कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनाया जायगा तो सुधार होने वाला नहीं है । नेशनल शुगर इन्सटीट्यूट ने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनायी है वे भारत की सबसे अच्छी टैक्निकल रिपोर्ट्स हैं वे लागू होनी चाहिये ताकि फैज्ड प्रोग्राम के आधार पर उनको कार्यान्वित किया जा सके ।

अब आप पृष्ठ १०४ को देखें । गाजियाबाद जिले में 'नोयड़ा' की जो योजना है उसके लिए ५ करोड़ रुपये का लोन दिया जा रहा है यह उचित कदम है, ठीक कदम है । 'नोयेड़ा' की योजना के बारे में जो उनके विचार थे वह उनका भ्रम दूर हो गया है । 'नोयेडा' की जो योजना है अगर उसको ठीक से चलाया गया तो वह दूसरा गाजियाबाद हो जायगा । और 'नोयडा' और 'गाजियाबाद' से १० लाख लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मिल सकता है । हमारा तो यह विचार था कि कुछ क्षेत्र ऐसे बनाये जायें जिनमें छोटे और मझोले ऐसे क्षेत्र शहरों में बनाये जायें जैसे वाराणसी, गोरखपुर, हरिद्वार, गाजियाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी और आगरा व मथुरा जैसे कुछ क्षेत्र चुन लें जहां पर छोटे उद्योग लगें । फ्री मार्केटिंग एकोनोमी में बड़े नहीं लग सकते हैं । दिल्ली शहर कभी नहीं चाहता है कि 'नोयडा' बढ़े । दिल्ली के दबाव में आकर वहां के एक मंत्री तक ने कह दिया यह 'नोयडा' हमारे लिए गले में एक हड्डी है । देहली प्रशासन यह समझता है इसका विकास न हो तो अच्छा है । मगर इससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा । आपको

कम से कम ५० करोड़ रुपये तो सेल्स टेक्स के रूप में ही मिलेंगे । और दूसरे टैक्सों में भी आमदनी बढ़ेगी । १० हजार लोगों को रोजगार मिलेगा । ओखला में अगर पुल बन जाता है तो रोजगार और भी अधिक बढ़ेगा तो आप यह न सोचें कि इस योजना को किसने बनाया·····(व्यवधान) । इसको प्रदेश की भलाई के लिए बनाया गया था । इसका महत्व अपनी जगह पर है । माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली तो जाते रहते हैं, पास ही इसको भी कभी जाकर देख आयें ।

इसी में भूमि सुधार निगम के लिए ६० लाख रुपए की मांग की गई है । भूमि सुधार निगम की चर्चा सुनते-सुनते १० महीने हो गए । भूमि सेना का भी इसके साथ चर्चा सुनी थी । भूमि सेना का भी बड़ा प्रचार सुनने में आया । माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि हम भूमि सेना और भूमि सुधार निगम को बनायेंगे । भूमि सेना कहां गई ? उसको कौन बना रहा है ? भूमि सुधार निगम अलग चीज है, और भूमि सेना अलग चीज है । मैं चाहूंगा कि भूमि सुधार का काम जल्दी शुरू किया जाय । अब काम शुरू होना चाहिये । भारत सरकार का भी जो निगम है उससे मिल कर आपको इसके लिए कोई ठोस योजना तैयार करनी चाहिये ।

बीज निगम के निर्माण की भी बात आयी है । आपने तराई विकास निगम और दीज निगम को मिला दिया है । बीज के मामले में बड़ा निगम बनाने से काम नहीं चलेगा । इसके लिये अच्छा यह होगा कि आप क्षेत्रीय निगम बनायें, उनसे बीज का काम लें । खाली मेरठ में ही २ लाख किसान परिवार हैं । मेरठ डिवीजन में ८-९ लाख किसान परिवार हैं । वहां बीज देने का प्रश्न होगा । आप एक बड़ा निगम बनाकर अच्छी तरह से काम नहीं कर पायेंगे । आप तरायी विकास निगम को अपनी जगह रहने दें, और बीज के लिये क्षेत्रीय बीज निगम स्थापित करायें । इससे एफीसियेन्सी बढ़ेगी, काम ठीक होगा । तामिलनाडु की आज ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है । उन्होंने अपने ट्रान्सपोर्ट निगम को ४ हिस्सों में बांट दिया है । इसी तरह अगर इस बीज निगम को भी आप क्षेत्रीय निगमों में बांट देंगे तो काम अच्छा होगा । कृषि मंत्री जी इस पर विचार कर लें ।

हैंडलूम की धोतियों को सब्सिडी देने की बात कही गयी है । यह योजना अच्छी है, लेकिन २ साल से एक पैसा भी बट नहीं पाया है । इसकी चौथी लाइन में लिखा है कि चूंकि सहायता भारत सरकार से वित्तीय वर्ष १९७७-७८ में अन्तिम दिन को प्राप्त हुई, उसे वित्तीय वर्ष १९७७-७८ में स्वीकृत नहीं किया जा सका । यानी हैंडलूम के कारीगर को १ रुपया प्रति वर्ग मीटर सब्सिडी देनी थी, १९७७-७८ में, सब्सिडी एक रुपया प्रति वर्गमीटर नहीं दी जा सकी क्योंकि बजट में प्राविधान नहीं था । केन्द्रीय सरकार से रुपया मिला नहीं था मुख्य मंत्री जी ? छोटे उद्योगों की यह सरकार बात करती है और छोटे उद्योगों की रात-दिन दुहाई करती है और छोटे मजदूरों को आप सब्सीडी दे नहीं सके । वह क्या बात, क्यों नहीं, जब कि यह मालूम था कि यह सेन्ट्रली ऐडेड थे, तो क्यों नहीं प्राविधान किया गया ?

अगर डाइनेमिक गवर्नमेन्ट हो, चेतनाशील है, तो जिसका रुपया केन्द्र से आना हो, उसका रुपया लीजिए और खर्च कीजिए और बाद में वसूल कर लीजिए । एक साल बीत गया और समय से सहायता नहीं पहुंची । इसी प्रकार आप देखेंगे कि इसमें गन्ने की सघन संरक्षण की बात कही गयी कि १६ किलो मीटर तक सघन मिलों के चारों तरफ गन्ना विकास किया जायगा । लगातार अखबारों के

[श्री नारायण दत्त तिवारी--]

एडवर्टिजमेन्ट निकलते हैं। माननीय शिव मंगल सिंह ने चार्ज ले लिया, लेकिन माननीया चन्द्रावती का नाम निकलता रहा। माननीय श्री शिव मंगल सिंह मई के महीने में मंत्री हो गये, लेकिन श्रीमती चन्द्रावती का नाम निकलता रहा कि गन्ना विकास मंत्री श्रीमती चन्द्रावती। सभी अखबारों में यह निकलता रहा।

श्री अध्यक्ष--

आप कोशिश कीजिए कि डेढ़ बजे तक आप कृपया समाप्त कर दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, विरोधी दल को मान्यता दी नहीं आपने, देनी बाकी है।

श्री अध्यक्ष--

तो जो आपकी परम्परा और नियम है, उसके अनुसार मैं तो आपकी सहायता करना चाहता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

वैकेंसी का नियम है, मान्यवर, यह तो बजट का महत्वपूर्ण मामला है, नीति का मामला है। अगर एक भी बात जो मैं कह रहा हूं, अगर वह विषय से परे हो, सन्दर्भ से परे हो, तो आप कहें। मैं तो इनकी सहायता कर रहा हूं। मान्यवर, अब यह गन्ना का जो मामला है, एक तरफ तो गन्ना किसान यह कहता है कि जितना टैक्स लिया जाता है वह खर्च नहीं हो रहा है। माननीय श्री शिव मंगल सिंह विभाग में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा पेचीदा विभाग है। गन्ना किसान संस्थान उन्होंने बनाया, आज उसको रोक दिया गया। जो गन्ना किसानों की एक संस्था थी, उसे श्रीमती चन्द्रावती जी ने रोका।

श्रीमन्, इसी प्रकार से आप देखें एक बड़ी योजना है शासन की, खाद्यान्न से सड़कें बनने की। फूड फार वर्क प्रोग्राम। इसका नाम बड़ा है, दर्शन छोटे हैं। पेज १०० पर लिखा है देखें, ८ करोड़ १४ लाख रुपये से ३ हजार कि० मी० सड़कें बननी हैं। और मांगा है कुल डेढ़ करोड़ रुपया। केवल कच्ची सड़कें बननी हैं, न कहीं रोड़ी पड़नी है न डामर पड़ना है। आप केवल डेढ़ करोड़ रुपया मांग रहे हैं। श्रीमन् इसमें खास बात यह है कि डेढ़ करोड़ रुपये में गेहूं का दाम भी शामिल है जो भारत सरकार को देना होगा। जिसका इतना ढोल पीटा जा रहा है कि ३ हजार कि० मी० सड़कें बनायी जा रही हैं लेकिन रुपया डेढ़ करोड़ ही मांगा जा रहा है। इससे जो मिट्टी का काम होगा वह भी अधूरा होगा। मिट्टी बह जायगी। इसीलिये मैं कह रहा हूं नाम बड़े दर्शन छोटे। कैश प्रोग्राम का हमें अनुभव है। हमको कैश प्रोग्राम को सारी सड़कों को पी० डब्लू० डी० को देना पड़ा था। तो तजुर्बे से लाभ उठायें। यह और भी आप गल्ती कर रहे हैं कि कच्ची सड़कें बना रहे हैं वह भी अधूरी। बरसात समाप्त हो रही है। काम का सीजन अब आ रहा है। मैं पूंछना चाहता हूं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से और जो-जो मंत्री इससे सम्बन्धित हैं कि क्या यह सरकार इतनी कमजोर पड़ गयी है कि सितम्बर से लेकर मार्च तक, ७ महीनों तक यह केवल डेढ़ करोड़ रुपये की कच्ची मिट्टी का काम करा पायेगी ?

आज यह अनुदान हमारे सामने आ रहा है, श्रीमन् यह सरकार ३४ करोड़ रुपये क्यों मांग रही है। इस सरकार को खर्च करने का अंदाजा ही नहीं है। इसीलिये प्लानिंग कमीशन इनको पूरा रुपया नहीं दे रहा है। मेरे पास आंकड़े हैं।

पिछली योजना ६७५ करोड़ रुपये की थी। मेरे पास सारे आंकड़े हैं जो प्लानिंग कमीशन से मिले हैं। सिंचाई पर १३८ करोड़ रुपये खर्च करने की योजना थी, १९७७-७८ में। केवल ९५ करोड़ ३४ लाख रुपये का रिवाइज्ड आउट ले हैं। अन्तिम आंकड़े तो बाद में आयेंगे। सिंचाई में यह सरकार ४३ करोड़ रुपया कम खर्च कर पायी है। पिछले साल ऐसे ही बिजली में २४१ करोड़ रुपये की योजना थी लेकिन २२०.८२ करोड़ रुपये का रिवाइज्ड आउट ले हैं। तो बिजली में २१ करोड़ रुपया कम खर्च हुआ। इसी प्रकार से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में ११ करोड़ रुपया था जिसमें से ६ करोड़ ६४ लाख रुपया खर्च हुआ। ४ करोड़ ४१ लाख रुपया छोटे उद्योगों में कम खर्च किया गया। इसी प्रकार से कुल मिलाकर ६५९.२५ करोड़ रुपये मैदानी इलाकों के लिये था जिसमें से ६०१ करोड़ ५२ लाख खर्च हुआ। हमने १९७६-७७ में ६०६ करोड़ रुपये खर्च किये थे।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में इसी प्रकार १९७६-७७ में ५९.२२ करोड़ रुपया खर्च किया गया। इस साल प्लानिंग कमीशन से मंजूर हुआ है ६० करोड़ रुपया इसलिये इसमें मुख्य मंत्री जी को देखना होगा कि यदि प्लानिंग कमीशन ने वायदा किया है कि हम हिमाचल प्रदेश के बराबर सहायता देंगे तो वहां के लिये ७२ करोड़ रुपया कमीशन ने दिया है और आपको ६० करोड़। इसलिये आपको इसके लिये लड़ना होगा। प्लानिंग कमीशन के सामने जो स्टैन्ड आपको प्रदेश के हित में लेना चाहिये वह नहीं ले रहे हैं।

मान्यवर, छितौनी बाढ़ का इलाका है। वहां पुल का सारा रेल का सामान उठा लिया गया। एक करोड़ रुपया यू० पी० सरकार ने दिया था। बंधा बड़ी गंडक का था उसको पूरा नहीं किया गया। बिहार सरकार को जो रुपया केन्द्र को देना था वह नहीं दिया गया लेकिन यू० पी० का रुपया वहां पड़ा है। इसलिये मुख्य मंत्री को मांग करनी होगी और बिहार के मुख्य मंत्री, श्री कर्पूरी ठाकुर को बुलाना होगा कि वह सिंचाई वालों में कुछ समय दें। रेल मंत्री जो यहां आते हैं, भोजन में मुख्य मंत्री उनको बुलाते हैं लेकिन फिर भी वह नाराज होकर चले जाते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

क्या सदन को ऐसे ही आप गुमराह करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

छितौनी पुल के लिये यहां डिनर दिया गया था लेकिन पता नहीं रेल मंत्री से क्या बात हुई और नाराज होकर चले गये।

सिंचाई मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

माननीय तिवारी जी छितौनी पर बड़ा जोर दे रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि वहां रेलवे का पुल बनाना है। यू० पी० को जो रुपया देना था वह हमने पहले ही दे दिया है अपने हिस्से का और बिहार को भी रुपया देना था लेकिन उन्होंने नहीं दिया है। इसलिये वह मामला लटका है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हमने यही कहा था कि हमने वह रुपया दे दिया है। इसलिये कहा कि कर्पूरी जी से आप बात करें और उनको यहां बुलायें।

श्री बलबीर सिंह—

हम बिहार के मुख्य मंत्री से दो बार बात कर चुके हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

१०० बार बात करने पर भी नहीं हुआ । उन्होंने कहा है कि १०० बार बिहार से बात किया है ।

श्री बलबीर सिंह--

दो बार हमने कहा है ।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

बिहार में काउन्टर पार्ट जब था तो बात आपने नहीं की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आपने दो बार बात की, मैं सोच रहा था १०० बार ।

श्री बलबीर सिंह--

आप बैलेंस लूज कर रहे हैं । दो को १०० समझ रहे हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

१०० का दो आपने करा दिया । बरेली में ऐसा माना जाता है क्या ?

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश)--

बरेली के आपकी तरफ ज्यादा हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं हूं बरेली का मैं अर्ज यह कर रहा था कि छितौनी बांध एक उदाहरण है । प्रदेश की मुख्य योजना है । कितना काम होता रहा है यह कसौटी है । राजघाट योजना लीजिये क्या मध्य प्रदेश से बातें हुई, सकलेचा साहब से राजघाट योजना पर मुख्य मंत्री की बातचीत हुई ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)--

बाण सागर की जो योजना लटक रही थी उसका शिलान्यास हो गया और कार्यान्वित कर दी गयी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कहें हापड़ की सुनें पापड़ की । राजघाट योजना की बात कर रहा था ।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

राजघाट योजना चल रही है यहां के एडीशनल चीफ इंजीनियर वहां चीफ इंजीनियर हो कर गये हैं ।

श्री बलवीर सिंह--

या तो तिवारी जी को जानकारी नहीं है या वह जानबूझ कर यह सब कह रहे हैं और सही बात नहीं बतला रहे । राजघाट की योजना जो उनके राज्य काल में १०, १२ साल से उलझी हुई थी उस पर फैसला हो चुका है । वह योजना कार्यान्वित होने वाली है । उस पर काम चल रहा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

शायद माननीय सिंचाई मंत्री जी को मालूम नहीं है । अगर वह चुप रहेंगे तो ज्यादा योग्य माने जायेंगे । उसके लिये ऐक्ट पास करना था पार्लियामेन्ट को । वह पास हो चुका । इसके बाद बोर्ड बनना था वह बोर्ड बन गया । मैं यह

कह रहा हूं यह सब हो गया । मुख्य मंत्री जो भी बोर्ड के सदस्य हैं । उस बोर्ड की बैठक क्यों नहीं हुई ? क्या सकलेचा साहब से बातचीत हुई ?

श्री रामनरेश यादव--

मुझे ऐसा लग रहा है कि तिवारी जी जैसा कि पहले भी मैंने संकेत किया था सदन को गुमराह करना चाहते हैं और सारी वस्तु स्थिति पर परदा डाल रहे हैं। बोर्ड बन गया, बोर्ड की बैठक भी हुई । सारा प्रश्न हल हो चुका है, सारा काम हो चुका है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उस बोर्ड की बैठक तो हमारे जमाने में ही हुई थी । मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं । मैं यह जानना चाहूंगा क्या राम नरेश जी का मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री सकलेचा जी से पत्र व्यवहार हुआ है ? जो हमारी केन नहर योजना, उर्मिल योजना है बुन्देलखंड के विकास के लिये उस सम्बन्ध में बातचीत हुई है ? मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं । मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि बुंदेलखंड के बारे में क्या हो रहा है ? पंचनद सबसे बड़ी वहां की योजना थी जो छठी योजना में आयी थी । वह उसमें है या नहीं । मध्य प्रदेश से आप की क्या बातें हुईं ?

इसी प्रकार चीनी मिलों को बनना था जिनका कार्य रुका हुआ था । सहारनपुर, महमूदाबाद, तिलहर, पूरनपुर आदि में मिलें बननी थी जो कि रुकी हुई थीं । कुछ को लाइसेन्स मिले हुए थे कुछ को मिलने थे । भारत सरकार से इस पर लड़ना पड़ेगा ।

फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम हमारी योजनायें थी जो कि अधूरी पड़ी हुई हैं । छपरौली में, चौधरी चरण सिंह के एरिया में मिल इस लिए बन्द रही कि गारंटी का दो करोड़ रु० नहीं दिया जा सका । खाली कैबिनेट ने गारन्टी देनी थी ।

इसी प्रकार सिंचाई योजनायें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू होनी थी उनका क्या हुआ ? हमारा डेवलपमेन्ट कारपोरेशन क्या करेंगे ? यह सब बातें आनी चाहिये । मध्य यू० पी० के बारे में हमारी कैबिनेट सब-कमेटी ने फैसला लिया था उन सब का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपया समाप्त करें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इस अनुपूरक बजट में जो प्रदेश की आवश्यकता हैं उनका कोई जिक्र नहीं है । यह अनुपूरक बजट नहीं है । बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए शासन को कदम उठाने थे उनको भी इसमें झलक नहीं है । सिंचाई विभाग का इसमें कहीं नाम नहीं है । अब रावत साहब जरा खड़े होकर बतायें ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री शारदा प्रसाद रावत के खड़े होने पर) रावत जी आप बैठिये ।

श्री राम नरेश यादव--

तिवारी जी क्या अध्यक्ष जी का भी काम कर रहे हैं ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

माननीय मंत्री जी समझ रहे हैं कि मास्टर जी का हुकुम हो गया अतः खड़े हो गए।

श्री अध्यक्ष--

आप क्यों ध्यान दे रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह अनुपूरक बजट पास हो जायगा। मैं कहूंगा कि आप जरा वित्त विभाग की लगाम कसिए। जरा देखिए कि योजनाओं का क्या हाल है ? उत्तर प्रदेश के ५७ जिलों का विकास कैसे होगा ? उनकी क्या आवश्यकताएं हैं ? आप प्लानिंग कमीशन से कैसे लड़ेंगे। उनसे बात कर ली और उसके बाद छुट्टी। आप हमारी भी रक्षा करते हैं और शासन की भी रक्षा करते हैं तो फाइनेन्स कमीशन वालों के साथ मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी के साथ आप बात कर लें।

श्री अध्यक्ष--

वह खुद सक्षम हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट तैयार होने वाली है। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह पूरी शक्ति के साथ दिल्ली जाकर बात करें। मैं बड़ा खुश था कि अनुपूरक बजट में छठी योजना के बारे में जिक्र होगा और फाइनेन्स कमीशन पर इतने दबाव डालेंगे कि हमारा परमोल रोड एक्सपेन्डीचर बढ़ गया है, हास्पिटल का एक्सपेन्डीचर बढ़ा दिया गया है और कमीशन से कहें कि यह हम कमिट कर चुके हैं और उसको मजबूर करने के लिए इसमें उन सब का जिक्र होना चाहिए था। इसमें कुछ जरूर अच्छी चीजें हैं जो हमने चालू की थीं उनको आपने भी किया। लेकिन यह जनता पार्टी का बजट नहीं है। जनता पार्टी के मैनिफैस्टो में जो वायदे किए थे वह पूरे नहीं होते हैं।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप समाप्त कीजिए। अब आप व्याख्या पर आ गए हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अभी भी थोड़ा समय है वित्त मंत्री जी सक्रिय हों, मुख्य मंत्री जी सक्रिय हों और प्रदेश की योजना अभी भी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। उसको सफल बनाएं।

श्री अध्यक्ष--

इस पर सामान्य चर्चा ४.०० बजे तक चलेगी। फिर ४.०० बजे से अनुदानों पर मतदान होगा। जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, चूंकि बहुत से लोग खड़े हो रहे हैं, किसी के लिए १० मिनट से ज्यादा समय देना मुश्किल होगा।

*श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)—

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे जो इस पूरक बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, इस समय पर्वतीय क्षेत्र अखबारों में और आकाशवाणी में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि वहां पर बाढ़ के कारण भू-स्खलन के कारण तबाही हो गयी है। मान्यवर, मैं अपनी जानकारी और भ्रमण के आधार पर जो कुछ देखा उस आधार पर स्पष्ट कह सकता हूं कि वहां पर इस समय जनजीवन बहुत अधिक अस्त-व्यस्त है। सारे रास्ते टूट गए हैं। संचार के साधन नष्ट हो गए हैं। कई पुल नष्ट हो गए हैं और इस तरह से एक गांव से दूसरे गांव में जाने का मार्ग, एक बस्ती से दूसरी बस्ती को जाने का सम्पर्क साधन पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ऐसी अवस्था में विधायकों का चिन्तित होना स्वाभाविक है।

(इस समय १ बजकर ४६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पीठासीन हुए।)

मान्यवर, आकाशवाणी इस सिलसिले में हमारे साथ न्याय नहीं कर पायी है। मैं इस छपी रिपोर्ट के आधार पर कह सकता हूं कि जब उत्तर काशी में बाढ़ आ रही थी और लोग भागे जा रहे थे, तो उस समय ७.२० पर रेडियो ने सूचना प्रसारित की कि उत्तरकाशी में कोई खतरा नहीं है। ठीक उसी समय लोग भाग रहे थे और जो असहाय थे, वे नदी में डूबकर काल के गाल में चले गए। तो शासन की मन्शा तो है हमारे लिए कुछ करने की, पैसा देने की, लेकिन वहां पर जो कुछ अधिकारी चले गए हैं, उनके द्वारा हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। अस्तु मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह से अभी भी जो सजा के नाम पर अधिकारियों को पहाड़ों पर मोटा होने के लिए भेज देते हैं, इस परम्परा को खत्म करना पड़ेगा। जब तक यह परम्परा खत्म नहीं होगी, पहाड़ों का कल्याण नहीं होगा।

मान्यवर, पहाड़ों में दो-दो, तीन-तीन मील से पानी लाना पड़ता है। इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ पैसा लगाकर कम से कम पानी पीने की व्यवस्था तो कर दो जाय। मान्यवर, ५ जिलों में पर्वतीय विकास योजना के अन्तर्गत हाड़ा स्कीम थी। मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी है कि अधिकारी इस स्कीम को लौटा रहे कि इसमें यह संशोधन की जरूरत है उस संशोधन की जरूरत है। पांच महीने का समय वहां पर हो गया है, लेकिन अभी तक शासन के द्वारा हाड़ा स्कीम स्वीकृत नहीं हुयी। जिला स्तर पर पैसा पड़ा हुआ है कहीं १८ लाख कहीं १५ लाख उसको बांटने की व्यवस्था नहीं है। मुझे अभी पता लगा कि देहरादून में हाड़ा स्कीम का उद्घाटन भी हो गया है। लेकिन यहां से उनका जवाब तलब कर दिया गया कि तुम्हें हमने मंजूरी नहीं दी तो तुमने कैसे उद्घाटन कर दिया? मेरे कहने का मतलब है कि शासन जिसकी हम खिदमतगारी करते हैं तो वह कम से कम पहाड़ों के साथ न्याय करे और हमें पर्याप्त मात्रा में धन दे। इस समय पहाड़ों पर जो विपत्ति आयी है तो मैं राजस्व मंत्री से कहना चाहता हूं कि वहां पर खाद की, बीज की, पशु मवेशियों की वसूली कम से कम ४ महीने के लिए स्थगित कर दें ताकि लोग जो भूख से परेशान हैं उनकी कुछ मदद हो सके।

मान्यवर, लगभग एक साल का समय हो गया। आज तक यह परम्परा थी कि पर्वतीय विकास बोर्ड की बैठकें हुआ करती थीं और उनमें चर्चा होती थी। एक वर्ष हो गया कोई बैठक नहीं हुई। इसलिए मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रताप सिंह पुष्पवान]

करना चाहता हूं कि बोर्ड की बैठक बुलायी जाय जिसमें विचार करके वहां की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जा सके । एक बात यह कहनी है कि चमोली जनपद में विष्णु प्रयाग योजना १ अरब ५ करोड़ रुपए की बनने वाली है । पांच ६ महीने का समय हो गया या यों कहूं कि एक साल का समय हो गया लेकिन अभी तक कोई आशातीत काम नहीं हुआ । शासन की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दो असिस्टेन्ट इंजीनियर्स वहां हैं । इंजीनियर रहना चाहता नहीं । जबरदस्ती थोपा जाता है । इस तरह से वहां का कल्याण होने वाला नहीं है ।

मुझे जहां तक जानकारी है शासन से स्टाफ मांगा गया था लेकिन पर्याप्त मात्रा में स्टाफ न मिलने के कारण कोई कार्य नहीं हुआ । अल्प सिंचाई के लिए ४ करोड़ रुपया दिया गया केवल एक जनपद के लिए एक इंजीनियर और उसके अन्तर्गत ४ जूनियर इंजीनियर्स हैं । मैं शासन से यह जानना चाहता हूं कि क्या चार करोड़ रुपए का कार्य ४ ओवरसियर्स कर सकेंगे ? वहां से मांग की जा रही है कि गांव के अन्दर काम करना है । अभी बरसात है । कुछ दिन बाद जाड़े आ जायेंगे और बर्फ गिर जायगी । जो रुपया दिया गया है उसको खर्च करने के लिए स्टाफ दिया जाय ।

मान्यवर, कल शिक्षा के विषय में बात चल रही थी । पहाड़ के साथ न्याय नहीं हो पाया । जाड़ों में सारे स्कूल बन्द थे क्योंकि वहां जाड़ों में ही छुट्टी होती है । वहां लोगों को अवसर मिल ही नहीं सकता था उन दिनों । शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब इस तरह की नियुक्ति कर रहे हैं तो पहाड़ में जितने लोग टी० टी०, एल० टी०, सी० टी० है उनके लिए भी विचार किया जाय । फिर मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ पर ऐसे लोगों को कतई न भेजा जाय जिन्होंने सजा भुगती है या जो काम नहीं करना चाहते हैं । माननीय श्री शोबन सिंह जीना अच्छे मंत्री हैं । ६६ करोड़ की थैली भी उनको मिली है लेकिन शक्ति कुछ नहीं है । न एक चपरासी को भेज सकते हैं न बुला सकते हैं। यह जो हल्ला होता है कि पहाड़ों के लिए बहुत कर रहे हैं तो आत्मा की आवाज से कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ है नहीं । पर्वतीय विकास मंत्री के हाथ में पूरी ताकत नहीं है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां प्रत्येक विभाग में जितनी नियुक्तियां होती हैं और ट्रान्सफर्स होते हैं, वे जीना साहब के संज्ञान में अवश्य आने चाहिए। मान्यवर, आप ने समय दिया, उसके लिए आभारी हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं ।

(श्री श्यामधर मिश्र का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य—

अब तक यह परम्परा रही है कि यहां पर रेशियों के हिसाब से बजट पर बोलने का अवसर रहता है एक विरोध पक्ष और तीन सत्ता पक्ष ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अनुपूरक अनुदान है, इसमें सामान्य बजट की प्रथा लागू करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज ही सदस्यों को बोलने का मौका रहेगा । इसलिए एक इधर का और एक उधर का, यह प्रथा रहेगी ।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, अनुपूरक अनुदानों के सम्बन्ध में समय तो कम है और मांग ३४ करोड़ रुपए की है। यह तब है जब कहीं-कहीं १०० रुपए को छोड़ दिया गया है। इसको उस बजट रकम के साथ जोड़ा जाए, जिसके प्रतीक रूप में वह १०० रुपए की है, तो हमें इस पुस्तिका से नहीं मालूम पड़ता है कि वह कितना हो जाता है। इसलिए वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि जब वह आगे अनुपूरक अनुदान लावें तो जिसे आप बचत कहते हैं, जिसको प्रतीक के रूप में ले आ रहे हैं, उसको भी जोड़ दें। क्योंकि जिसको यह बचत कहते हैं, वह वास्तव में बचत नहीं है। इस वर्ष १९७८-७९ में अगर किसी अनुदान में ५० रुपए का प्राविधान किया है और दो करोड़ रुपया इसको रिएप्रोप्रिएट करके १०० रुपए के प्रतीक रूप में इसमें दिखा दिया और आपने कहा कि बचत करके इसमें ले लिया, तो वह १०० रुपया आया, २ करोड़ रुपया नहीं आया। तो मैं कहना चाहूंगा कि २ करोड़ रुपया आपने बचाया नहीं। इसमें बचत की बात क्या है, इसे आप नान-यूटीलाइजेशन कहिए, दुरुपयोग कहिए, अनुपयोग कहिए, लेकिन बचत न कहिए, बचत तो तब हो जब निश्चित योजना पूरी हो जाए और उसके बावजूद रुपया बच जाए और यदि इस योजना को काटकर २ करोड़ रुपए में से १०० रुपए का अनुदान मांग लिया है तो यह उचित नहीं होगा, यह तो भ्रम है। अभी-अभी एक महीना हुए पूरे मंत्रालयों के अनुदान यहां स्वीकृत हुए और तीन महीने बाद यह अनुपूरक अनुदान आ गया है और इतना ही नहीं मैं समझता हूं ३-४ महीने बाद फिर यह आएगा। यहां अनुपूरक बजट प्रथा के रूप में आने लगा है, क्योंकि यह पहले से चला आ रहा है, यह मैं आपके सामने आपकी पुस्तिका से ही साबित करना चाहता हूं। यह अनुपूरक अनुदान इस सम्बन्ध में लाए होते, ऐसे काम किए होते, जिन पर एक-एक मंत्रियों को निर्णय लेना पड़ा, तो बात समझ में आती। लेकिन १९७७-७८ में कहीं-कहीं रुपए का प्राविधान किया गया, वह १९७८-७९ में क्यों नहीं हुआ ? यह योजना १९७७-७८ में चालू हुई। १९७८-७९ का जो बजट अभी पास हुआ, उसमें क्यों नहीं आया ? अनुपूरक में किस प्रकार आ रहे हैं। जो आपको बजट के समय करना चाहिए वह अनुपूरक के समय कर रहे हैं। इस प्रकार एक प्रकार से कृत्रिम रूप से आप अनुपूरक अनुदान दिखा रहे हैं। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, कि मौका नहीं पिछले समय की बातों को रखूं।

माननीय वित्त मंत्री जी उन कागजों को निकाल कर देख लें, जो अनुपूरक अनुदानों के सम्बन्ध में सदन के समक्ष मांगे आती हैं, अन्त में मूल भी खर्च नहीं होता। मेरे पास समय नहीं है। मैं एक नहीं एक दर्जन मिसालें किताब से निकाल कर दे दूंगा। आप जितना हो उतना ही खर्च क्यों न करें। हम जानना चाहते हैं कि अनुपूरक में मौलिक बातें क्यों उठाते हैं। जो बड़ी-बड़ी बातें हैं, आप वित्त मंत्रालय की ओर से मौलिक बजट में प्रस्तुत कीजिए। जैसा कि पन्ना २ पर दिया हुआ है मंत्रि-परिषद् के लिए ३२ या ३६ गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। आप पहले कह देते, हम मितव्ययिता के पक्ष में नहीं हैं। मंत्रियों के लिए ३२ गाड़ियों क्या जरूरत है, इसके लिए अनुपूरक रूप से लाने की क्या जरूरत है ? मैं यह पूछना चाहता हूं, पन्ना ४ पर देखें, स्मृतिपत्र के, मद्य निषेध की नीतियों के सम्बन्ध में, अब इसमें कैसे दो लाख मांग रहे हैं ? यह अनुदान ऐसा है जिसके सम्बन्ध में वित्त मंत्री, आबकारी मंत्री ने बराबर बयान दिया है। अब इस अनुपूरक अनुदान में कोई आवश्यकता नहीं थी और अगर आवश्यकता थी तो पूरे प्रदेश के लिए थी जिसके लिए वित्त मंत्री को चाहिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामधर मिश्र]

था कि उसी समय आते जिस समय उनकी मौलिक मांग हो रही थी। पन्ना ५ पर देख लें, बिक्री कर के सम्बन्ध में चल दल इकाइयां स्थापित करने का निर्णय १९७७ में लिया गया। वह १९७७-७८ के बजट में नहीं आया। १९७८-७९ में नहीं आया। अब श्रीमन्, आ रहा है प्रतीक रूप से १०० रुपये की मांग है। बजट है ६ लाख ४५ हजार का। मैंने दोनों किताबें पूरी पढ़ी हैं। एक-एक पन्ने पर निशान लगाया है। समय कम है। क्या बताऊं ? वह ऐसा केवल इस लिए कर रहे हैं कि शायद ऐसा करते चले आए हैं। अपने विभाग के अधिकारियों से कहिए कि इस प्रथा को बन्द करें।

आपने अधिकारियों के आवास के सम्बन्ध में रुपया मांगा है। मैं इसका समर्थन करता हूं। साथ ही साथ मैं खुश होता यदि माननीय सदस्यों के आवास की व्यवस्था के लिए कुछ मांगते। माननीय सदस्यों के आवास की जो दुर्दशा है वह वित्त मंत्री जी को मालूम है, वह सदस्य रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री को, लिखा गया, अध्यक्ष जी को लिखा गया। उनका कोई पुरसां हाल नहीं है। आपने गाजियाबाद जिले के सम्बन्ध में कहा। यह कोई आज नहीं बना है। मैं जल्दी-जल्दी चल रहा हूं क्योंकि लाल बत्ती लगी हुई है। आपको विकेन्द्रित व्यवस्था करनी है तो आपके पहले की सरकार ने घोषणा की थी कि मिर्जापुर जिले को बांटेंगे और राबर्ट्सगंज को एक जिला बनायेंगे। इसी प्रकार से भदोही को भी एक जिला बनाने की बात थी। जब कहा गया तो कह दिया कि विचार कर रहे हैं। उसके लिए अनुपूरक अनुदान नहीं मांगते हैं। हमारे पड़ोस में हंडिया एक जगह है। माननीय वित्त मंत्री जी जानते हैं। मुझे दुख है कि चिकित्सा मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। माननीय लाल बहादुर जी के जमाने से और उनके नाम से एक आयुर्वेदिक स्कूल है और उसके लिए १० लाख रु० दिया गया और भवन खड़ा हो गया और वहां पर पढ़ाई भी आरम्भ हो गयी तमाम विद्यार्थी पढ़ रहे हैं लेकिन सरकार कह रही है कि मान्यता नहीं देंगे। अगर मान्यता नहीं देंगे तो इतना रुपया क्यों लगा दिया ? नायडा काम्पलेक्स के बारे में कहा गया। मैं दिल्ली से परिचित हूं। अगर आप नायडा को बना दें तो आपका औद्योगिक कल्याण हो जायगा आप धीरे-धीरे चल रहे हैं। आप गतिशील हों। वहां पर पुल बनना चाहिए अगर पुल बन जायं तो आप देखेंगे कि गाजियाबाद से अधिक वहां पर औद्योगीकरण हो जायेगा। मुझे बहुत सी बातें कहनी थी लेकिन समय नहीं है इसलिए बैठता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अनुदानों के लिए विधयक पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि इन अनुदानों में हमारे जनपद की योजनाओं की चर्चा होगी लेकिन खेद का विषय है कि अग्रगामी परियोजना अजीतमल की कोई चर्चा नहीं है। जब पंडित नेहरू प्रधान मंत्री थे और उस समय यहां पर पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त चीफ मिनिस्टर थे। उस समय अलबर्ट मायर साहब ने प्लानिंग के लिए इटावा की भूमि को चुना था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्लानिंग चली गयी, लेकिन अजीतमल ब्लाक में प्लानिंग का कोई नामोनिशां नहीं रह गया। जब प्लानिंग की बात आती है तो महाराष्ट्र को कोट किया जाता है। महेवा और अजीतमल ब्लाक्स में कोई काम नहीं हो रहा है।

गोवर गैस प्लान्ट की प्रगति के लिए सरकार द्वारा एक भी पैसा नहीं दिया गया है। वहां सोलर एनरजी के इन्वेन्शन के लिए शोध कार्य हो रहा है लेकिन सरकार को उसकी ओर देखने के लिए कोई समय नहीं है और न सरकार के पास उसके लिए पैसा ही है। इसके अलावा और ज्यादा क्या सरकार को नपुंसकता हो सकती है ? इनएफीसिएन्सी के अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं।

नियोजन का काम राज्य मंत्री श्री लक्षमण सिंह जी देख रहे हैं। अग्रगामी योजना के अन्तर्गत वह एक-एक गांव में घूमते हैं और मैं उनके साथ होता हूं। इस योजना के अन्तर्गत सही माने में कोई काम नहीं हुआ है। वह घोषणा करके आते हैं और स्पीच देते हैं कि इस योजना को चालू रहना चाहिए और इस योजना के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे की आवश्यकता है और उनके इशारे पर इसको एजेन्सी के रूप में परिणित कर दिया गया है और उनके लिए एक एजेन्सी बना दी गयी है। ३ करोड़ ६६ लाख की योजना प्रस्तावित करायी गयी थी। यह सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है कि उनसे जब मैं कहता हूं तो कहते हैं कि आनन्द स्वरूप जी से कहें। 'आनन्द स्वरूप इज एक्सपर्ट इन बीटिंग एबाउट दि बुशे आनंद स्वरूप बात को घुमाने में बड़े माहिर हैं। एक साल से ज्यादा हो गया है लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला है। मंत्री जी ने कहा कि बजट में सम्मिलित नहीं कर पाये हैं सप्लीमेन्टरी बजट में शामिल करा देंगे। खींचतान कर ५ लाख रुपया ला पाये हैं और वह इस परियोजना के लिए रख देंगे। लेकिन वह एक कोरी योजना की योजना रह गयी, उसके सम्बन्ध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस तरह की बातें की जाती हैं। २-३ मंत्रियों की एक मीटिंग हुई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मेरे सामने कोई ऐसी चीज नहीं आयी कि कुछ हो रहा हो। महेवा और अजीतमल ब्लाक प्लानिंग के जन्म देने वाले हैं लेकिन वहां पर प्लानिंग के नाम पर इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है।....

मैं उस जनपद के कांग्रेस की बात करता हूं जहां कांग्रेस के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का जन्म हुआ था। उस कांग्रेस का जन्म इस इटावा जनपद में उस समय हुआ जब ह्यूम का जमाना था। इस मामले में इस इतिहास को सब लोग जानते हैं। इटावा ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उस संस्था को जन्म दिया और देश की आजादी के लिए उस समय बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, उस जनपद को इस तरह उपेक्षित दृष्टि से देखा जा रहा है। पंजाब का सूबा जिसमें ५ नदियां बहती हैं वहां पर ५ नदियां एक स्थान से निकलती हैं किंतु पंचनद के नाम से प्रसिद्ध स्थान पर इटावा जनपद में ५ नदियां एक स्थान पर आकर मिलती है। पंचनद बांध की स्वीकृति पिछली सरकार ने दी थी इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है कि इस सरकार ने बजट में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं की है। यह पंचनद बांध, बिहार तक की बाढ़ को रोकने में सहायक होगा। उस पर सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। इस वर्ष बाढ़ में इतना भारी नुकसान हुआ है, मैं निवेदन करना चाहता हूं उस ओर सरकार ने क्या किया। इटावा जिले में सड़कों की हालत बहुत ही चिन्ताजनक है जिनका कोई पुरशाहाल नहीं है। बहुतों पर मिट्टी तक नहीं पड़ पाई है और रास्ते उखड़े पड़े है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस ओर निवेदन करता हूं कि उनके सुधार की ओर आवश्यक कदम उठाये। बस मान्यवर, इतना कह कर अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

बस मान्यवर, अपनी बात समाप्त करता हूं—इन शब्दों के साथ—

लग रहा फिर कोई लहर आने को है,
इस शहर के बाद भी कोई शहर आने को है ।
रक्तखोरो पढ़ सको तो पढ़ लो अपना मर्सिया,
फिर नये विद्रोह की कोई खबर आने को है ।
मेरी सदा की दवा ले लो खैर मुमकिन है,
मगर हयात की तलवार कौन रोकेगा,
फसीले अति शो आहन बहुत बुलन्द सही,
बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा,
नये ख्याल की परवाज रोकने वालों,
नये आवाम की तलवार कौन रोकेगा ?

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, अनूपरक अनुदानों का बजट माननीय मंत्री जी ने हमारे सामने पेश किया, मैं समझता हूं कि इतना बड़ा खर्च करने का बजट कभी देखने को नहीं मिलेगा । यह बजट इस बात का सबूत है कि जनता सरकार कितनी गैर-जिम्मेदार सरकार है । जिस ढंग से यह सरकार चल रही है मैं समझता हूं कि इस देश के इतिहास में कोई सरकार नहीं चली है । माननीय राजस्व मंत्री जी ने मान्यवर, इतना बड़ा बजट हमारे सामने रख दिया कि बाढ़ से इतना नुकसान हुआ किन्तु मान्यवर, उसमें क्या किया गया ? मान्यवर, दो करोड़ रुपया सिंचाई विभाग को बाढ़ के लिए दिया गया । इन पर तमाम चर्चायें हुईं, तमाम भाषण हुए किन्तु मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस बाढ़ से राहत के लिए कितना रुपया खर्च किया गया ? मान्यवर, यही नहीं जब बजट पेश हो रहा हो, सामान्य चर्चा हो रही हो उस समय भी बाढ़ के लिए कोई प्रस्ताव नहीं, चर्चा के समय माननीय मुख्य मंत्री जी गायब, सिंचाई मंत्री जी गायब और राजस्व मंत्री जी भी गायब । केवल सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बेचारे रह गये । उत्तर काशी के बारे में अभी चर्चा हुयी और ७ तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगे । उसके बारे में मुझे अभी कुछ नहीं कहना है । मैदानी इलाकों में बाढ़ से क्षति तो हुई ही है लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में आने-जाने और संचार के साधन नहीं हैं । अखबारों के अन्दर सूचना नहीं आती है लेकिन जा कर देखें कि पहाड़ी क्षेत्र में कितनी तबाही आयी है ।

मान्यवर, हमारे टिहरी गढ़वाल में २-३ गांव ऐसे हैं एक तो स्यांसु जो थौलधार विकास क्षेत्र में है और भल्ड गांव जो भिलंगना विकास क्षेत्र में पड़ता है । इन गांवों के पीछे ३-३ फुट की एक-एक फर्लांग तक दरार पड़ी हुई है । गांवों के लोग अपने-अपने पशुओं को लेकर भाग चुके हैं, कुछ तो उनमें से खुले आकाश के नीचे अपनी गुजर बसर कर रहे हैं । वहां पर सड़कें और पुल टूट चुके हैं, एक गांव का दूसरे गांव से सम्बन्ध नहीं रहा है । अन्तराल के लोग जिला हेड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्वार्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं। पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी–गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा आदि जिलों में यही स्थिति है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को इसका क्या अन्दाजा है ? ये जो सड़कें टूट चुकी है, उनकी मरम्मत के लिए कितना व्यय होगा ? इन पुलों को दुबारा बनाने में कितना रुपया व्यय होगा ? जो नहरें टूट चुकी हैं, उनकी मरम्मत में कितना रुपया व्यय होगा और जो लोग अपने घर बार छोड़ चुके हैं, उनके पुनर्वासन में कितना रुपया व्यय होगा ? क्या इसका कोई अन्दाजा हमारी सरकार को है या अन्दाजा लगाने का कोई प्रयास किया गया है ? यहां पर लगातार आंसू बहाय जाते हैं कि बाढ़ पीड़ितों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। बाढ़ के नाम पर हमारे मंत्रिगण हेलीकोप्टर पर बैठकर सैर भी कर आये हैं लेकिन वहां के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कितने रुपये की जरूरत है यह उनको पता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा है कि यह सरकार के दिवालियापन और निकम्मेपन का बजट है। करोड़ों रुपया इस कार्य के लिए मांगा जाता है। अभी ३४ करोड़ और कुछ रुपया मांगा है।

पिछली बार सरकार को करोड़ों रुपये का बजट दिया गया शायद ३ महीने पूर्व ही। उसको खर्च करने के लिए किस प्रकार से गैर जिम्मेदारी ढंग की नीतियां चलायी जा रही हैं। घोषित किया गया कि जनता पार्टी ने दूसरा स्वतंत्रता संग्राम किया और दूसरी आजादी प्राप्त की। इसके लिए कहा जाता है कि बड़ी कुर्बानियां की गयी और बड़ी प्रतिज्ञायें की गयी कि इस देश और प्रदेश में जनतंत्र कायम रखेंगे। लेकिन इस डेढ़ वर्ष की अवधि में इन्होंने ४८ जगहों पर गोलियां चलवाई। जो सरकार इस प्रकार गोली चलवाये वह किस प्रकार से जनतंत्र पर विश्वास कर सकती है ? २–४ जगहों की बात हो तो ठीक लेकिन मान्यवर, १७ जुलाई को ललितपुर में क्या हुआ ? १५–१६ तारीख को वहां के पुलिस अधिकारी ने एक आदेश दिया कि ११ बजे के बाद कोई दुकान खुली नहीं रहेगी। नतीजा यह हुआ कि जो रिक्शा चालक थे उनको पुलिस वालों ने पीटना शुरू कर दिया और उनसे रुपया छीना। १७ जुलाई को एक मीटिंग हुयी पुलिस के अत्याचारों के विरुद्ध। उस पर बर्बर तरीके से लाठी चार्ज किया गया।

मान्यवर, इसमें २ १/२ सौ आदमी घायल हुए। २१ तारीख को प्रदेश के नौजवानों ने बेकारी की समस्या को लेकर अपना प्रदर्शन विधान सभा के समक्ष किया था लेकिन जिस बर्बर तरीके से इन छात्रों और छात्राओं पर लाठी चार्ज हुआ कि सैकड़ों घायल हुए और उनको जेल में ठूस दिया गया। ये लोग जनतंत्र की बात कहते हैं। यही हमारे नेता कुछ ऐसे हैं जो समाजवाद की भी बात करते हैं और हमारे मित्र विधे जी तो उसके सबसे बड़े अग्रणी हैं। किन्तु बिड़ला द्वारा हिन्डालको के जब मजदूरों को निकालने का मामला आता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, अपने ऊपर अत्याचार के विरुद्ध जब मजदूर धरना देते हैं, तो यह जनतंत्र और समाजवाद के ठेकेदार दफा १४४ लगा देते हैं। मजदूर अपनी मांगों के लिए हड़ताल भी न कर सकें, यह है इनका समाजवाद। कल तक जब तक इधर (विरोध पक्ष) बठते थे समाजवादी थे, उधर बठते ही उसको भूल गए। मंत्री जी ने हिन्डालको के मामले में दोनों पक्षों को बुलाकर राजीनामा भी करवाया, वह राजीनामा हुआ, (व्यवधान) मगर उस पर क्या कार्यवाही हुई ? एक दरोगा जो इस सरकार की शह पाये हुए है, बिड़ला के इशारे पर, मजदूरों की मीटिंग में लाठी चार्ज करवाते हैं। श्रम मंत्री जी के राजीनामा करवाने के बाद बिड़ला के इशारे पर यह होता है। इस दरोगा ने मंत्री जी के आदेशों तक को ठुकराया है। यह है इनकी हालत।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

हमारे मन्त्री शाही साहब कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। यह क्या है ? कैसे काम चलेगा। जो काम बिड़ला आदि से चन्दा लेने का यह (कांग्रेसी) लोग करते थे, वही काम आप कर रहे हैं। यह (कांग्रेसी) लोग भी कहते थे कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, मगर उनसे पैसा लेकर, चन्दा लेकर, उ को टालते रहे, वही परम्परा आज हमारे दिये जी अपना रहे हैं। पहले बिड़ला जी पर दबाव डालेंगे कि राष्ट्रीयकरण करेंगे, फिर उनसे चन्दा लेंगे, करेंगे कुछ नहीं।

हरिजनों के साथ बराबर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कहीं न कहीं उनके साथ अत्याचार की घटनायें न होती हों। मैं पूछना चाहता हूं कि इन डेढ़ वर्ष के अन्दर आपने उनके लिए क्या किया ? आज तक आप उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाये। हरिजनों के पट्टे आज भी निरस्त किए जा रहे हैं, उन्हें बेदखल किया जा रहा है। हरिजनों ने संघर्ष करके पहले जिन जमीनों पर कब्जा कर लिया था, आज फिर उनको बेदखल किया जा रहा है। बड़े-बड़े जमींदारों के कहने से उन हरिजनों को बेदखल किया जा रहा है। आप बतायें कि आपकी सरकार बनने के बाद से आज तक आपने कितने हरिजनों को जमीन पर कब्जा दिलवाया ?

(व्यवधान)

आज तक कोई भी समस्या आप सुलझा नहीं पाए हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, विश्वविद्यालय बन्द पड़े हैं, मजदूरों की समस्या वैसी ही बनी है, ऐसी सरकार को यह सदन कोई अधिकार नहीं देता कि वह एक पैसा भी खर्च करे।

*श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर माननीय तिवारी जी वित्त विषय के विशेषज्ञ माने जाते हैं, लेकिन वह विरोधी पक्ष के तरफ से इस अनुपूरक बजट के छिद्रान्वेषण की तरफ सदन का ध्यान खींच रहे थे, तो बार-बार उन परम्पराओं की तरफ जो उनके दिमाग में बना हुआ था, उस बजट में जिसमें जनहित का संकेत है, या जो प्रदेश के हित में है कह कर उसकी प्रशंसा मजबूर होकर उन्हें करनी पड़ी। यह दुर्भाग्य है हमारे देश का कि बहुत से लोग जो किताबी दुनिया में समाजवादी अपने को दिखाते हैं कि मैं समाजवाद में आस्था रखता हूं, देश के अन्दर समाजवाद लाना चाहता हूं लेकिन प्रयोग की दुनिया में तमाम पूंजीवादी परम्परा है, उसी को ३० साल तक चलाते आ रहे हैं। आज हमारे मित्र नेगी जी, तिवारी जी हमारे वित्त मंत्री की तरफ इशारा कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन परम्पराओं और आडम्बर के धोखे में रह कर समाजवाद के नाम पर हमारे देश में धोखा दिया है, उन्हीं बातों का आपके ऊपर प्रभाव है कि आज आप बजट को समाजवाद की दिशा में देख रहे हैं। जो बजट का तरीका रहा है, वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट उसी रूप में आज पेश किया गया है। मैं यह जरूर कह सकता हूं कि ईमानदारी से इस देश की परिस्थितियों के अनुकूल जो हमारे देश का वातावरण है, उस दायरे में रहते हुए जनता पार्टी की सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि हम जनता को अधिक से अधिक राहत दे सकें।

जैसा कि तिवारी जी उस बजट की आलोचना करते हुये सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रहे थे कि जो तमाम कांग्रेसी जमाने में स्थिति बनी हुई थी, मैं कहना चाहता हूं तिवारी जी से कि जो परम्परायें कागज पर केवल चली आ रही थीं, वैसा न करके जनता पार्टी की सरकार ईमानदारी से इस बात की कोशिश कर रही है कि हम उतना ही अनुदान, उतना ही पैसा मांगें, जितना हम ईमानदारी से खर्च कर सकते हैं ताकि लास्ट में जाकर जो तमाम पैसा बच जाता है, वह तमाम अधिकारी केवल कागज पर ही दिखा न सकें। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं अपने वित्त मंत्री जी से कि जिस तरफ श्री श्यामधर जी संकेत कर रहे थे कि आप सदन से अनुदान तो ले लेते हैं, लेकिन समय के अन्दर वे पैसे खर्च नहीं होते हैं और आखिर में जाकर जब मार्च का महीना आता है, तो सरकार की जो परम्परायें हैं, सारे कागज पर, आखिर में दिखा देते हैं कागज पर, तमाम योजनाएं बन जाती हैं, लेकिन वास्तव में देखने को नहीं मिलती हैं। प्रदेश के अन्दर आपने जो जनता से वायदा करके, उसका ध्यान आकर्षित किया है, उनकी तरफ कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। जो आज लिंक रोड की चर्चा चल रही थी, मैं चाहता हूं कि अपने वित्त मंत्री जी ने जो ८ करोड़ रुपये का प्राविधान किया था, उसे मजबूती से खर्च करने की तरफ कदम बढ़ाइये। जो डेढ़ करोड़ मांगने की बात कह रहे थे, उसमें कुछ संकोच कर रहे हैं कि शायद वह पूरा पैसा खर्च कर पावेंगे।

मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह जो पुरानी परम्परायें हमारे और आपके ऊपर छाई हुई हैं, उन परम्पराओं को तोड़ कर देश के अन्दर क्रान्तिकारी कदम उठाना होगा। यह कागजी कार्यवाही जो अधिकारी बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, साल भर के बाद आपको पता चलता है कि वास्तव में जमीन पर काम नहीं हुआ है केवल कागज पर काम हुआ है और सारी चीजें रह गयीं हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि तीस सालों से लगातार बाढ़ आती है और हर साल नदियों की बाढ़ और कटाव से एक भयानक समस्या हमारे प्रदेश ही नहीं बल्कि मुल्क के सामने आती है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है लेकिन इसका आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। जब बाढ़ आती है तब बाढ़ और नदियों के कटाव के नाम पर लाखों रुपये इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी दिखाकर, देश और प्रदेश की गाढ़ी कमाई को पानी में बहा देते हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना होगा और समय रहते हुए इसको रोकने की तरफ सरकार कदम बढ़ायेगी।

अब मैं अपने जिले के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री का ध्यान खींचना चाहता हूं। जिस स्थान का मुख्य पदासीन व्यक्ति होता है वहां की भी उपेक्षा होती है। जैसे जब उत्तर प्रदेश के प्रधान मंत्री थे तब उत्तर प्रदेश की हमेशा उपेक्षा होती रही और आज उत्तर प्रदेश भारत में गरीबी में नम्बर दो पर है। बिहार को छोड़ कर सबसे नीचे आता है। आज आजमगढ़ के मुख्य मंत्री जो हैं। आजमगढ़ पूर्वांचल के सबसे पिछड़े जिलों में आता है। जहां के लोग गरीबी की रेखा से भी नीचे हैं। आज आप इस अनुपूरक बजट में देखें। वहां जो चीनी

[श्री विक्रमा राय—]

मिलें स्वीकृत थीं ।जिनको लाइसेन्स मिला था, जिनकी ओर माननीय तिवारी जी ने ध्यान आकर्षित किया था लेकिन अभी तक दो साल से चीनी मिल के बनने की तरफ कोई कदम नहीं उठा है । यह योजनायें केवल कागज में हैं ।

मान्यवर, अभी तिवारी जी ने बुनकरों के संबंध में जैसा कहा, तो मुझे कहना है कि उनको माननीय दिवे जी से ज्यादा अनुभव होगा, लेकिन जो करोड़ों रुपया गरीब बुनकरों के लिये होता है वह उन पर नहीं खर्च होता है । यदि सही मानों में ईनक्वायरी की जाय तो तमाम फर्जी लोग मिलेंगे जो फर्जी सोसाइटी बनाये हैं और वह रुपया लेकर उसका दुरुपयोग करते हैं । छोटे बुनकर जो हाथ से कर्घा चलाते हैं वह उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं । पिछली बार मैंने इस सम्बन्ध में एक सवाल उठाया था कि फर्जी सोसाइटियों की जांच करके देखा जाय तो जो करोड़ों रुपया सरकार का गया था वह गरीब बुनकरों को न मिलकर सफेदपोश और नेता लोगों को जो बुनकर सोसाइटी के नाम पर अपना जीवन यापन करते हैं सारा रुपया खा गये । इसलिए सरकार को मैं बताना और चेतावनी देना चाहता हूं कि बुनकरों को जो ३० साल कांग्रेस के लोगों ने धोखा दिया यदि उसी प्रकार आप धोखा देते रहें, लोगों को चेयरमैन बनाकर, तो गरीब बुनकरों को कभी भी आप सहयोग नहीं दे पायेंगे । इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूरे प्रदेश में जो फर्जी सोसाइटियां हैं उनको जांच करायें तभी जो आपने वायदा किया है वह पूरा कर पायेंगे ।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । विभाग की लिखित समीक्षा भी पेश की गयी है, जिसका मैंने अध्ययन किया है । चाहे जितना आप बजट या अनुपूरक बजट पेश करें लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है । क्योंकि एक साल के अन्दर जो ३० साल में नौकरशाही की हालत थी वही हालत है । आपने जनता से जो वायदा किया था कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे लेकिन आप उस काम में विफल रहे हैं । नौकर शाही पर नियंत्रण लगाने में यह सरकार पूर्णतः विफल रही है । हमारे मित्र श्री गोविन्द सिंह नेगी ने जो कहा उसमें दो राय नहीं है कि इस देश में पुनः लोकतंत्र और जनतंत्र की स्थापना का काम जनता पार्टी ने किया । लेकिन जिस लोकतंत्र की स्थापना का वायदा जनता पार्टी ने किया था उसकी जिम्मेदारी यह है कि उस लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक मर्यादाओं को धक्का न पहुंचे ।

कल हमारे शिक्षा मंत्री जी ने एक कानून पास कर रहे थे कि वैकल्पिक शिक्षकों की व्यवस्था की जाय जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी । लेकिन मन्त्री होने से बाद जितने वह बदल गये हैं, उसकी उन जैसे व्यक्ति से मुझे आशा नहीं थी । एक साल में वह इतने बदल गये कि इतने भारी सम्प्रदाय के लोगों के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया । आपने पहले कहा था कि प्रजातंत्र में आंदोलन पर पाबन्दी नहीं लगायेंगे । इसलिए आपकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है, वह सभी जानते हैं । आप वही स्थिति लाना चाहते हैं कि पुलिस लेकर मजदूरों के संगठन पर गोली चलाकर उनका आवाज दबाने का काम जो कांग्रेस ने किया था वही आप कर रहे हैं । इसलिये इस पर आप न चलें ।

आज सारे मंत्रिमंडल के लोगों पर पक्ष और विपक्ष के लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनकी एक भी बात को माननीय मंत्री लोग, कुछ को छोड़कर, नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मानते हैं और जान बूझकर नौकरशाही लोगों पर विश्वास कर के अधाधुंध लूट मचाये हैं। इसका जीता जागता उदाहरण सार्वजनिक निर्माण विभाग है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री जी ने विभाग में ट्रांस्फर करके एक बड़ा भारी तीर मार दिया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री जी सुन लें कि जिन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और लाखों रुपये का गबन के आरोप थे उनको आपने क्षमादान और पदोन्नति दे दिया है वह उचित नहीं है। मैं मंत्री जी की ईमानदारी पर शंक नहीं करता हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो हमारे साथी, जनता पार्टी के पचासों माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी से जैसे सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को लिखित दिया तो वह विधायकों की बात पर विश्वास नहीं करेंगे लेकिन जो चीफ इंजीनियर कहेंगे वह उनकी रिपोर्ट को सही मानेंगे।

हमारी बातों पर आपको विश्वास करना चाहिये। भारी संख्या में यहां मंत्री बैठे हैं। ट्रान्सफर कर दिये गये भारी मात्रा में। बड़ा कमाल कर दिया। लाखों रुपये की इसमें लूट मार की गयी। यह मैं नहीं कहता आपके चम्चे ही कहते हैं। लाखों रुपया ट्रान्सफर में खर्च हुआ जनता की गाढ़ी कमाई का। यह पैसा कहां से आयेगा? आप अपनी तनख्वाह दान कर दीजिये। आप भत्ता बंगले, गाड़ियां नहीं लेंगे। गांधी के सिद्धान्त पर चलेंगे। लेकिन यह न करके मोटर से, हैलीकाप्टर से चलेंगे और टेलीविजन देखेंगे। मुझे स्वप्न में आशा नहीं थी कि सादगी और संजीदगी को छोड़ कर आप विलासता की ओर बढ़ेंगे। सार्वजनिक निर्माण मंत्री यहां उपस्थित हैं। लेकिन मेरे क्षेत्र में सड़कें नहीं बनेंगी मुख्य मंत्री के क्षेत्र में, आजमगढ़ में सारी सड़कें बनेंगी। हमारे क्षेत्र में सड़कें नहीं बनेंगी। अस्पताल नहीं वहां खुलने चाहिये क्या, बैंक नहीं खुलने चाहिये? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

बाराबंकी जिले में घाघरा की बाढ़ का राजस्व मंत्री ने जिक्र किया लेकिन मेरे क्षेत्र में जहां लाखों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई है, लोगों के घर गिर गये हैं, सैकड़ों गांव बाढ़ से डूबे हुये हैं लेकिन जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों को कोई सहायता नहीं दी गयी। लगान की वसूली जारी है। लोगों को बन्द किया जा रहा है और माननीय मंत्री जी के आदेशों की परवाह जिला प्रशासन नहीं कर रहा है। बाराबंकी जिले में हैदरगढ़ क्षेत्र में एक डिग्री कालेज की व्यवस्था की जाय। मैं सरकार को चतावनी दे रहा हूं अगर सरकार ने जन विरोधी आचरण किया, कांग्रेस सरकार की नकल कर के छात्रों तथा मजदूरों पर गोली चलाई जनता सरकार के शासन ने तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जायगा।

*श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)—

मैं उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदानों का समर्थन करता हूं। चन्द बातें ऐसी हैं जिसका कहना जरूरी है। जब पूरक बजट आया था उस वक्त उर्दू के सिलसिले में, टीचर्स की तरक्की के वास्ते अलग से नहीं सोचा गया था। तो मैं यह सोच रहा था कि जब सप्लीमेंटरी बजट आयेगा तो हमारी जनता सरकार उर्दू का खासतौर से ख्याल करते हुए उसकी ओर ध्यान देगी लेकिन अफसोस इस बात का है कि उर्दू जबान के साथ जो उपेक्षा का बर्ताव कांग्रेसी दौर में हुआ है वैसा ही जनता राज में नजर आ रहा है।

उत्तर प्रदेश के अन्दर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर उर्दू की पढ़ाई का माकूल इंतजाम नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वह आइंदा इस बात का ख्याल रखें कि उर्दू जो इस प्रदेश की भाषा है, यहां की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फजलुलबारी---]

जबान है उसकी पढ़ाई का माकूल इंतजाम हो। इसके लिए सब से खास बात यह है कि हर स्कूल में उर्दू टीचर रखे जायं। हर म्युनिसिपल एरिया में सरकार की तरफ से उर्दू माध्यम के स्कूल हों। उर्दू अकादमी को ज्यादा अनुदान दिया जाय जिससे उर्दू की टेक्सट बुक तैयार की जायं। इस प्रकार के पोजेटिव स्टेप्स सरकार जब उठायेगी तभी उर्दू की भलाई हो सकती है वर्ना जैसे कांग्रेस वायदे करती रही वैसे ही जनता सरकार भी अपना वक्त गुजार कर खत्म हो जायेगी।

इसके बाद सबसे खास बात इस सरकार को सोचनी चाहिये वह यह है कि आफिसरों को कहे कि खर्चा में कमी होनी चाहिये। नये सिरे से प्लानिंग करनी चाहिये और नये सिरे से मसलों पर सोचना चाहिये। जैसे कि बाढ़ की बात आई। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ से तकरीबन हर साल या दूसरे तीसरे साल तबाही होती है। उसके लिए सरकार को चाहिये कि ऐसी योजना बनायें कि इन बाढ़ों का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाय। पिछले दिनों इसी सिलसिले में बहस का मौजूं आया था ऐसे इलाकों की तरक्की के लिए क्या कदम उठाये जायं। मुझे अफसोस है कि मैं उस समय बोल नहीं सका क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन इस वक्त मैं जरूर एक दो सुझाव देना चाहूंगा।

सिंचाई मंत्री जी यहां पर मौजूद नहीं हैं उन तक मेरी बात पहुंच जाय। उत्तर प्रदेश की वह नदियां जो यकायक मानसून आ जाने से बाढ़ की शकल अख्तयार कर लेती हैं उन पर प्लांड वे में बांध बनाये जायें, नहरों का इन्तजाम किया जाय जैसे गोंडा, बस्ती, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, फैजाबाद, बाराबंकी और आजमगढ़ भी उसमें आता है जोकि बाढ़ से मुतासिर होते हैं। इनमें सबसे अहम नदियां घाघरा और राप्ती हैं। इन दोनों को मिलाकर एक प्लान बनाया जाय और इनके पानी को कंट्रोल करने के लिए स्कीम बनाई जाय जैसे कि अमेरिका में टेनिसी वेली आथरिटी बनी थी। यह काम ३० साल के कांग्रेसी शासन में हो जाना चाहिये था लेकिन उस सरकार ने पैसे को बरबाद किया और जो उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिले थे उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं जनता सरकार से गुजारिश करूंगा कि वह इन इलाकों के वास्ते अलग से प्लानिंग कमीशन से सवाल उठाये और इसके लिए पैसा अलग से तय करायें कि बाढ़ को रोकने के लिए कौन से जरिये अख्त्यार किये जा सकते हैं।

मैं अपने जिला गोंडा की तरक्की के बारे में कहना चाहता हूं और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ३० सालों में गोंडा जिला पिछड़ा ही रहा जब कि दूसरे जिले आगे बढ़ रहे हैं लेकिन वहां तरक्की का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। मैं जनता सरकार से गुजारिश करूंगा कि वह गोंडा जिले की तरक्की के लिये कहीं न कहीं कारखाने का इंतजाम करें। कोई सरकारी कारखाना लगे ताकि गोंडा जिले की तरक्की हो सके। मान्यवर, इसके पहले सुना था कि डेरी फार्म की वहां के लिये तजवीज हुयी है लेकिन पता नहीं वे कौन से हालात थे कि जिनकी बिना पर डेरी फार्म की स्कीम बजाय गोंडा फैजाबाद ले जायी गयी और गोंडा जहां पर कि दूध ज्यादा है, सरप्लस है, वहां पर इस संबंध में मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से जिन किसानों ने एस० एफ० डी० ए० की तरह कर्ज पाया हुआ है, उनके कर्ज अदयगी की सूरत नजर नहीं आ रही है। इस लिए निवेदन है कि गोंडा में डेरी फार्म खोलना चाहिये।

स्कूलों की तरक्की जरूरी चीज है। मुझे बड़ा अफसोस है कि गोंडा जिले में बहुत सारे प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के ऐसे हाल हैं कि अगर उनको

मुनासिब मरम्मत का इंतजाम नहीं किया गया तो तमाम स्कूल गिर पड़ेंग और बच्चे और अध्यापक उनके अंदर दब जायेंगे । खासतौर से फैजाबाद रोड पर खुरासा स्कूल है जिसकी हालत बड़ी खस्ता है । मेरा निवेदन है कि शिक्षा मंत्री जी स्कूलों की तरफ ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

सड़कों के सिलसिले में एक बात मान्यवर, कहना चाहूंगा । अभी ६० कि० मी० हर जिले को सड़कें दे कर अगर सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी सोचें कि कोई बड़ा तीर मार दिया है, तो वैसी बात नहीं है । सड़कों के बारे में यह सोचने की बात है कि प्रतापगढ़ और उन्नाव जैसे जो छोटे जिले थे, जिनको ६० किलोमीटर सड़क बांटी है तो वहां पर यह नहीं सोंच पा रहे हैं कि ये सड़कें बनायें कहां पर । तो मैं कहना चाहता हूं कि रकबा और पिछड़ेपन के हिसाब से सड़कों का बटवारा करें ।

अंत में मैं इस अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूं और सरकार से यह निवेदन करता हूं कि मैंने जो अपने जिले के लिये कहा है, उस पर सरकार ध्यान देगी ।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुपूरक बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश सरकार का जो पिछड़ा हुआ बजट था या यह जो बजट पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि जो भी हम लोग पास करेंगे, मार्च तक कोई भी योजना पूरी होने वाली नहीं है । समय बहुत कम है । लेकिन कुछ बुनियादी बातें कहना चाहता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ गरीबी और बाढ़ की समस्या है, वहां पर पढ़े लिखे लोगों की भी समस्या है । १३,००० प्राइमरी स्कूल और २४०० जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं कि जिनके पास अपना भवन नहीं है । तीन महीने बरसात के दिनों में अध्यापक लोग अपने घरों में रहते हैं और लड़के अपने घरों में रहते हैं । स्कूलों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया कि जिनकी अपनी बिल्डिंग नहीं है । कुल मिलाकर डेढ़ करोड़ की मांग की गयी है । इसलिए मैं मांग करता हूं कि जब तक प्रदेश की शिक्षा नहीं बढ़ायेंगे, तब तक कोई भी तरक्की नहीं हो सकती ।

दूसरा सवाल है कि बेरोजगारी का । इस पूरे बजट के अन्दर ३-४ महीने के अंदर बेकारी और बेरोजगारी मिटाने के लिये सरकार क्या सोचती है ? हास्पिटल और सड़कों के बारे में क्या सोचती है ? जनता पार्टी गांव के लिये काम कर रही है । योजना है, लेकिन मुझे यकीन है कि सरकार के मन्त्रि-मंडल में बैठे हुये मंत्रीगणों को फुरसत नहीं है कि इन योजनाओं को कैसे लागू किया किया जायेगा । गेहूं के बदले काम की योजना है । मैं जानता हूं कि ४-६ महीने बजट पास हुये हुआ लेकिन किसी भी गांव सभा के अंदर कहीं एक किलो मीटर कच्ची मिट्टी पड़ी है, कहीं दो किलोमीटर । चकबंदी अधिकारी को लिखा गया लेकिन कोई भी पैमाइश नहीं हुयी । बी० डी० ओ० और अधिकारी वापस चले गये । तो इसपर पापुलर स्कीम-काम के बदले गेहूं--यह स्कीम भी पूरी नहीं होने जा रही है । आजकल गांव के लोगों की तमाम परेशानियां है । रुपया लगाने के बाद भी आज सड़कें चलने लायक नहीं हैं । तो बेकारी दूर करने के बारे में सरकार को प्रयास करना चाहिये ।

जहां तक गृह उद्योगों की बात है, जब तक गृह उद्योग नहीं बढ़ायेंगे, बेरोजगारी मिटेगी नहीं । जनता पार्टी के केन्द्र की सरकार और हमारी सरकार दोनों ऐलान करती हैं कि १० साल के अन्दर बेरोजगारी मिटा देंगे । लेकिन मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनरवीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम अधार---]

समझता हूं कि डेढ़ साल बीत गया। हमारे यहां बेरोजगारी मिटाने की योजना नहीं है। दस साल के अन्दर मिटाने की बात करते हैं। लाखों लड़के ओवरऐज हो रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो लोग बेरोजगार हैं और जिनके नाम रोजगार दफ्तर में पंजीकृत हैं उनकी उम्र की न्यूनतम सीमा सरकारी सेवा के लिए ३५ साल कर दी जाय। यह शासन की जिम्मेदारी है कि जब उनको काम नहीं दे पा रही है तो उनकी आयु सीमा २७ साल से बढ़ाकर ३५ साल करें। इससे यह होगा कि बेरोजगार लोग हतोत्साहित नहीं होंगे।

हैंडलूम के काम में भारी काम किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि हजरतगंज में एक दुकान ले ली और ठेका दे दिया और बढ़िया फर्नीचर लगा दिया लेकिन वहां कोई काम हुआ नहीं। सब्सिडी आप देते हैं। चाहे गन्ने का सवाल है या कोई अन्य सवाल। गन्ने का विकास कैसे होगा, चीनी मिलें कैसे चलेंगी। मैंने इस सवाल को पार्टी मीटिंग में उठाया था और आज फिर उठाता हूं। सरकार के पास १५ जुलाई तक यह रिपोर्ट आ जानी चाहिये कि प्रदेश के अन्दर कितना गन्ने का उत्पादन है। हमारी सरकार ने कहा कि १५ प्रतिशत गन्ने का उत्पादन अधिक हुआ और गन्ने की मिल एक महीने बाद चली। उस समय श्रीमती चन्द्रावती गन्ना मंत्री थी। उन्होंने कहा कि मैं तो चाहती थी कि मिल मालिकों को तलुवे की धूल चटावें लेकिन हमारे मुख्य मंत्री को यह पसन्द न था। गन्ने की मिलें न चलें, कच्ची सड़कें बह जायं कोई फिक्र नहीं। हमारे कैबिनेट के भाइयों को चाहिये कि वह निश्चित रूप से इन चीजों की ओर ध्यान दें। लेकिन आज सारे लोगों में निराशा है। हम बोलते हैं, विपक्ष के लोग बोलते हैं लेकिन किसी मंत्री के पास फुरसत नहीं कि किसी के सुझाव को नोट करें। यह मैं एक नई बात देख रहा हूं कि कोई मंत्री न सुनने को तैयार है न नोट करने को तैयार है।

*श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक मांगों पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आप का आभारी हूं। मान्यवर, इन अनुपूरक मांगों को देखकर ऐसा लगता है और एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि सरकारी बेंचों पर बैठे हुए लोगों का दिमाग उतना ही खाली है जितना सरकारी खजाना। अनुपूरक मांगों के विषय में इससे पहले विपक्ष की तरफ से खासतौर से यह कारण बताया गया जिसे मैं भी दोहराना चाहूंगा कि बाढ़ के मामले में इन मांगों में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। मान्यवर, एक बात यह है कि यह सदन जब सरकार को रुपया देता है तो उसकी यह जिम्मेदारी है कि उसे यह जानकारी हो कि इस रुपये का सही इस्तेमाल हो रहा है। जहां तक रुपये का सवाल है, वह किसी मंत्री की कमाई से नहीं आता इसलिए मंत्रि-परिषद् का काम है, मुख्य मंत्री का काम है कि प्रदेश की जनता के हितों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखा जाय। लेकिन हमारी सरकार बुरी तरह नाकामयाब रही है। इसका अंदाजा उस खत से भी लगाया जा सकता है, जो यहां के मुख्य मंत्री जी ने योजना आयोग के अध्यक्ष को लिखा है।

छठी योजना में योजना आयोग द्वारा केवल ३८६० करोड़ रुपये की राशि इस प्रदेश को दी गई है। यह राशि कुल राज्यों के योजन सीमा की केवल १२.०९ प्रतिशत है, जब कि उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से १६.३ प्रतिशत है और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में गरीबी की सीमा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की दृष्टि से १७.५८ प्रतिशत है । अगर वकील अच्छा होता तो वह अपनी गरीबी का जिक्र करके, अपनी आबादी का जिक्र करके, १७ प्रतिशत नहीं तो १६ या १५ प्रतिशत उसने ले लिया होता । कहता कि हम भूखों मर रहे हैं, हमें दीजिये । लेकिन यहां तो लगता है साल भर पहले अपने अपने जिले से चुनकर आए लोग, दूसरी क्रान्ति का दम भरने वाले लोग, शायद अपने-अपने जिले की गरीबी और दूसरे हालात भूल गए हैं और वह यह समझ रहे हैं कि जो हालात गौतमपल्ली और कालीदास मार्ग के हैं, सारे प्रदेश के हालात भी वैसे ही हैं । जिस वक्त खतरे का वक्त आता है, बन्दर अपनी आंख बन्द करके बैठ जाता है, वैसे ही आज इस मंत्रि-परिषद् के लोग भी अपनी अपनी अपनी आंखें बन्द करके बैठ गये हैं और वे यह नहीं समझ रहे है कि उन पर जो रुपया खर्च होता है और जो आम आदमी की औसत आमदनी है, इन दोनों के बीच में भारी खाई है, बड़ी भारी विषमता है । १ व १० के अनुपात की बात करने वाले लोग उसको लागू करना तो दूर रहा, उसको मन में कभी याद भी नहीं करते होंगे । यह प्रदेश, यह सरकार, इसकी योजनाएं और इसके विकास के कार्यक्रम, और इसका रुपया पैसा सबका सब सत्ता पक्ष के घटकों की लड़ाई के नजर होता जा रहा है ।

श्रीमन्, मैं आपको एक खास चीज दिखाना चाहता हूं, जो खतरा इसमें है, इसमें पुलिस विभाग के लिए भी मांग है । यहां से एक अखबार, पांच्यजन्य निकलता है, जिसके बेनामी हिस्से हैं, जैसे तमाम बिजनेसों में होता है । इसमें आर० एस० एस० भी एक है, यह उसका पत्र है । इस पत्र के जुलाई २ के प्रकाशन में गृह मंत्री जी का फोटो छपा है और लिखा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस विद्रोह के आसार । इसको पढ़िए उत्तर प्रदेश में पुलिस के दूसरे विद्रोह करने की साजिश है, इस पत्र में । कैसे जनजीवन के साथ खिलवाड़ करने की इन्हें इजाजत दी जा रही है ? इस प्रदेश में आज एक हरिजन गृह मंत्री है, जिसका मैं स्वागत करता हूं, किन्तु जनता पार्टी में ही शामिल घटक और सामन्तवादी लोग यह बरदाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उनके दल में कोई हरिजन गृह मंत्री के पद पर पहुंच जाए । यह ऐसा पत्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश के १-२ नहीं कई विज्ञापन छपे हैं । यह इस लिए मैं कह रहा हूं कि दो विभागों का इससे ताल्लुक है । सूचना विभाग विज्ञापन देता है और पत्रों की मदद करता है, तो क्या सूचना विभाग का रुपया इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा ऐसे पत्रों पर खर्च किया जाएगा जो इस प्रदेश में पुलिस विद्रोह कराना चाहते हैं, जो जनजीवन से भयंकर खिलवाड़ करना चाहते हैं । मैं गृह मंत्री को याद दिलाऊंगा कि जब वह सूचना मंत्री थे, तो उस समय किसी पत्र ने साम्प्रदायिकता फैलाई तो उसका विज्ञापन रोक दिया गया । ठीक है आप उस पर कायम रहिए, लेकिन यह जो अराजकता फैलाना चाहते हैं उनको आप सांप को दूध पिलाने वाली हिमाकत न करें ।

मेरा दूसरा एतराज है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से जो रुपया बढ़ाया गया है, इस बात पर है । अब यह कर दिया है कि उपभोक्ता को साढ़े सात रुपये देने ही होंगे । हजारों की तादाद में ऐसे परिवार हैं जो पुराने एक कमरे के मकानों में रह रहे हैं और चार रुपये महीना किराया दे रहे हैं वह साढ़े सात रुपये बिजली का देंगे । इसलिए मैं इन मांगों का विरोध करता हूं । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके ऊपर चर्चा साढ़े तीन बजे तक होगी । इस लिए मैं पांच मिनट का टाइम रखूंगा ।

श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)--

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष १९७८-७९ के लिए जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गाजीपुर में एक पालीटेक्निक विद्यालय और गाजीपुर की एक सड़क जिसकी बहुत जरूरत थी सैदपुर बहरियाबाद सड़क का इस बजट में समावेश किया है । साथ ही साथ माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री का मैं ध्यान खींचना चाहता हूं कि गाजीपुर में उनके निहायत निकम्मे विभाग की ओर तीन महीने पहले कुडेशर शेरपुर मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पुल का निर्माण कराया । छः लाख रुपये की लागत से बना । यह जानकर हैरत होगी कि उस पुल में इतनी लूट हुई कि गंगा से सम्बद्ध नाले की धार में उस नदी पर बना हुआ पुल केवल पहली चपेट में ही बह गया और पूरा शेरपुर गांव गाजीपुर के दूसरे हिस्सों से अलग हो गया । मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री से कहना चाहता हूं कि वह कृपा कर इसको देखें और जांच करवाएं और दोषी अधिकारियों को सजा दें नहीं तो यह माननीय सदन जो पैसा खर्च करने के लिए देगा वह पैसा उस काम में न लगा कर अधिकारियों के पेट में चला जायगा । मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से कहना चाहता हूं एक दूसरा स्थान है रामपुर गाजीपुर में । वह ऐसा स्थान है जो हर ओर से पूरे जिले से कटा हुआ है । कोई रास्ता नहीं है बाढ़ के समय में वह चारों ओर से घिर जाता है । रामपुर को किसी तरह से दूसरी किसी सड़क से जोड़ दिया जाय । इसके लिए एक सुझाव देना चाहता हूं । ताड़ी-घाट से एक सड़क पटकनिया को जाती है उसको रामपुर तक बढ़ा दिया जाय और रामपुर को रेवतीपुर से जोड़ दिया जाय ।

अनुदान संख्या-३४ में जल निकासी की व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति के लिए मांग की गयी है । गाजीपुर शहर में पांच नलकूप पीने के पानी के लिए बने हुए हैं । उनमें चार नलकूप एकदम बेकार हो गए हैं । दो को जल निगम ने एक वर्ष पहले बनाया था । वह दो नलकूप और दूसरे दो नलकूप बेकार पड़े हैं । एक मात्र नलकूप पानी दे रहा है । नगर में हाहाकार मचा हुआ है । एक घंटे के लिए भी पानी की जरूरत पूरा करने के लिए नहीं है । जलकल विभाग के नलकूप पानी नहीं दे रहे हैं । गाजीपुर में जो पानी की शोचनीय व्यवस्था है उसको दूर करने के लिए वहां के नागरिकों को पीने का पानी देने के लिए अविलम्ब कदम उठाया जाय । दूसरे जांच करायी जाय । जल निगम ने एक वर्ष पूर्व दो नलकूपों का निर्माण करवाया था, एक टाउन हाल में और दूसरा उर्दू बाजार में । एक वर्ष पहले बने नलकूप बेकार हो गए हैं । इसमें बड़ा भारी घोटाला है । मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच करावे । दूसरी बात मैं सीवर के बारे में कहना चाहता हूं । गाजीपुर में सीवर की व्यवस्था नहीं है । वहां पर जो सार्वजनिक शौचालय हैं, भंगी हर जगह का मैला लाकर वहां पर डम्प कर देता है । दो-दो और तीन-तीन दिन तक वहां पर वह पड़ा रहता है । नतीजा यह होता है कि वहां पर रहना नर्क हो जाता है ।

मैं कहना चाहता हूं कि गाजीपुर की सीवर निर्माण की व्यवस्था की ओर तत्काल ध्यान दें । गाजीपुर में सिंचाई के विभिन्न डिवीजन्स काम कर रहे हैं लेकिन जल निकासी का कोई काम नहीं हो रहा है और न वहां पर कोई

डिवीजन ही है । गाजीपुर में जमनिया तहसील में पूरी तरह वाटरलागिंग है । जब तक नये ड्रेन डिवीजन की स्थापना नहीं होती है तब तक पानी की निकासी ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगी । पानी निकासी की योजनायें सेवराई और करहिया में स्वीकृत हैं लेकिन उन पर अभी तक काम नहीं शुरू हुआ है । वहां पर कर्मचारियों का अभाव है जो ड्रेन से सम्बन्धित योजनायें हैं उन पर सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए ।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया लेकिन सदन को एक मंशा थी । इस प्रकार के बजट केवल उन कार्यों के लिए प्रस्तुत हो जो कि आकस्मिक एवं अनिवार्य हो और जिनका प्राविधान योजना या मूल बजट में नहीं हुआ हो । श्रीमन्, मने तिवारी जी का भाषण सुना । मुझे खेद भी है । श्री तिवारी जी को जानकारी है कि जनता सरकार ने एक पंचवर्षीय योजना बनाई है बाढ़ को जिसमें २४४.६ करोड़ रुपयों का प्राविधान किया गया है जो आप चाहते हैं कि यह कार्य तीव्र गति से हो जाय, लेकिन श्रीमन्, सदन का ध्यान दूसरी तरफ दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने देश को ३० वर्षों तक लक्ष्य-विहीन रखा था । हमने देश को दिशा दिया है गान्धीवादी दर्शन से आधार पर । श्रीमन, गान्धी जी से राष्टपति भवन के बारे में कहा गया, उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति भवन को अस्पतालों में परिवर्तित कर देंगे ।

डाक्टर लोहिया ने देश में बड़े बड़े आन्दोलन चलाये कि बड़े बड़े बंगलों पर जो यह खर्च है उसे कम किया जाना चाहिए । परन्तु हमारी सरकार वैसा न करके उसके विपरीत चल रही है । माननीय मुख्य मन्त्री जी उसी दल में रहे हैं । मुझे आश्चर्य है और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां कांग्रेस की हालत ३० वर्षों में जाकर गिरी है, वही हमारी जनता सरकार की हालत १ वर्ष में हो रही है । बजट आपके सामने है । ८ लाख १२ हजार रुपये का प्राविधान राष्ट्रपति भवन, लखनऊ और नैनीताल के सुधार के लिए कर दिया गया है । यह बड़ी चिन्ता का विषय है । आपके राज्यपाल के लखनऊ के भवन के लिए ८ लाख १२ हजार रुपये का खर्च है । क्या यह आकस्मिक खर्च है ? जब भारत सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिये हैं कि ऐसे खर्च कभी भी २ लाख २५ हजार के ऊपर इन आलीशान अनुत्पादक मदों में न किए जायं । इसी प्रकार मान्यवर, हमारी जानकारी है कि अधिकारयों के लिए भारी खर्च पर आलीशान हास्टल बनेंगे और उस पर ७६ लाख २ हजार रुपये खर्च होंगे । इस तरह १२ हजार रुपया एक अधिकारी के हास्टल बनवाने के लिए खर्च करने जा रहे हैं ।

मान्यवर, इस बजट में आप देखें हमारे मंत्रियों की सुख सुविधा के लिए यह सरकार ६ लाख २८ हजार ८०० रुपया कार खरीदने में खर्च करने जा रही है । गांधी जी ने कहा था कि जनतन्त्र वहां पर रहेगा जहां पर पैदल चलने वालों की बात सुनी जाती है । जो कार ६५ हजार किलोमीटर चल चुकी है उस पर ये बैठने वाले नही हैं ।

अब आप अनुदान संख्या २९ को देखें । ये नाटक देखेंगे । आप सूखे और बाढ़ से हुयी क्षति के लिए तो खर्च नहीं करने वाले हैं लेकिन अनुत्पादक मदों

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री शम्भू नाथ चौधरी]

पर आप अवश्य खर्च कर रहे हैं, मैं देखता हूं कि इस अनुपूरक बजट में भूमि सेना का भी कहीं पर जिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार के लिए १२ लाख ५ हजार का खर्च करने जा रहे हैं हालांकि कोई कृषि नहीं बढ़ी है।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इन अनुपूरक मांगों पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, समय इतना कम है कि इसमें जनता सरकार ने जो-जो वायदे किए थे उनके बारे में मैं याद दिलाऊं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस जनता सरकार ने एक दिशा दी। चुनाव के पहले आपने एक घोषणा-पत्र छाप कर वायदा किया था कि आजादी और रोटी दोनों देंगे लेकिन जहां तक रोटी का प्रश्न है आप देखें कि आपने अपने समय में कितने लोगों को रोजगार दिया है। कितने लोगों को आपने नौकरियां दी हैं? मैं तो यह महसूस करता हूं कि आप को अपने वायदों पर पुनः चिन्तन करना पड़ेगा।

मान्यवर, आपकी कोई दिशा या नीति स्पष्ट नहीं है, न शिक्षा के क्षेत्र में, न सामाजिक व न्यायिक क्षेत्र में और न उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में घोषित करने के बारे में। आप किसी चीज का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, आप हिन्डालको का राष्ट्रीयकरण करेंगे न चीनी मिलों का आप राष्ट्रीयकरण करेंगे। औद्योगीकरण के क्षेत्र में आप उद्योगों को गांवों तक नहीं ले जायेंगे। आप कहते हैं कि आप सबको रोजगार देंगे, सब की गरीबी दूर कर देंगे। आप देश और प्रदेश के लाखों और करोड़ों की संख्या में नौजवान यह मांग कर रहे हैं कि संविधान में परिवर्तन करके नौकरी के हक को मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया जाय। बेरोजगारी के लिए आपने यह भी कहा था कि आप भत्ता देंगे लेकिन हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि वे इससे सहमत नहीं हैं। इस क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल और केरल की सरकारों ने एक अनुकरणीय दिशा दी है और मैं मांग करना चाहता हूं कि इस प्रदेश के लाखों शिक्षित और अशिक्षित नौजवान इस बात की अपेक्षा करते हैं कि आप उन्हें बेरोजगारी के लिए भत्ता दीजिए और सब की रोटी रोजी की समस्या को हल कीजिए। सुरक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आज तक यह सरकार कोई समुचित कदम नहीं उठा पायी है।

मैं माननीय शिक्षा मन्त्री से दो तीन निवेदन करना चाहूंगा। प्रौढ़ शिक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है, पर इस शिक्षा का कोई अलग निदेशालय की व्यवस्था नहीं की गई है।

एक समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वन विभाग के मन्त्री जो नहीं हैं, हमारे यहां मानिकपुर के रेंजर के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने अनशन किया क्योंकि वहां के आदिवासी और हरिजनों का काफी पैसा वहां के रेंजर ने मार दिया था, उसमें उसने बहुत घपला किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ने जब उसका विरोध किया तो ८-१० को जल में बन्द कर दिया। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि उस रेंजर का ट्रांसफर कर दिया जायेगा, पर आज तक उसका ट्रान्सफर नहीं किया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

बांदा जिले में आवास की भी भयंकर समस्या बनी हुई है। सरकारी अधिकारियों के आवास की व्यवस्था न होने के कारण वहां पर कोई अधिकारी आना नहीं चाहता है। वहां के सदर अस्पताल में कोई सर्जन नहीं है। कर्वी के महिला अस्पताल में महिला डाक्टर नहीं है। इसकी व्यवस्था शीघ्र की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठें।

श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इन अनुपूरक अनुदानों पर बोलने के लिये समय दिया। माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किए हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, यह अनुपूरक मांगे ऐसे समय में आयी हैं जब कि सारे प्रदेश में बाढ़ आयी हुई है। हमारा बस्ती जिला तो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है और सारा जिला बाढ़ में डूबा हुआ है। बस्ती के लगभग साढ़े ४ हजार गांव डूबे हुये हैं। १८ लाख की आबादी प्रभावित है। एक लाख घर गिर गये हैं। लाखों लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। इस अनुपूरक बजट में बस्ती जिले के लिये बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये कुछ भी नहीं रक्खा गया है। बस्ती जिला काफी समय से सबसे अधिक पिछड़ा जिला है। सड़कों के निर्माण की बात जब होती है तो सब जिलों को बराबर-बराबर अनुदान बांट दिया जाता है। बाराबंकी को जितना पैसा मिलेगा, उतना ही बस्ती के लिये। यह नहीं देखा जाता कि कौन जिला सबसे पिछड़ा है, या कौन छोटा है और कौन जिला बड़ा है।

प्रारम्भिक शिक्षा की तरफ में आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रारम्भिक शिक्षा के जितने भी विद्यालय हैं, उनमें से अधिकांश में भवन नहीं हैं। आज बरसात है, तो बरसात भर प्रायः ४ महीने तक छुट्टी रहती है। छोटे-छोटे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की तरफ तथा स्कूल भवन निर्माण की तरफ कोई विशेष योजना नहीं चलाई गई है। यह जरूर देखने को मिला है कि कृषि विश्व-विद्यालय को, आचार्य नरेन्द्र देव को २० लाख रुपये दिया जाता है। पंत नगर विश्व विद्यालय के लिये १ करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की गयी है, लेकिन हमारे प्राइमरी विद्यालयों के लिये कोई मांग नहीं है। जब तक सरकार निश्चित तौर से प्रारम्भिक शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देगी तब तक जो आने वाली संतान है, उनका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। ८-८, १०-१० साल प्राइमरी विद्यालय में रहने के बाद भी आज के विद्यार्थियों को कोई शिक्षा का ज्ञान नहीं हो रहा है। बेसिक शिक्षा के अध्यापकों के ट्रान्सफर्स शासन से हो रहे हैं। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के ट्रान्सफर के लिये भी यहां से स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। आप के माध्यम से हम मांग करते हैं कि विकेन्द्रीकरण की नीति को अपनाइये। सारे अधिकार को अपने पास रख कर, सारे प्रदेश की जनता को परेशान न करें।

हम सरकार से मांग करते हैं कि बस्ती जिले की बाढ़ रोकने के लिये कोई स्थायी योजना बनाई जाय। अगर कोई खास योजना न बनाई गयी तो गरीबी दूर नहीं होगी। जितने गांव चारों तरफ से जल से डूब गये हैं, उन गावों में पटाई का काम तत्काल शुरू करा दिया जाय। जहां-जहां बन्धे टूटे हैं,

श्री उपाध्यक्ष—

वहां पर रेगुलेटर लगा दिये जायं ताकि भविष्य में बन्धे के टूटने की शंका न रह जाय। गर्मी के महीने में खेती करने के लिये एक योजना बनाई जाय। गर्मी में सिंचाई के लिए व्यवस्था की जाय ताकि गर्मी के महीने में किसान लोग खेती कर सकें। मान्यवर, इस बाढ़ की समस्या के निदान के लिये सिंचाई विभाग सक्षम नहीं है। इसलिये एक अलग विभाग होना चाहिये जो प्रति वर्ष पूरे साल बाढ़ के नियन्त्रण के लिए विचार करे और कार्यवाही सम्पन्न करे। अन्त में मैं इस अनुपूरक मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं समर्थन करते हुए अपने कुछ सुझाव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, जो हमारा बजट है, आज हमारे ग्रामों में, हमारे विकास खंडों में और जिला परिषदों में इसका उपयोग हो। हमारे प्रदेश का ४५ और ५० लाख रुपये अनुदान के लिये ग्रामों में काम करने के लिये हर विकास खंडों में ५-५ लाख रुपये आया है अन्तोदय के नाम पर, बी० डी० ओ० केवल अन्तोदय के नाम पर योजना बना रहे हैं, विधायकों से किसी प्रकार की राय नहीं ले रहे हैं। हर न्याय पंचायतों में ५-५ आदमियों को चुना जा रहा है कि उनको मुर्गी पालन, भेड़ पालन की शिक्षा दी जाय। होगा क्या कि आगे चल कर जो योजनायें बन रही हैं तो आधा तो विकास क्षेत्र के कर्मचारियों के पास चला जायगा और यह जो सारी बातें हैं समाप्त हो जायंगी।

दूसरा मेरा निवेदन है कि शिक्षा के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कई तरह के सुझाव दिये हैं। मैं खास तौर से बेसिक शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। आज हमारे जिले में न मालूम कितने विद्यालय भवन विहीन हैं। ५, १० साल के लड़के वृक्षों के नीचे बरसात, जाड़े, गर्मी में पढ़ते हैं। जितना रुपया जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता देकर क्षतिपूर्ति का हमारा चला जाता है अगर उस रुपये को एक साल के लिये सारा रुपया विद्यालयों के भवन के निर्माण में लगा दिया जाय तो यह सर्वोत्तम काम होगा। मान्यवर, आज माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा और जूनियर बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा जो मान्यता दी जाती है उसमें एक जनता का प्रतिनिधि भी रहना चाहिये और सही तरीके से देखकर मान्यता दी जाय अन्यथा मान्यता में भी बड़े अवैधानिक कार्य होते हैं।

माननीय सदस्यों ने बेकारी के बारे में भी सुझाव दिये हैं। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि बेकारी की तरफ हमारी कोई योजना होनी चाहिये। सेवा योजन कार्यालयों में बहुत से नवयुवकों के नाम लिखे हैं लेकिन उनके लिये कोई योजना नहीं है। पुलिस के सम्बन्ध में एक गोरे कमेटी बनी थी। उसने नियम बना दिया कि अगर हाई स्कूल पास करने के बाद दो साल का समय बीत जाय तो वह सिपाही भी नहीं होगा। मान लीजिये किसी ने १६ वर्ष में हाई स्कूल पास कर लिया आपका नियम है कि १९ साल में होंगे। तो अगर उसके दो साल बीत जायेंगे तो गोरे कमेटी के अनुसार वह पुलिस में भी नहीं हो पायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गुरु प्रसाद--

इसलिये मेरा निवेदन है कि इन सब बातों पर विचार करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

मान्यवर,

श्री उपाध्यक्ष--

आप ५ मिनट से ज्यादा न लें क्योंकि मुझे ठीक पौने चार बजे वित्त मन्त्री को बुला लेना है।

*श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, आप का आभारी हूं इस अनुपूरक अनुदान पर बोलने के लिये समय दिया। सिक्के का सताया हुआ इस प्रदेश का व्यक्ति जब इस प्रदेश के बजट की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मान्यवर, जब जिला स्तर पर हम लोग जाते हैं तब महसूस होता है कि कितनी भारी कमी हमारे इन अनुदानों के अन्दर है। यह जो सप्लीमेंटरी बजट पेश हुआ है इसके प्रति प्रथम चीज यह है कि इसमें पुलिस को रिमाडलिंग करने के सम्बन्ध में कोई चीज नहीं है। आज जो स्थिति है उसको देखते हुये स्पेसिफिक पुलिस विभाग होना चाहिये जो आज सुरक्षा दे सके। लेकिन वही डंडे वाली पुलिस जो ब्रिटिश राज में थी वही आज भी है। उनके अन्दर कुछ विशेषतायें लानी चाहियें थीं, अगर इन अनुदानों में इसके लिये कुछ होता तो प्रदेश की जनता को खुशी होती। पुलिस को रिमाडल किया जाय और योग्य तथा विशेषज्ञ व्यक्तियों को इसमें रखा जाय जो छात्रों, मजदूरों और अन्य लोगों को समझा सकें और सुरक्षा कर सकें। लेकिन जनता की सुरक्षा जो होनी चाहिये उस तरफ ध्यान नहीं है। मैं एक घटना आप के सामने रखता हूं। गाजियाबाद जिला बन जाने के बाद मेरठ और गाजियाबाद की सीमा पर गुंडागर्दी के अड्डे जमा लिये गये हैं। रास्ता चलते कारों को रोक कर लूटा जाता है। अभी ४, ५ दिन पहले एक कार रोकी गयी और लूटी गयी। पुलिस वाले वहां मौजूद थे लेकिन वह आने के लिये तैयार नहीं थे। इसी तरह से बोरोला के पास लूट की गयी। तो पुलिस को रिमाडल करना चाहिये।

दूसरी चीज शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। मेरठ के गवर्नमेंट कालेज के अन्दर अच्छी पढ़ाई होती है। गारजियन भी चाहते हैं कि बच्चों का दाखिला उस कालेज में हो जिससे बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकें, पढ़ सकें। इसलिये वहां से यह मांग थी कि इस कालेज में डबल शिफ्ट की जाये। निदेशक महोदय भी मेरठ गये थे तो उनके सामने यह समस्या रखी गयी थी और उन्होंने इसको मंजूर भी किया था। लेकिन यहां से मालूम नहीं किस कारण से डबल शिफ्ट की स्वीकृति मुजफ्फरनगर गवर्नमेंट कालेज को मिल गयी किन्तु मेरठ के गवर्नमेंट कालेज को स्वीकृति नहीं मिली। इसलिये यह भेदभाव पता नहीं क्यों बरता गया। अतः इस पर पुनः विचार करना चाहिये।

मान्यवर, मेरठ मेडिकल कालेज में मांग है कि वहां जो बाहर से मरीज आकर भर्ती होते हैं और उनके व्यक्ति जो वहां रहते हैं उनको रहने में बड़ी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अजीत सिंह सेठी---]

कठिनाई है। वर्षा ऋतु में वह खुले मैदान में रहते हैं। इसलिये उनके रहने के लिये कुछ प्रबन्ध किया जाय। इस छोटी सी मांग को कितनी बार रखा गया लेकिन आज तक उसको पूरा नहीं किया गया।

अन्त में मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और इन चन्द शब्दों के साथ जो अनुपूरक बजट पेश हुआ है उसका मैं विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि पुलिस विभाग को रिमाडल किया जाय।

श्री ए० सी० फ्राइस (नाम-निर्देशित आंग्ल-भारतीय)---

मान्यवर, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं सरकार का ध्यान शिक्षा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार ने अपने मैनीफेस्टो में यह कहा है कि हम एडल्ट एजूकेशन को ध्यान में रखेंगे, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इस पर न तो इसे बजट में और न पहले वाले बजट में ही कुछ अधिक रखा बल्कि थोड़ा पैसा दिया है लेकिन इन्तजाम नहीं हो रहा है। इसलिये निवेदन है कि एक एडल्ट एजूकेशन की कमेटी बना दी जाय जो बैठकर इस पर विचार करे। स्कूलों में होता है कि जो बच्चे होम वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके घर वाले उनको सिखा नहीं पाते हैं, इसलिये जब वह स्कूल जाते हैं तो उन बच्चों का कान पकड़ा जाता है जिनके कारण वह बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं, इसको ड्राप आऊट कहते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो दिन के स्कूल हैं, जहां २ बजे से कमरे और इक्यूपमेन्ट खाली रहते हैं, वहां कम्पलसरी एडल्ट एजूकेशन और ड्राप आऊट एजूकेशन चालू हो जाना चाहिये।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, बजट तथा अनुपूरक बजट आना लाजमी है। बजट में समाज कल्याण, अनुसूचित तथा अनुसूचित जन जाति, समाज सुरक्षा तथा पुलिस न्याय के अनुदानों का भी समावेश होता है और सब एक साथ जुड़े होते हैं। पुलिस विभाग के गृह मन्त्री भी बैठे हुये हैं। एक घटना की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी सुल्तानपुर के हरिजन माननीय सदस्य को फैजाबाद स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने गाली देते हुए कहा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री के सामने यह बात कही गयी और गृह मन्त्री भी उस रोज वहां उपस्थित थे तुम बेहूदे विधायक न होते तो मैं तुमको जूतों से मारता।

श्री गोविन्द सिंह नगी---

यह बहुत गम्भीर आरोप लगाया गया है। गृह मन्त्री के सामने की यह बात है तो फिर उस ज्वाइन्ट डायरेक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

एक सदस्य---

यह सही है मैं वहां उपस्थित था।

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)---

एक स्पष्टीकरण मैं कर दूं। भगवती प्रसाद सिंह जी जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसका वर्णन मैं कर दूं। उ० इन्स्पेक्शन हाउस में दो सूट थे। एक में मैं ठहरा हुआ था, दूसरे में उप-मन्त्री थे। उनके कमरे में झगड़ा हुआ। मैं सो रहा था और मुझे कुछ पता नहीं चला, क्या हुआ? मेरी नजर के सामने कुछ नहीं हुआ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

हरिजनों पर अत्याचार होते रहेंगे और मन्त्री जी सोते रहेंगे ?

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

एक दूसरी घटना है । एक गांव में दो सब इंस्पेक्टर ५ पुलिस कान्स्टेबिलों के साथ गये । एक मुलजिम को पकड़ना था । गांव की औरतों ने पुलिस पर हमला कर दिया और सैकिंड आफिसर की बन्दूक जो एक सिपाही के कन्धे पर थी छीन ली गयी । पुलिस विभाग की ओर से उसकी छानबीन हुई, बन्दूक कहां है । पुलिस से सुना यह गया शायद जनता पार्टी के सदस्य श्री रवीन्द्र तिवारी के आदमी रामकरण उपाध्याय के घर वह है । लेकिन दिखाया यह गया कि लामापार के लोगों के कन्धों से वह बरामद हुई जब वह बाजार अपने काम से जा रहे थे और उन्हीं का चालान किया गया । इस बजट तथा पुलिस प्रशासन को धिक्कार है कि हरिजनों के साथ आज भी उत्पीड़न हो रहा है । बजट में साज सज्जा की बात है । मान्यवर, अधिकारियों के मकानों को सजाने की बात हो रही है । लेकिन शिक्षा विभाग में आप देखें कि किसी भी प्राइमरी स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं है । यह सरकार ऊंचे लोगों को सजा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अब बैठिये ।

*श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

मान्यवर, हम लोग दो-दो मिनट बोलना चाहते हैं । मेरा अनुरोध है कि आप ४ बजे तक का समय हम को दे दें और वित्त मन्त्री जी ४ बजे बाद बोलें ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है कटौती वित्त मन्त्री जी के समय में हो जायेगी । आप दो मिनट बोल लें ।

श्री बाबूराम शुक्ल—

मैं वित्तीय वर्ष १९७८-७९ की अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, समय बहुत कम है इसलिये केवल कानपुर नगरमहापालिका की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । कानपुर महापालिका द्वारा इस समय कर निर्धारण का कार्य किया जा रहा है । भूतपूर्व स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने कर निर्धारण का कार्य स्थगित कर दिया था और कहा था कि जब नगर पालिका के चुनाव हो जायेंगे तो जनप्रतिनिधियों द्वारा इसका निर्धारण किया जायेगा । लेकिन वर्तमान स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने न केवल कर निर्धारण का कार्य आरम्भ करने का आदेश दिया बल्कि उसके लिए समय की सीमा भी निर्धारित कर दी और १० जुलाई से ३० सितम्बर का समय उसके लिए निर्धारित कर दिया । कानपुर नगर महापालिका में ८० हजार मकान हैं । इनका कर निर्धारण इतने कम समय में कैसे हो पायेगा । यह एक समस्या है जो महापालिका कर्मचारियों की ओर से मकान मालिकों को नोटिस दिये गये हैं मैं उनके सम्बन्ध में शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह कर का निर्धारण वर्तमान दर से ४, ६ और ८ गुना तक ज्यादा लिखा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बाबू राम शुक्ल]

गया है । इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अनियमितता बढ़ रही है । इतने कम समय में कर निर्धारित करने के लिए ४ अवकाश प्राप्त अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है । उन अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति भी नहीं की गई है और न ही उनको इसका अधिकार है । मेरी दृष्टि से यह वैधानिक भी नहीं है । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि १० जुलाई से आज तक जितना कर निर्धारण का काम हुआ है वह निरस्त कर दिया जाय क्योंकि वह वैधानिक नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करें ।

श्री बाबू राम शुक्ल--

पिछले ५ वर्षों में जिन मकानों में कोई नया निर्माण कार्य नहीं हुआ है उनके कर में वृद्धि न की जाय और ५ वर्ष तक के लिए उसमें वृद्धि न की जाय । इसी प्रकार जिनके किराये में कोई वृद्धि नहीं हुई है उनमें भी कर न बढ़ाया जाय । जन अधिकारियों से यह कराया जा रहा है वह इसके लिए सक्षम भी नहीं हैं ।

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, अनुपूरक अनुदानों का जो बजट प्रस्तुत है, मैं उसका स्वागत और समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं एक अहम समस्या की ओर शासन का ध्यान खींचना चाहता हूं । हमारा फैजाबाद मंडल उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ है । इसके विकास के लिए आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा पिछली सरकार ने की थी । कई वर्षों से यह विश्वविद्यालय बनने की दिशा में है और इसके लिए बड़े पैमाने पर कुमारगंज में भूमि भी अधिग्रहण की गई और उसमें ५० लाख रु० भी खर्च हो चुके हैं लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय का निर्माण कहां हो, किस स्थल में हो इसका निर्णय नहीं लिया गया है । पहले भी यह सवाल उठ चुका है और आज शासन के समक्ष इस मसले को रखना चाहता हूं कि शासन इस बात पर निर्णय ले कि कुमारगंज, जहां पर कि हजारों एकड़ जमीन किसानों ने सहर्ष और बिना किसी अवरोध के विश्वविद्यालय के लिये दिया है और पूर्वान्चल के विकास के लिये जो दृष्टिकोण था, और जिसको कायम करने की बात उठायी गयी थी, उसको पूरा करने के लिये अविलम्ब निर्णय लिया जाना चाहिये ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का जो पिछड़ापन है, हमारी जो गरीबी है, उसको दूर करने के लिये और समुचित विकास के लिये औद्योगीकरण की आवश्यकता है, औद्योगिक संस्थानों को बनाने की आवश्यकता है । इसके लिये आवश्यक है कि सुदूरवर्ती इलाकों में जहां कि आवागमन के साधन नहीं हैं, जहां कि सड़कें नहीं हैं, उस तरफ ध्यान दिया जाय । बाम्बे योजना के अन्तर्गत, मान्यवर, १५०० आबादी के गावों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का सरकार ने निश्चय किया था लेकिन, मान्यवर, अभी तक हमारे गांव और कस्बे, जो बड़ी आबादी के हैं, मुख्य सड़कों और मण्डियों से नहीं जुड़े हैं । इसलिये आज आवश्यकता है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर बड़े-बड़े गांवों और औद्योगिक केन्द्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाय । तो सम्पूर्ण विकास के लिये जो किसी प्रदेश में योजनायें बनानी चाहिये, उनका पूरी तरह से अनुपालन नहीं हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट के जरिये जो हमारी सरकार ने कदम उठाया है, चाहे मण्डी परिषद् की सड़कें हों, चाहे जिला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

परिषद् की, या चाहे सार्वजनिक निर्माण की, उनको प्राथमिकता देकर जब हम इन सड़कों को ठीक कर लेंगे तो हमारे उत्तर प्रदेश का विकास अपने आप होता चला जायेगा ।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, यह जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और साथ ही साथ इस बात की पुनः मांग करता हूं कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय जो फैजाबाद में कुमारगंज में स्थापित होने वाला है, उसके बारे में शासन तुरन्त निर्णय ले ।

श्री मधुकर दिघे--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कि आलोचना की और अपने कुछ सुझाव भी दिये ।

मान्यवर, मुझे आश्चर्य हुआ ऐसे नेता के भाषण से जिन्हें इस सदन का कई वर्षों का अनुभव है अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करने तथा उसके बुनियादी सिद्धान्तों के सम्बन्ध में । मान्यवर, पहले मैं यह कहा करता था कि इस सदन में माननीय तिवारी जी बुद्धिमान हैं, मैं उनसे शिक्षा ले सकूंगा । लेकिन ऐसा लगता है कि उनको कुछ बुद्धि का अपच हो रहा है । मैं उनसे अपेक्षा करता था कि पूरे अनुपूरक अनुदान के सम्बन्ध में जो बुनियादी प्रश्न हैं, उनसे वे इस सदन के माननीय सदस्यों को अवगत करायेंगे और जो वाकई उनके फालोवर्स हैं, तथा जो हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनसे, एक अध्यापक की हैसियत से, उनको समझाकर लाभ भी उठायेंगे ।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मैं तैयार हूं, हर समय तैयार रहता हूं उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाने के लिये । यह जो अनुपूरक अनुदान पेश किया है । इसके बारे में दो-तीन चीजें बतलाना चाहता हूं । ३४.८३ करोड़ रुपये का यह प्रस्तुत किया है इसमें ७.३१ करोड़ आयोजनेतर पक्ष में और २७.५२ करोड़ रुपये आयोजनागत पक्ष में हैं । ३४.८३ करोड़ रुपये में ३.६७ करोड़ के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की आकस्मिकता निधि से लिये गये हैं और उनका एडजस्टमेंट है । पूरक बजट की बचत से या आकस्मिक निधि से जो खर्चे हो चुके हैं या करना चाहते हैं उनको जोड़ कर अन्त में केवल जो असर पड़ेगा वह है १.२९ करोड़, जिसकी मांग यहां प्रस्तुत हुई है । मान्यवर, मैं यह तो नहीं कहूंगा कि तिवारी जी ने जानबूझकर सदन को या लोगों को या प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयत्न किया है लेकिन यह अवश्य निवेदन करूंगा कि वह अगर सही स्थिति रख देते तो मालूम हो जाता कि अनुपूरक अनुदान का जो प्रस्ताव आया है यह केवल अपरिहार्य खर्चे या तो ७७-७८ या ७८/७९ में आकस्मिक निधि से खर्च कर दिये हैं उनके लिए रखा है । कुछ ऐसे भी थोड़े से खर्चे हैं जिसको कि हम आज की विशिष्ट परिस्थिति में रोकना नहीं चाहते, उनको भी इसमें सम्मिलित किया है । इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अगर यह न बताया जाय तो जो गलत धारणा उधर के सदस्यों ने बनाने की कोशिश की है उसका गलत असर पड़ेगा ।

मैं सभी को तो जवाब नहीं दे सकूंगा जैसे एक नये मुसलमान तो नहीं कहूंगा, लेकिन नये पंडित कहूंगा, अभी गये हैं श्री आरिफ साहब । साम्प्रदायिकता पर बहुत तेज बोल रहे थे । पहले मेरे दल में थे । मैं उनसे अपेक्षा करता था कि वह मुसलमान माता की कोख से पैदा हुए आप के इन्कलाब शाही मीनाईयां, जावेद सिद्दीकी जैसे व्यक्ति का अनुसरण करेंगे जो उन्होंने किया है उसको बताना नहीं

चाहता । शिया और सुन्नी सम्प्रदाय का मामला जो हमारे प्रदेश के लिए कष्ट दायक चीज है और माननीय तिवारी जी ने उसे हल करने के लिए पूरा प्रयत्न किया है, मैं कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से प्रयत्न किया है, मैं यह तो आरोप नहीं लगाता कि प्रयत्न नहीं किया परन्तु जब अगर दूसरे लोग आरोप लगाते हैं तो वे यह समझकर करें कि हम भी किसी कांच के मकान में रहते हैं । पत्थर फेंकने से पहले . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । एक माननीय सदस्य यहां पर नहीं हैं । वह मंत्रिमंडल में रह चुके हैं । उन्होंने त्यागपत्र दिया तो शिया सुन्नी के झगड़े पर नहीं दिया ।

श्री मधुकर दिघे--

वह बोल कर तो गये हैं । मैं माननीय तिवारी जी से चाहता हूं कि वह अपने सदस्य को थोड़ा सा इस सम्बन्ध में संजीदगी से बर्ताव करने के लिए कहे । तो मैं उसको छोड़ देना चाहता हूं और जो विभिन्न प्रश्न उठाए गए है उनका एक-एक करके जिक्र करना चाहता हूं । तिवारी जी ने कहा-इस बजट में इस वर्ष प्रदेश की दैवी आपदाओं के लिए कोई मांग-एक पैसे की मांग नहीं की गई है । अगर कागज पढ़ा जाए तो उल्टा असर पड़ेगा ही । ७६-७७ में फाइनेन्स कमीशन की जो निश्चित रकम है, दो करोड़ रुपए से अधिक की सीमा उसमें ही प्राविधान नहीं किया गया और हमने कुल बजट में ही ४ करोड़ १८ लाख रुपये का प्राविधान पहले ही कर दिया है । इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा की सिंचाई के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो आप और हम में फर्क यह है कि आप अनुपूरक अनुदान और आकस्मिकता निधि का प्रयोग करते थे कुछ अच्छे कार्यों के लिए, परन्तु कुछ चलते कार्यों के लिए । हमें सिंचाई के मामले में प्रदेश में विकास की जो स्थिति बनानी है और आपके अनुभावों से जो हमने सीखा है, उसको मद्देनजर रखते हुए, आपकी सरकार ने पहले ७६ में जो सिंचाई के लिए २०२ करोड़ रुपये का प्राविधान किया था, उसको हमने बढ़ाकर २६३.४७ करोड़ कर दिया है, जो एक स्वयं में कीर्तिमान है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आप खर्च बताइये, क्योंकि आपने खर्च नहीं किया, रखने से क्या होता है ?

श्री मधुकर दिघे--

मैं उस आलोचना का जवाब दे रहा हूं, यह अनुपूरक अनुदान जो मैंने प्रस्तुत किया है, इसमें सिंचाई मंत्री का एक भी प्राविधान नहीं है, उसका तो जब मैंने पहले ही प्राविधान कर दिया है तो उसकी अब क्या जरूरत है ? हमसे यह तो हो नहीं सकता है कि कुछ इधर उधर करने के लिए कोई घपलेबाजी कर दूं । बड़े प्रयत्नों से हमने जो वायदे किये हैं, हमसे जो अपेक्षाएं हैं और जो पूरे सदन की इच्छा है, उसको पूरा करने लायक हम हुए हैं । हमारा सतत प्रयत्न यही रहा है कि जो भी माननीय सदस्यों द्वारा स्वीकृत प्राविधान हैं, उनको ठीक से वर्ष में कैसे खर्च किया जाए । नेगी जी आदि अपोजीशन की ओर से जो आलोचना है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश का विकास काम तीव्रता के साथ आगे बढ़े, हम उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं । सफलता १०० प्रतिशत मिली, यह मैं आपकी तरह से दावा नहीं करता हूं । यह मैंने आपसे सीखा है और अपने अनुभवों के आधार पर

ऐसा कह रहा हूं । माननीय तिवारी जी, कांग्रेस (ई०) के नेता, विरोधी दल के नेता हमसे ज्यादा अनुभवी और ज्ञानी हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वह जब आलोचना करें तो उसका फायदा हमको मिले, यह महत्वपूर्ण नहीं है । हम रहें या न रहें, इसका किसी ने ठेका नहीं लिया है, लेकिन प्रदेश के करोड़ों लोगों की जो आशाएं हैं इस प्रदेश के विकास की जो इच्छा है, उसमें कम से कम हमारा और आपका सहयोग साथ-साथ होना चाहिए। आप जब आलोचना करें तो इन बातों का ध्यान रखें । आपने कहा धोती और साड़ी के लिए जो अनुदान-५५ लाख रुपया हथकरघा निगम को इस वर्ष दिया है, उस बारे में आप समझे कि अभी लेंगे, बाद में देंगे । यह ५५ लाख रुपया केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हो चुका था, केवल इस साल ट्रांसफर ७८-७९ में कर रहे हैं । इस लिए उसकी स्वीकृति के लिए माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मांग किया १९७७-७८ में जो रुपया मिलना चाहिए था । ५५ लाख ५० हजार वह नहीं लिया समय से केन्द्र से । मार्च के आखिरी हफ्ते में लिया आकस्मिक निधि का प्रयोग करके १९७७-७८ में बांटा जा सकता था । यह नहीं कहा कि इस साल का नहीं ले रहे हैं ।

श्री मधुकर विघे—

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कह दिया । हमको यह निगम को ट्रांसफर करना था जो केन्द्र से सहायता हमको मिलती उसके अनुरूप उनको देना था । जो कारपोरेशन को आकस्मिक निधि से देना था, वह हमने दे दिया । खर्च हो गया । इसका केवल एजस्टमेन्ट कर रहे हैं । चूंकि १९७८-७९ में प्राविधान नहीं है इस लिए इसका प्राविधान कर रहे हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप तय कर दें । पृष्ठ ७३ में लिखा हुआ है । 'योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को हथकरघा' क्षेत्र में नियन्त्रित धोतियों एवं साड़ियों के उत्पादन पर एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर राज्य सहायता दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष १९७७-७८ में ५५,५०,८७० रु० की धनराशि स्वीकृत की थी । चूंकि उक्त सहायता भारत सरकार से वित्तीय वर्ष १९७७-७८ के अन्तिम दिनों प्राप्त हुई थी, अतः उसे वित्तीय वर्ष १९७७-७८ में स्वीकृत न किया जा सका । अब क्या कर रहे हैं ? १९७७-७८ का १९७८-७९ में जो ले रहे हैं, १९७७-७८ का रुपया आज तक नहीं बंट पाया । यही कह रहा हूं ।

श्री मधुकर विघे—

मान्यवर, मेरे और माननीय तिवारी जी के बोलने में कहीं फर्क तो हुआ नहीं । जब उन्होंने आलोचना की थी तब उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष से यह खर्च नहीं किया, इस वर्ष प्राविधान करने जा रहे हैं । मैंने यह कहा कि ५५ लाख रुपया केन्द्र से सहायता लेनी थी और जितना उनके लिए प्रविधान करना था, १९७७ में, पूरा खर्च होगा, केन्द्रीय सहायता का भी पैसा खर्च करना है, इसलिए माननीय सदन के समक्ष आना पड़ा ।

एक और बात उन्होंने कही । उसका जिक्र करना आवश्यक समझता हूं वह यह है कि उन्होंने यह कहा कि क्यों यह ५ करोड़ रुपया हमने एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिया । मान्यवर, इसमें डिटेल की बात नहीं है । जनरेशन और डिस्ट्रिब्यूशन के लिए जो भी काम विद्युत् परिषद् को करना चाहिए और कर सकता था उसके लिए

उसे पांच करोड़ और दिया । इसमें कौन आपत्ति की बात है ? यह कौन गड़-बड़ बात कर दिया ? इसकी तारीफ न करके उस पर आपत्ति की । इसमें डिटेल नहीं दिया जाता है । पांच करोड़ रुपया जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अधिक काम करन के लिए दिया । यह माननीय तिवारी जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं । आमतौर पर वे भी यह काम प्रदेश के हित की दृष्टि से करते रहे हैं । मैंने यह बराबर इस सदन में कहा है कि तिवारी जी ने जिन अच्छे कामों की शुरुआत की है, उनको यह सरकार छोड़ेगी नहीं । नोयडा को हमने रुपया दिया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि वह कहते हैं कि कोई भी जो उन्होंने विकास का काम चालू किया था वह सब हम समाप्त कर रहे हैं । यहां पर आलोचना यह की जाती है अगर हमने रुपया दिया तो क्यों दिया । तो मान्यवर, इन दोनों का जोड़ कैसे बैठेगा । मैं कहता हूं कि प्रदेश के हित में जो भी काम पुरानी सरकार ने किए हैं और अच्छे कामों की शुरुआत की है तो उसकी जांच पड़ताल करायी जायेगी और अगर वह ठीक पाये जायेंगे तो उन कामों को उतनी ही ताकत से और उससे अधिक ताकत से जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयत्न करेंगे । जिन क्षेत्रों को आपने छोड़ दिया था उनको हम अपने सिद्धान्तों के अनुरूप करेंगे । इसलिए माननीय तिवारी जी को इसकी आशंका नहीं होनी चाहिए कि हम किसी तरह से उनके विरोधी होंगे और जो अच्छे काम उन्होंने किए हैं उनको छोड़ देंगे । मैं यह कह देना चाहता हूं कि यहां पर हम विरोध के लिए नहीं कार्य कर रहे हैं बल्कि हम बुनियादी सिद्धान्तों के लिए कार्य कर रहे हैं । नेगी जी की आदत पुरानी है । जब हिन्डालको के मजदूरों से समझौता हो गया तो उन्होंने यह तुरन्त कहा कि मीटिंग करो । तो जल्दी से क्रेडिट लेने के लिए वहां पहुंच गये । वहां पर धारा १४४ लगी हुई थी तो आपको रोकेगें ही इतना उतावलापन क्यों ? कांग्रेस वालों की आदत तो पुरानी है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

हमें मीटिंग की इजाजत तो दे दी थी, उसके बावजूद वह किया गया ।

श्री मधुकर दिघे--

मैं नेगी जी की बड़ी इज्जत करता हूं । इनका मन पेट से नहीं जुड़ा है । यही गड़बड़ी है । इनका मन पेट से जुड़ा होता तो शायद यह हमारे इस पक्ष के समर्थक बन जाते और इधर बैठते । लेकिन अब मैं इसको क्या करूं । मान्यवर, मैंने शुरुआत की थी बाढ़ सहायता से । मैंने स्पष्ट कहा था कि बाढ़ की विभीषिका से उत्पन्न स्थिति से जो लोग पीड़ित हैं उनकी सहायता करने का काम किसी भी प्रकार से रोका नहीं जायेगा, चाहे कितनी ही वित्तीय कठिनाइयां क्यों न हों । इस प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार से दो-दो टीमें आयी और जांच की और हमने लगातार उन टीमों के सामने सहायता मांगी । मुख्य मंत्री जी ने दिल्ली में जाकर प्रयत्न किया कि जो आपत्ति आयी है और जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति के लिए अधिक से अधिक केन्द्रीय सहायता दी जाये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

एक भी पैसा नहीं मिला ।

श्री मधुकर दिघे--

इस तरह से मुझे बड़ा टाइम लग जायेगा । नेगी जी हमारे आलोचक रहे हैं । आपकी ही मेहरबानी रही कि पांच पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त होने के बाद भी कोई प्रगति के लक्षण दिखाई नहीं पड़े...

पिछली ३० वर्ष की पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से आपकी लड़ने की हिम्मत नहीं हुई, केवल उनके पिछलग्गू बनकर आप दिल्ली की सैर करते रहे और १,५०० करोड़ रुपया जो मिलना चाहिए था केन्द्रीय सहायता के रूप में, केन्द्रीय योजनाओं के रूप में, उसे आप नहीं ले सके । आप जानते हैं कि आप यहां कागजातों में कुछ लिखते थे लेकिन वहां जाने पर भूल जाते थे । जब आप दिल्ली में पहुंचते थे तो सब कुछ भूल जाते थे । हम तो जो यहां बोलते हैं वही बाहर भी बोलते हैं और वही दिल्ली में भी बोलते हैं । सदन को जानकारी है कि २ जीभों का जानवर बड़ा खराब होता है जब वह काटता है तो लहर नहीं आने देता है । मैं मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि शायद यह बात आपके समझ में नहीं आई कि जितनी मजबूती के साथ गांधी जी की कृपा से आपको सत्ता प्राप्त हुई थी, वह समाप्त हो गई । मैं बड़ी ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि अनुभव से थोड़ा सीखना चाहिए, आप को और मुझे भी । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ के मामले में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं की जायेगी । इसके अतिरिक्त विभिन्न जो विभाग है, उन विभागों को जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उनको भी उनके जो बजट के प्राविधान हैं, उसमें उनको बाढ़ के क्षेत्र में जो भी सहायता हो, करना चाहिए ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं जानना चाहता हूं कि कितना पैसा आप दिल्ली से ले पाये । टीम भी आई । काफी जगहों पर देखा भी किन्तु पैसा कितना मिला । मेरा तो प्रश्न यह था कि क्या अनुपूरक बजट में बाढ़ के लिए पैसा भी मांगा गया है ? इसमें १ पैसे का भी प्राविधान है ? मेरा यह कहने का मतलब नहीं कि आपने कोई प्रयत्न नहीं किया । प्रयत्न तो आपने किया लेकिन उसका परिणाम क्या निकला ? मान्यवर, बाढ़ग्रस्त जिलों के लिए १५२ करोड़ रुपये की मदद मांगी गई थी लेकिन कुछ भी नहीं मिली ।

'का वर्षा जब कृषी सुखानी' ।

*श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रदेश में हमारे प्रदेश के नागरिक बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त हैं उससे केवल तिवारी जी को चिन्ता है । उन्हें अपने सीने पर हाथ रखकर टटोलना चाहिए । जब कभी बाढ़ आती रही है, जिस प्रकार की सहायता इस सरकार ने दी है पिछले वर्षों में कभी भी बाढ़ से त्रस्त जिलों, चाहे थोड़े ही जिले क्यों न हो, नहीं दी गई है । मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आपके समय में कहीं मुट्ठी भर चना मिल जाता रहा होगा किन्तु इस समय ५०० ग्राम से कम चना न बांटने का निर्णय लिया गया है । आप विद्यार्थियों की फीस माफ नहीं करते थे उसकी भी घोषणा मैंने कर दी है । इसके साथ ही साथ यह पहली सरकार है जिसमें इस प्रकार की बाढ़ आई है । उसने उस बाढ़ का अनुभव करते हुए केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त धन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की मांग की है १३ बार केन्द्रीय टीमें आई और जाने के बाद टीम ने अपनी रिपोर्ट भी दी है। प्रधान मंत्री के स्तर पर, हम लोगों के स्तर पर जो प्रयास किया गया है, उसके परिणाम स्वरूप २५ करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत हो गई है। इसके बाद भी हम लोगों को सन्तोष नहीं है और हम लोग केन्द्रीय सरकार से प्रयत्न कर रहे हैं और बाढ़ से त्रस्त लोगों को अपनी-अपनी शक्ति भर सहायता पहुंचायेंगे और इसके लिए हम सजग हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

५ ग्राम और ५० ग्राम चने की बात मैं नहीं कहता क्या २५ करोड़ रुपये केन्द्र से मिल रहे हैं ?

श्री मधुकर दिघे--

माननीय तिवारी जी जानबूझकर पुरानी बातों को उभारना चाहते हैं।

माननीय तिवारी जी जब इधर रहे हैं तो जब बाढ़ आ जाती थी तो राहत कार्य कब होते थे जब बाढ़ समाप्त होकर १५ दिन बीत जाते थे और यह भी तब जब मैं ५-५ हजार आदमियों को लेकर तहसील पर जाता था। तब चना बंटना आरम्भ होता था। आपको केन्द्र से भी जो सहायता मिली वह दिसम्बर या जनवरी में ही मिली।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कभी नहीं।

श्री मधुकर दिघे--

हमेशा। मैं तो यह कहता हूं कि हमें इनकी बनाई हुयी खाईं को पाट कर चलना है। पाट कर ही दौड़ना है। १-२ महीने की गड़बड़ हो सकती है लेकिन आपका जो रिकार्ड है उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जायेगा और आप भी बाद में हमारी तारीफ करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय कौशिक जी अब आप हसनपुर जाइये आपको मालूम हो जायेगा।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, यहां पर कहा गया कि हमने २ करोड़ रुपये का ऋण जल निगम को दे दिया। आप चाहते हैं कि सड़कें ठीक हों, पानी की निकासी शीघ्रातिशीघ्र हो। जल निगम से हमने कहा है कि तुम जल्दी से जल्दी पानी की निकासी करो, इसका इन्तजाम करो और बाढ़ क्षेत्र में जो लोग फंसे हैं, बरसात के दिनों में, जिनका जीवन बड़ा कष्टदायक होता है, उनको निकालो। तो जो हमने २ करोड़ रुपये का ऋण जल निगम को दिया है उसकी तो आपको तारीफ करनी चाहिए।

जहां तक निगमों का सम्बन्ध है, मैं एग्रो का ही जिक्र कर दूं। हमने उसमें घुस कर घपले को निकाला। जब गन्दगी साफ करनी होती है तो निकालने वाले के हाथ भी गन्दे हो जाते हैं। लाखों रुपयों का माल हमें सड़ा हुआ निकाल कर कोठरी से बाहर फेंकना पड़ा। किस तरह से आपने अपने राजनीतिक साथियों को उनमें बैठाया। आपने प्रदेश के हितों को ध्यान में न रखकर निगमों

को चलाने का काम नहीं किया। पब्लिक के लिए आपने अपने जमान में ही ब्यूरो को बनाया है अब हमने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। मैं पी० यू० सी० का सदस्य था। मैंने वहां पर बार-बार वह प्रश्न उठाया और आपके कांग्रेस के सदस्यों ने भी कहा कि इस ब्यूरो का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। माननीय तिवारी जी मैं यह भी बता दूं कि अब हम हर माह मोनिटरिंग के लिए मंत्रि-परिषद् की जो उप-समिति है, उसकी हम बैठक कर रहे हैं। और प्रति माह निगमों का मामला ही नहीं सभी मामलों में मोनिटरिंग का कार्य करते हैं, आपके जमाने में तो बहुत देर में होती थी। आपने कुछ कार्य लिए थे लेकिन बाद में आप एमरजेन्सी और संजय गांधी के मामलों में लग गये। आपका इरादा सभी मामलों में अच्छा रहा लेकिन आप उनके मामले में फंस गये।

आपने जो बुनियाद डाली है अच्छे कामों की, उन कामों को हम करेंगे। पिछले ६-७ महीनों में जो हमने काम किया है उसके नतीजे भी आने लग गये हैं...

श्री नारायण दत्त तिवारी--

पब्लिक इन्टरप्राइज ब्योरो की मीटिंग क्या हमारे जमाने में नहीं ? उसको हमने ही तो बनाया था। (व्यवधान) दूसरी बात यह कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि २५ करोड़ रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट से बाढ़ के लिये मिला है, उसको इस अनुपूरक बजट में लाना चाहिये था, अब क्या उसके लिये फिर से अलग से अनुपूरक बजट लायेंगे फिर से असेम्बली बुलायेंगे, इसका जवाब वित्त मंत्री जी कृपया दें ?

श्री राम नरेश यादव—

मैंने यह कहा था कि २५ करोड़ रुपया आ रहा है।

श्री मधुकर दिघे—

एक बात मैं चीनी मिलों के बारे में और कह दूं। चीनी मिलों के बारे में आप लोगों ने जो घपला किया है उसको हमें भुगतना पड़ रहा है। जितनी रिसीवर शिप वाली मिलें हैं वे हाई कोर्ट चली गयी हैं, हाई कोर्ट का यह फैसला हो गया है कि जब तक उनका निर्णय न हो जाय कोई भी ऐसा न लगाया जाय। (व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय वित्त मंत्री की सूचना के लिये बता दूं कि सारी चीनी मिलें रिसीवरशिप में नहीं हैं। कारपोरेशन्स की जो मिलें हैं मैंने तो उनके बारे में कहा था। वे हाई कोर्ट में नहीं गयी हैं। कारपोरेशन्स की जो बीमार मिलें हैं उनके बारे में मैंने प्रश्न उठाया था।

श्री मधुकर दिघे—

कारपोरेशन्स की मिलों के बारे में कोई चिन्ता आप न करें। उसकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। इन शब्दों के साथ में माननीय सदन से निवेदन करूंगा...

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

हिन्डालकों के बारे में और बता दीजिये कि उसको आप कब टेक ओवर करने जा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे—

माननीय नेगी जी का कोई झगड़ा अपनी पार्टी में हुआ हो, तो मैं नहीं जानता। कोई कहता है कि इनके नेता वहां हिंडालकों में पहुंचे ह डांगे साहब कोई दूसरों पर आरोप लगा दिया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

सवाल है कि आपकी सरकार की क्या नीति है ?

श्री मधुकर दिघे—

माननीय नेगी जी को अच्छी जानकारी है कि हिंडालको के राष्ट्रीयकरण करने का काम केन्द्रीय सरकार का है, हमारा नहीं। चीनी मिलों के बारे में जो घपला हुआ, वह तो आप जानते हैं कि रोज यहां राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव पास करने की बात आती थी, परन्तु राष्ट्रीयकरण तो हुआ नहीं, लेकिन चीनी मिलों के जो प्राइवेट इन्टरप्रिन्योर्स थे उनको तांब और पीतल ले जाने की इजाजत दे दी। जो काम आपने किया वह काम हम नहीं करना चाहते हैं। हमने, केन्द्रीय सरकार ने, सबने सम्पूर्ण विचार करके तय कर दिया, किसी दिन राष्ट्रीयकरण भी हो जायगा, राष्ट्रीयकरण से क्या फर्क पड़ता है, ये सब मिल कर जब जनहित में ठीक कार्य करने लगेगा तब, लेकिन मैं आपको खतरे से आगाह करना चाहता हूं। नेगी जी यह सब जो पब्लिक इन्टरप्राइजेज हैं, यह जो सार्वजनिक नेतृत्व से काम करने वाली मिलें हैं, इनकी क्षमता के नाम पर समाजवाद के रास्ते को रोक दिया जाय, ऐसा कह कर समाजवाद को बदनाम मत करिये।

श्री अध्यक्ष—

स्पष्टीकरण का कहीं अन्त होगा कि नहीं ?

श्री मधुकर दिघे—

इन शब्दों के साथ में मान्यवर, इस अनुपूरक अनुदान को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्या हिंडालको के बारे में कहा कि मैं राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

इस नियम के अनुसार जो अनुदान है उसी के सम्बन्ध में बोलना चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

गलत सूचना है मान्यवर।

१९७८-७९ के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—

अनुदान संख्या १—राज्य विधान मंडल

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १—राज्य विधान मन्डल के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय।

१९७८-७९ के अनुपूरक अनुदानों पर कटौती का प्रस्ताव पेश करने की अनुमति न मिलने पर आपत्ति

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, कटौती का प्रस्ताव दिया हुआ था ?

श्री अध्यक्ष—

समय से तो आया नहीं है। कोई प्रस्ताव समय के अन्दर नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

समय के अन्दर आपको विषय यह देखना चाहिए, श्रीमन्। मेरा आग्रह यह है कि जो कटौती, कल शाम को जब बजट आया, तो समय कौन सा देने का था ?

श्री अध्यक्ष—

आपके जमाने में भी एक परम्परा रही है, बजट जिस दिन पेश होता है, जो आय-व्ययक होता है, उसमें तो दो दिन की छूट होती है, लेकिन अनुपूरक बजट में छूट नहीं होती है। इसमें कोई भी इस वक्त कटौती का प्रस्ताव समय से आया नहीं है और एक वैसे भी समय के अन्दर जो कटौती के प्रस्ताव हैं, उनको सब को पेश किया हुआ मान लिया जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ऐसा कहीं रिकार्ड में नहीं आना चाहिए कि कटौती का प्रस्ताव विरोधी पक्ष ने पेश नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

नियम के अनुसार आखिर आप जानते हैं कि जब कल बजट पेश हुआ, तब कल कहना चाहिए था।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कल कब देते, कल शाम को ५ बजे तो बजट पेश हुआ।

श्री अध्यक्ष—

समय पर नहीं मिला इसलिये अस्वीकृत किया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, तीन प्रकार के कटौती के प्रस्ताव होते हैं। एक तो एक रुपये की जिसे नीति अनुमोदन कटौती कहते हैं दूसरी १०० रुपये की, जिसे प्रतीक कटौती कहते हैं और एक मितव्ययिता कटौती, कटौती के प्रस्ताव के लिये माननीय सदस्यों को मौका मिलना चाहिए। आप यह कह सकते हैं कि कटौती का प्रस्ताव रखा मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह जो कार्य-मंत्रणा समिति ने कार्यक्रम रखा है उसी के अनुसार तीन बजे कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुयी थी, सभी दलों के सदस्य मौजूद थे। अगर आप को ध्यान होता कि कटौती का प्रस्ताव पेश करना है, ऐसा नहीं है कि कल पेश नहीं हो सकता था। आज नियमानुसार नहीं हुआ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय, कल बजट पेश हुआ। आखिर विरोधी दल के अधिकार की रक्षा कौन करेगा ? सरकार को बजट पेश करने का अधिकार है और हमें कटौती का प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—

नियमों के अनुसार जो भी आपके प्रश्न होंगे मैं अवश्य उनको मान्यता दूंगा। लेकिन जब आप ही लोगों ने, अगर कार्य-मंत्रणा समिति चाहती तो यह प्रश्न कल भी आ सकता था। कल इसे ले सकते थे। आज विधायी कार्य ले सकते थे। तो आपने स्वयं सहमति दे दी तो उसके लिये आप मुझ पर क्यों बोझ डालना चाहते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सहमति तो केवल इस बात की थी कि कल अगर बजट पेश हुआ तो, विरोधी दल इनकी सही बातों को मान लेता है।

श्री अध्यक्ष—

अगर कल आ जाता तो इस कार्यक्रम के अंदर कटौती का प्रस्ताव छप सकता था।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी को आपत्ति नहीं है फिर आपको क्यों आपत्ति है ? वित्त मंत्री जी को आपत्ति नहीं है तो श्रीमन्, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

जब मैंने कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश पढ़ी और आपने देखा कि एजेंडे में कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं है तो मेरा ध्यान आकर्षित कर सकते थे। लेकिन आप जानते थे क्योंकि आप नियमों के ज्ञाता हैं, यह नियमानुसार नहीं है, वरना आप माफ करने वाले नहीं थे और रियासत साहब तो बराबर ही तैयार रहते हैं।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

मैं आपसे एक स्पष्टीकरण इस बात का चाहूंगा कि जैसा आपने फरमाया कि कल क्यों प्रस्तुत नहीं हुआ तो कल अनुदान संख्या, एमाउन्ट वगैरह मालूम नहीं था। आज का एजेंडा देर में मिला न मालूम क्यों १० बजे एजेंडा मिला तो आज ही एजेंडे से मालूम हुआ कि कौन से अनुदान में कितना रुपया मांगा है। तो अगर कल मालूम ही न हो तो कल कटौती का प्रस्ताव कैसे आ जाता ?

श्री अध्यक्ष—

कल बजट का साहित्य वितरित कर दिया गया था और उसमें आप देखें। यह जो अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर स्मृति-पत्र है उसके पेज 'क' पर दिया हुआ है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मैं नियम १९१ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। "कटौती के प्रस्ताव की सूचना उस अनुदान पर विचार करने के नियत दिन से कम से कम दो दिन पूर्व दी जायेगी, जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें।" तो दे सकते थे। जबकि बजट आज पेश हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

कार्य-मंत्रणा समिति में किसी माननीय सदस्य ने नहीं कहा कि मुझको कटौती का प्रस्ताव देने में कठिनाई होगी, इसलिए बजट पर बहस को ३० या ३१ को रखें। इसमें तब यह कहते कि कटौती का प्रस्ताव रखने के लिए १९१ नियम को आप शिथिल कर दें। तो एक दिन के लिए यदि मान लें तो कल इस पर बहस हो जानी चाहिए लेकिन आज यह प्रकाशित भी नहीं हुआ। इसलिए १९१ नियम के अनुसार अब इस समय इजाजत देना मैं उचित नहीं समझता।

१९७८-७९ के अनुपूरक अनुदान के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान
संख्या १--राज्य विधान मंडल (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १--राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय तब तक के लिए बढ़ा दिया जाये जब तक आज का कार्य समाप्त न हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सदन का समय उतने समय तक के लिए बढ़ा दिया जाए जब तक आज का कार्य समाप्त न हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९७८-७९ के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या
३--मन्त्रि-परिषद्

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३--मन्त्रि-परिषद के अन्तर्गत ६,२८,८०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३--मन्त्रि-परिषद के अन्तर्गत ६,२८,८०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४—न्याय प्रशासन

न्याय मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

माननीय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत ९,६०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४—न्याय-प्रशासन के अन्तर्गत ९,६०,००० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १०—राज्य आबकारी

श्रम मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

माननीय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०—राज्य आबकारी के अन्तर्गत २,७९,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—राज्य आबकारी के अन्तर्गत २,७९,००० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ११—बिक्री-कर

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

माननीय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—बिक्री-कर के अन्तर्गत २०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११—बिक्री-कर के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १८—सचिवालय

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

माननीय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८—सचिवालय के अन्तर्गत २६,४०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

१९७८-७९ के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान- अनुदान संख्या ८७१
२४-सार्वजनिक निर्माण-कार्य

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८--सचिवालय के अन्तर्गत २६,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २१--पुलिस

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१--पुलिस के अन्तर्गत १४,२७,७०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१--पुलिस के अन्तर्गत १४,२७,७०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २२--कारागार

न्याय मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२--कारागार के अन्तर्गत २१,०८,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२--कारागार के अन्तर्गत २१,०८,६०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २४--सार्वजनिक निर्माण कार्य

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४--सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत ३५,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४--सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत ३५,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २८—शिक्षा

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राजबली तिवारी)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८—शिक्षा के अन्तर्गत १५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८—शिक्षा के अन्तर्गत १५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २९—कला एवं संस्कृति

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९—कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत ४,७७,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—कला एव संस्कृति के अन्तर्गत ४,७७,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३१—चिकित्सा

चिकित्सा मंत्री (श्री कल्याण सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१—चिकित्सा के अन्तर्गत ७५,८९,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१—चिकित्सा के अन्तर्गत ७५,८९,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३२—परिवार कल्याण

चिकित्सा मंत्री (श्री कल्याण सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२—परिवार कल्याण के अन्तर्गत १२,२५,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

१९७८-७९ के अनुपूरक अनुदानों के लिय मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ८७३
३२--परिवार कल्याण

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२--परिवार कल्याण के अन्तर्गत १२,२५,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक स्वास्थ्य

चिकित्सा मंत्री (श्री कल्याण सिंह)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत १,३८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत १,३८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३४--मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४--मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत २,८५,३१,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४--मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत २,८५,३१,७०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३६--नगर विकास

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६--नगर विकास के अन्तर्गत १०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६--नगर विकास के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३८—श्रम एवं सेवायोजन

श्रम मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

माननीय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८—श्रम एवं सेवायोजन के अन्तर्गत १४,७१,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८—श्रम एवं सेवायोजन के अन्तर्गत १४,७१,२०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३९—हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

माननीय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९—हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण के अन्तर्गत १,३३,३०,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण के अन्तर्गत १,३३,३०,८०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४०—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाएं

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

माननीय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाएं के अन्तर्गत ६,५०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनायें के अन्तर्गत ६,५०,००० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४३—सहकारिता

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

माननीय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३—सहकारिता के अन्तर्गत २८,१९,८०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

अनुदान संख्या ४३--सहकारिता

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३--सहकारिता के अन्तर्गत २८,१९,८०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४४--विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र

(वन मन्त्री) श्री श्रीचन्द्र--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४--विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत ४,७८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४--विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत ४,७८,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४६--कृषि

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६--कृषि के अन्तर्गत २,३१,९८,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६--कृषि के अन्तर्गत २,३१,९८,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४८--गन्ना विकास

गन्ना विकास मन्त्री (श्री शिव मंगल सिंह)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८--गन्ना विकास के अन्तर्गत १८,७३,००० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८--गन्ना विकास के अन्तर्गत १८,७३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४९--सामुदायिक विकास

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९--सामुदायिक विकास के अन्तर्गत १५,६१,००० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९--सामुदायिक विकास के अन्तर्गत १५,६१,००० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५०--भूमि तथा जल संरक्षण

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०--भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत १०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०--भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत १०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५३--पशुपालन

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५३--पशुपालन के अन्तर्गत ४४,५७,६०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५३--पशुपालन के अन्तर्गत ४४,५७,६०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५४--दुग्ध शाला (डेरी) विकास

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५४--दुग्धशाला (डेरी) विकास के अन्तर्गत २४,५१,२०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४-- दुग्धशाला (डेरी) विकास के अन्तर्गत २४,५१,२०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५५--मत्स्य उद्योग

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५५--मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत २०,७४,८०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५--मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत २०,७४,८०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या ५६--वन

वन मन्त्री (श्री श्रीधर)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५६--वन के अन्तर्गत १,५७,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५६--वन के अन्तर्गत १,५७,८०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या ५८--ग्राम एवं लघु उद्योग

उद्योग राज्य मन्त्री (श्री सूबेदार प्रसाद)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ग्राम एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत १,८५,२७,४०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५८--ग्राम एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत १,८५,२७,४०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ६३--सिविल विमानन

पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री शोबन सिंह जीना)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६३--सिविल विमानन के अन्तर्गत १०,५०,००० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६३--सिविल विमानन के अन्तर्गत १०,५०,००० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या ६४--संचार साधन

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) श्री मोहम्मद मसूद खां--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६४--संचार साधन के अन्तर्गत ३०,७५,३०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६४--संचार साधन के अन्तर्गत ३०,७५,३०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ६६--सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६६--सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तर्गत १०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६६--सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तगत १०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ६७--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान

स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६७--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान के अन्तर्गत ४५,१६,४०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

संख्या ६७-सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६७—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान के अन्तर्गत ४५,१६,४०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ६९—पर्यटन

पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री शोबन सिंह जीना)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६९—पर्यटन के अन्तर्गत ४,८६,८०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६९—पर्यटन के अतर्गत ४,८६,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ७१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत ३,८४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाए ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत ३,८४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ७२—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७२—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत ६८,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७२—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत ६८,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ७३—चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)—

माननीय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७३—चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत ११,९६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७३—चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत ११,९६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ७४—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

माननीय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७४—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत ४०,४६,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७४—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत ४०,४६,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ७६—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

माननीय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७६—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत ९५,६६,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७६—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत ९५,६६,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ७७--विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री शोबन सिंह जीना)—

माध्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७७—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत २६,२७,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७७—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत २६,२७,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ८०—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८०—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत ६६,८७,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८०—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत ६६,८७,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ८१—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

माध्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८१—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत ६०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८१—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत ६०,००,००० रुपय की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ८७—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

माध्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८७—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत

[सार्वजनिक निर्माण मंत्री, (मोहम्मद मसूद खां)]—

२,१५,३८,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८७—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत २,१५, ३८,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ९४—ऋण और अग्रिम उद्योग

उद्योग मन्त्री (श्री सूबेदार प्रसाद)—

माननीय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९४—ऋण और अग्रिम-उद्योग के अन्तर्गत ८,७०,९६,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९४—ऋण और अग्रिम-उद्योग के अन्तर्गत ८,७०,९६,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ९५—ऋण और अग्रिम-सहकारिता

श्री मुलायम सिंह यादव (सहकारिता मंत्री)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९५—ऋण और अग्रिम—सहकारिता के अन्तर्गत ७८,२६,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९५—ऋण और अग्रिम-सहकारिता के अन्तर्गत ७८,२६,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ९६—ऋण और अग्रिम-कृषि

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

माननीय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९६—ऋण और अग्रिम-कृषि के अन्तर्गत २,४०,९९,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९६--ऋण और अग्रिम--कृषि के अन्तर्गत २,४०,९९,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ९७--ऋण और अग्रिम-विद्युत्

संस्थागत वित्तमंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९७--ऋण और अग्रिम--विद्युत् के अन्तर्गत ५,०१,८०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९७--ऋण और अग्रिम-विद्युत् के अन्तर्गत ५,०१,८०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का अनुपूरक) विधेयक, १९७८

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का अनुपूरक) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का अनुपूरक) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने के लिए सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर दिघे--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का अनुपूरक) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(विधेयक की प्रतियां सदन में वितरित की गयीं)

श्री मधुकर दिघे--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का अनुपूरक) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाये ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर) तिवारी जी इतना लम्बा भाषण करने के बाद फिर भी आवश्यकता है ?

श्री मधुकर दिघे—

अगर कुछ बाकी बचा हो तो बाद में बता दें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

आपकी नजर ऐसी नहीं रहनी चाहिये कि विरोधी दल कम बोलें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा कि अनावश्यक कष्ट न हो ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अगर आप अनावश्यक समझ रहे हों तो मैं बैठ जाऊं ।

श्री अध्यक्ष—

आवश्यक हो तो बोलिए ।

श्री मधुकर दिघे—

आज लोग रोजा हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय मंत्री जी के रहते हुए आज करोड़ों लोग रोजा रख रहे हैं । यह विधेयक का तृतीय वाचन चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो दूसरा वाचन है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अगर दूसरा वाचन है तो बहुत अच्छा है तीसरे में भी बोलने का मौका मिलेगा । यह जो ३४ करोड़ रुपया खर्च करने का अधिकार मंत्री जी ले रहे हैं, मेरी आलोचना का जो आशय था उसको माननीय मंत्री जी ठीक प्रकार से समझ नहीं पाये । मेरा आशय आपने सुना होगा, आप पूरे समय बैठे हुए थे । जो अनुपूरक अनुदानों में मदें दी गयी हैं मैंने उनके सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी दी थी बिजली बोर्ड की बात है, उसके लिए ५ करोड़ एक लाख और १२ हजार विधेयक के जरिये लिए जा रहे हैं । उन्होंने बतलाया कि यह रुपया डिस्ट्रीब्यूशन और जेनरेशन के लिए लिया जा रहा है तो उन्हें जानना चाहिए कि किस काम के लिए विद्युत बोर्ड यह रुपया ले रहा है, कितना जेनरेशन के लिए ले रहा है और कितना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिया जा रहा है । उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि जब आप विद्युत मंत्री थे तो भी इसी तरह से अनुदान पेश हुआ करते थे, यह कोई उत्तर नहीं था । आपने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया तो आज भी विरोधी दल अपने कर्त्तव्य का पालन न करे । हम अधिकारी हैं कि यह जानें कि इस रुपये का ब्रेकअप क्या है कितना जेनरेशन में ले रहे हैं और कितना डिस्ट्रीब्यूशन में ले रहे हैं । इसकी जानकारी होनी चाहिए । निगमों का सवाल यह मैं फिर दोहराता हूं । निगम बने, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैंने नलकूप निगमों के बारे में कहा था जिस पर २ करोड़ रुपया दिया जा रहा है । उसके बारे में माननीय वित्त मंत्री जी को पता नहीं है । यदि इतना रुपया निगम को दिया गया तो उसका क्या उपयोग हुआ ? मैं इस सम्बन्ध में जानकारी चाहता हूं । माननीय वित्त मंत्री जी को याद होगा कि गोरखपुर में मंत्रिमंडल की बैठक हुई

थी जिसमें माननीय वित्त मंत्री जी भी आये थे और मैंने उनको आभार व्यक्त किया था । उनके कुछ सुझाव आये ट्यूबवेल योजनाओं के बारे में । मैं जानना चाहूंगा कि नलकूप निगम २ करोड़ रुपये का उपयोग कैसे करेगा । माननीय वित्त मंत्री जी जो बात कह रहे हैं वह टाल रहे हैं वह आज का उत्तर नहीं है । इसी तरह मानीटरिंग कमेटी के बारे में क्या हुआ । पब्लिक इन्टरप्राईजेज के जरिये से मानीटरिंग करा रहे हैं लेकिन खबरों में एक भी नहीं आती है । एक उद्घाटन होता है तो उसकी खबर आ जाती है, एक नलकूप का उद्घाटन करते हैं, उसकी खबर आ जाती है परन्तु मानीटरिंग इन्टरप्राईजेज के बारे में इन्फारमेशन डिपार्टमेन्ट द्वारा कोई भी बात जनता के सामने नही लाता । जनता को कैसे मालुम हो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें इतना रुपया लग रहा है, इससे क्या प्रगति हुई है, इससे क्या क्षति हुई । आप इसका जवाब दिलवा दें । हो सकता है किसी समय कमेटी की मीटिंग बुलाई गई हो लेकिन मैंने खबरों में देखा नहीं हो सकता है कभी कैबिनेट में विचार विमर्श हुआ हो परन्तु उस मानीटरिंग कमेटी की कोई भी खबर जो आनी चाहिए थी, जिससे लोगों को जानकारी हो, इन्फार-मेशन डिपार्टमेन्ट की ओर से या सरकार की ओर से कोई भी खबर प्रकाशित नहीं हुई । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कन्धार घाट योजना की मानीटरिंग का क्या हुआ । कन्धार घाट में जितना पानी रहता है अब उसमें ८८० फीट पानी रहता है । ८८० फीट पानी तो कम होता रहता है । कन्धार घाट के पानी की प्रगति का क्या हुआ । आप कृपा कर इनसे कह दीजिये यह बतायें । इनकी तारीफ हो जायगी । माननीय मुख्य मंत्री जी की बड़ी तारीफ होगी । पिछले १५-१६ महीनों में कौन मानीटरिंग हुई । पता तो लगे कि कैसी मानीटरिंग कर रहे हैं ।

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश)--

जनता शासन का एक वर्ष पढ़ लीजिए मालूम हो जायेगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

वह न पढ़वाइये और न कहवाइये । इसमें आपने जो किया होगा वह जनता के सामने आ जायेगा । अब इसी तरह से चीनी मिलों के उपयोग की बात कही गयी है । मैंने उस समय भी समझा और कहा था कि चीनी मिलों का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । अगर उनकी मरम्मत नहीं होती है तो रिकवरी कम होगी । तो अगर उनकी ठीक से मरम्मत होगी और योजनाबद्ध तरीके से पुनर्निर्माण किया जायगा तो प्रदेश का जो नुकसान हो रहा है, वह नहीं होगा । और जो आप २ करोड़ का ऋण कार्पोरेशन को दे रहे हैं, उसकी नौबत नहीं आयेगी । इसमें भी मंत्री जी बुरा मान गये । कोई सुझाव इनको दिया जाय तो वह भी इन्हें बुरा लगता है । और आज की जो बात है उस पर चर्चा बन्द कर दी जाती है । तो मान्यवर, मेरा आग्रह है कि चीनी मिलों के बारे में हमारे वित्त मंत्री जी गन्ना विकास मंत्री से बात तो कर लें और पता लगा लें कि वहां पर कठिनाई है ।

जहां तक बाढ़ का सम्बन्ध है हमारी आलोचना का केवल तथ्य यह था कि हम सब जानते हैं कि छठां फाइनेन्स कमीशन ने २ करोड़ १८ लाख की सीलिंग लगायी थी लेकिन उसके अतिरिक्त भी सूखा और बाढ़ में रुपया खर्च किया गया । उस सीमा को न हमने माना और न आज उसको आप भी मानते हैं । आज हमारे राजस्व मंत्री जी खड़े नहीं हुए । उन्होंने एक पैसा भी नहीं मांगा हालांकि चारे से लेकर बाढ़ की योजनाओं तक प्रत्येक रुपया राजस्व मंत्री मांगते हैं ।

सिचाई मंत्री बाढ़ नियंत्रण से सम्बन्धित रुपया मांगते हैं । बाढ़ के जमाने में भी यहां पर इतनी बहस हुयी लेकिन बाढ़ के सम्बन्ध में इन अनुपूरक अनुदानों में एक रुपया भी नहीं मांगा । एक सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी ने बाढ़ के सम्बन्ध में यह तो दी कि २५ करोड़ रुपया मिलने वाला है । लेकिन यह भी बहुत कम है । आपने १५२ करोड़ रुपया मांगा और मिला आपको २५ करोड़ तो मैं उनको क्या बधाई दूं ।

मुख्य मंत्री(श्री राम नरेश यादव)--

मैंने स्वयं कहा था कि इससे मुझे भी संतोष नहीं है । अधिक रुपये के लिए हम प्रयास कर रहे हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

हम भी इससे संतुष्ट नहीं हैं और सदन का यह एक मत है कि केन्द्र को इसमें पूरी सहायता देनी चाहिए । लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर इस २५ करोड़ रुपये को भी इस पूरक बजट में जोड़ लेते तो आप जो आकस्मिक निधि से रुपया निकालेंगे, उसके लिए फिर से आपको सदन बुलाने की आवश्यकता न होती । आपने बाढ़ का रुपया देर से मांगा है, वह सहायता देर में ही पहुंचेगी । खर्चा भी देर से होगा, धन की जरूरत आज है खर्च करने के लिए लेकिन रुपया बाद में मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष--

मधुकर जी और आप बड़े पुराने मित्र हैं । आप उनको परामर्श दे सकते हैं । अब आप इस पर अपनी बात को समाप्त कर दीजिए ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मित्रता बड़ी प्रिय है, मधुर है । उसकी स्मृति को संजोये रखना चाहता हूं लेकिन १० करोड़ जनता से वे प्रावद्ध हैं, इसलिए मैं कुछ कहने की धृष्टता कर रहा हूं ।

इसको दलादली से ऊपर उठकर यह देखना चाहिये कि जो सुझाव दिये गये हैं, वे कितने रचनात्मक हैं, अगर उनको एक गुस्से की नजर से देखेंगे, सरकार गुस्सा करेगी तो वह गुस्से से ही जायेगी । सुझावों को न समझ कर केवल गुस्से में हर समय अगर जवाब दिया जायेगा तो वह सरकार गुस्से से ही जाने वाली है । तो मान्यवर, शांति, सहिष्णुता, गम्भीरता ही प्रजातंत्र का मुख्य आधार है । मान्यवर, आप मंत्रि-परिषद् के सदस्यों को और आपसे भी निवेदन है कि आप कृपा कर धैर्य से, गम्भीरता से, सहिष्णुता से तथ्यों के आधार पर अगर बहस होती है तो उनका उत्तर अगर गुस्से से दिया जायगा तो यह जनतंत्र प्रणाली चलने वाली नहीं है, भले ही कोई और चले । गुस्से से परे होकर अगर हमारे सुझावों पर मंत्री जो गौर करेंगे तो देखेंगे कि वे ठीक हैं ।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने उन्हीं बातों को दुहराया है जिन्हें वे पहले कह चुके हैं । बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए तिवारी जी, आपको जो इच्छायें

हैं, उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने जो प्रयत्न किये हैं और कर रहें हैं इन्हें आप अपने द्वारा किये गये प्रयत्नों से मुकाबला करके देख लें । आपके कामों के मुकाबले में हमारे जितने भी काम होंगे, सब अच्छे होंगे ।

(व्यवधान)

दूसरी बात यह कि ५ करोड़ रुपया जो विद्युत् परिषद् को दिया उसकी विस्तार से चर्चा करनी इस समय इसमें सम्भव नहीं है, समय की कमी की वजह से । आपने सुझाव दिया है, तो मैं प्रयत्न करूंगा कि उसकी भी चर्चा विस्तार से आ जाया करे ।

(व्यवधान)

अब मैं निवेदन करूंगा कि मैंने जो प्रश्न रखा है, उसे यह सदन स्वीकार करे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मानीटरिंग कमेटी की रिपोर्ट क्या सबमिट करेंगे ?

श्री रामनरेश यादव—

अभी उस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट तैयार नहीं है । तिवारी जी चाहेंगे तो उसे बता दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का अनुपूरक) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २, ३, अनुसूची, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का अनुपूरक) विधेयक, १९७८

३१ मार्च, १९७९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का अनुपूरक) अधिनियम, १९७८ कहलायेगा ।	संक्षिप्त शीर्षनाम ।
२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९७९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ मे दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग ३४,८३,०२,८०० रु० (केवल चौतींस करोड़, तिरासी लाख, दो हजार, आठ सौ रुपये) होता है, अधिक न हो ।	उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९७८-७९ के लिए ३४,८३,०२,८०० रुपयों का दिया जाना ।

विनियोग। ३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९७९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जावेगा जो अनुसूची में दिए हुए हैं।

अनुसूची

(धाराएँ २ और ३ देखिये)

अनुदान/क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक: विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२		३	
		रु०	रु०	रु०
१	राज्य विधान मण्डल	१००	..	१००
३	मंत्रि परिषद्	६,२८,८००	..	६,२८,८००
४	न्याय प्रशासन	८,६०,०००	२०,०००	९,८०,०००
१०	राज्य आबकारी	२,७९,०००	..	२,७९,०००
११	विक्रीकर	२००	२,८०,०००	२,८०,२००
*१७	लोक सेवा आयोग	..	७५,०००	७५,०००
१८	सचिवालय	२६,४००	..	२६,४००
२१	पुलिस	१४,२७,७००	१०,०००	१४,३७,७००
२२	कारागार	२१,०८,६००	..	२१,०८,६००
२४	सार्वजनिक निर्माण—कार्य	३५,३००	..	३५,३००
२८	शिक्षा	१,५००	२२,८००	२४,३००
२९	कला एवं संस्कृति	४,७७,२००	..	४,७७,२००
३१	चिकित्सा	७५,८९,३००	१४,९००	७६,०४,२००
३२	परिवार कल्याण	१२,२५,९००	..	१२,२५,९००
३३	सार्वजनिक स्वास्थ्य	१,३८,०००	..	१,३८,०००
३४	मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति	२,८५,३१,७००	..	२,८५,३१,७००

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

अनुसूची—(प्रसमाप्त)

अनुदान/क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक: विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३		
		रु०	रु०	रु०
३५	आवास भवन	..	८,१२,०००	८,१२,०००
३६	नगर विकास	१००	..	१००
३८	श्रम एवं सेवायोजन	१४,७१,२००	..	१४,७१,२००
३९	हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण	१,३३,३०,८००	..	१,३३,३०,८००
४०	अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनायें	६,५०,०००	..	६,५०,०००
४३	सहकारिता	२८,१९,८००	..	२८,१९,८००
४४	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र	४,७८,०००	४,८००	४,८२,८००
४६	कृषि	२,३१,९८,८००	२९,६००	२,३२,२८,४००
४७	औद्योगिक विकास	..	९००	९००
४८	गन्ना विकास	१८,७३,०००	११,२००	१८,८४,२००
४९	सामुदायिक विकास	१५,६१,०००	२,१००	१५,६३,१००
५०	भूमि तथा जल संरक्षण	१००	..	१००
५३	पशुपालन	४४,५७,६००	..	४४,५७,६००
५४	दुग्धशाला (डेरी) विकास	२४,५१,२००	..	२४,५१,२००
५५	मत्स्य उद्योग	२०,७४,८००	..	२०,७४,८००
५६	वन	१,५७,८००	८९,६००	२,४७,४००
५८	ग्राम एवं लघु उद्योग	१,८५,२७,४००	..	१,८५,२७,४००
६३	सिविल विमानन	१०,५०,०००	..	१०,५०,०००
६४	संचार साधन	३०,७५,३००	..	३०,७५,३००
६६	सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान	१००	..	१००
६७	सार्वजनिक निर्माण–कार्यों के लिये सहायक अनुदान	४५,१६,४००	..	४५,१६,४००

अनुसूची—(समाप्त)

अनुदान/क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३		
		रु०	रु०	रु०
६९	पर्यटन	४,८६,८००	..	४,८६,८००
७१	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	३,८४,०००	..	३,८४,०००
७२	कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय	६८,७००	..	६८,७००
७३	चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	११,९६,०००	..	११,९६,०००
७४	आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय	४०,४६,७००	..	४०,४६,७००
७६	सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	१५,६६,१००	..	१५,६६,१००
७७	विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	२६,२७,९००	..	२६,२७,९००
८०	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	६६,८७,९००	१,८००	६६,८९,७००
८१	सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	६०,००,०००	..	६०,००,०००
८७	संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय	२,१५,३८,३००	..	२,१५,३८,३००
९४	ऋण और अग्रिम—उद्योग	८,७०,९६,३००	..	८,७०,९६,३००
९५	ऋण और अग्रिम—सहकारिता	७८,२६,४००	..	७८,२६,४००
९६	ऋण और अग्रिम—कृषि	२,४०,९९,९००	..	२,४०,९९,९००
९७	ऋण और अग्रिम—विद्युत	५,०१,८०,०००	..	५,०१,८०,०००
	योग ..	३४,६९,२८,१००	१३,७४,७००	३४,८३,०२,८००

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३, अनुसूची, खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर दिघे--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का अनुपूरक) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

दो मिनट का समय श्रीमन् दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर अब नहीं । अच्छा, दो मिनट ले लें ।

श्री रियासत हुसैन--

मैं श्रीमन्, इसका विरोध इसलिये कर रहा हूं कि इसमें कुछ खर्च ऐसे शामिल किये गये हैं जो नहीं होने चाहिये थे । चीनी मिलों पर ५२ करोड़ की रकम बकाया है, २ करोड़ रुपया और दिया जा रहा है । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं । डेरी फेडरेशन को आपने रुपया दिया है, मगर यह जो मिल्क पाऊडर वहां बनता है (शीशी दिखाते हुये) यह मैं श्रीमन् आपके पास भेजूंगा, इसको आप टेस्ट कराके देखें । श्रीमन् १५००, १८०० की दो मेजें उसी बलपतिपुर की डेरी से मंगाई गई हैं । श्रीमन् एक टाटा कारपोरेशन बना है जिसमें १८ हजार रुपये का केवल एक कालीन आया है जो जवाहर भवन के अन्दर सेक्रेटरी साहब के कमरे में है और कई-कई हजार की कुर्सियां हैं, एक दिन सेक्रेटरी साहब वहां पर जाकर बैठेंगे । अगर यह रुपया बाढ़ वगैरह के लिए मांगा जाता तो मुझे कोई एतराज नहीं होता । इसलिए मैं इसके ऊपर विरोध करता हूं ।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, माननीय रियासत साहब ने जो प्रश्न उठाये, इसमें मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम तो यह कहते हैं कि गन्ने की पेराई हो और गन्ने की पेराई करने के लिए जो रिसिवरशिप को मिलें हैं और अपनी कारपोरेशन की मिलें हैं, उनको इतना रुपया दे दिया जाय ताकि मजदूर बेकार न हों और मरम्मत वगैरह हो जाय । तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर मैंने प्राविधान किया, है, बावजूद इसके कि हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने हद कर दी है । लेकिन किसानों का हित और मजदूरों का हित ध्यान में रखकर मैं यह खर्च कर रहा हूं । यह बात मैं मानता हूं माननीय रियासत हुसैन को कि हमको ज्यादा से ज्यादा इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो मिलें हमारी (रिसीवरशिप) और कारपोरेशन द्वारा चलाई जाती हैं, जो आज की स्थिति है, इस स्थिति को प्राफिटिंग की स्थिति में बदल सकें तथा वह प्रयत्न शासन द्वारा किया जा रहा है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो उनके विभाग के अन्दर गलतफहमी है, उसको भी दूर कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९) का अनुपूरक विधेयक, १९७८ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष १९७२-७३ की बढ़ती व्यय के अनुदानों की मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी

(श्री देव बहादुर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर आप जानते हैं परम्परा, इस पर कोई बहस नहीं हुआ करती। वैसे में नियम १९७-१९८ के अनुसार इसको पास कराने की दृष्टि से विवाद कराने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

कार्यक्रम में मान्यवर....

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। इस पर समय नहीं है। आप बैठिये।

श्रम मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी के अन्तर्गत १,१७,३६६ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी के अन्तर्गत १,१७,३६६ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४--बिक्री-कर

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४--बिक्री-कर के अन्तर्गत १,३२,८४७ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४--बिक्री-कर के अन्तर्गत १,३२,८४७ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ६—स्टाम्प

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६—स्टाम्प के अन्तर्गत ८०,३२१ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—६ स्टाम्प के अन्तर्गत ८०३२१ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १५—पुलिस

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५—पुलिस के अन्तर्गत ७२,९१,४८५ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—पुलिस के अन्तर्गत ७२,९१,४८५ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत २,७९,७०,६५५ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०-सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत २,७९,७०,६५५ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत ५७,१५,८५३ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत ५७,१५,८५३ रुपय की मांग वित्तीय वर्ष १९७२—७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवायोजन

श्रम मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत २,५०,८७३ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९७२—७३ से सम्बंद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिय स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत २,५०,८७३ रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९७२—७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत १,३०,९८२ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९७२—७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत १,३०,९८२ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९७२—७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी जातियों

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिस से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के अन्तर्गत २९,०४,२०९ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९७२—७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के अन्तर्गत २९,०४,२०९ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९७२—७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३०--समाज कल्याण

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०--समाज कल्याण के अन्तर्गत २१,६६३ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०--समाज कल्याण के अन्तर्गत २१,६६३ रुपये की ये मांग वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३१--राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

सिंचाई मंत्री (श्री बलवीर सिंह)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१--राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत ८,११,८६,७८१ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१--राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत ८,११,८६,७८१ रुपए की मांग, वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण कार्य, जो राजस्व से किये जाते हैं

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण कार्य, जो राजस्व से किए जाते हैं, के अन्तर्गत १,६०,५३,५६९ रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण कार्य, जो राजस्व से किए जाते हैं, के अन्तर्गत १,६०,५३,५६९ रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३४--संचार साधनों का सुधार

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४--संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत ६,२२,७७५ रुपए की मांग, वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत ६,२२,७७५ रुपए की मांग, वित्तीय वर्ष १९७२–७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदान के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३७—परिवहन

परिवहन मंत्री (श्री आबिद अली)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७—परिवहन के अन्तर्गत ९,५४,७०५ रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९७२–७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७—परिवहन के अन्तर्गत ९,५४,७०५ रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९७२–७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ३,१८,७९,४४२ रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९७२–७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ३,१८,७९,४४२ रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९७२–७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत ४६,३१,९२१ रुपए की मांग वित्तीय वर्ष १९७२–७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत ४६,३१,९२१ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९७२–७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४०—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते के अन्तर्गत ५१,१८२ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते के अन्तर्गत ५१,१८२ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१—लेखन-सामग्री और मुद्रण

उद्योग मंत्री (श्री सूबेदार प्रसाद)—

मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत ६,७८,८४१ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१—लेखन-सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत ६,७८,८४१ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४७—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

सिंचाई मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी गत परिव्यय के अन्तर्गत ७,४०,७१,४७८ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी गत परिव्यय के अन्तर्गत ७,४०,७१,४७८ रुपए की मांग, वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४८-सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

सिंचाई मंत्री (श्री बलबीर सिंह)--

मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी गत परिव्यय के अन्तर्गत २७,१०,४९,९८८ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी गत परिव्यय के अन्तर्गत २७,१०,४९,९८८ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४९--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी गत परिव्यय के अन्तर्गत २५,०७,६६,८६८ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी गत परिव्यय के अन्तर्गत २५,०७,६६,८६८ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५०--सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी गत परिव्यय

परिवहन मंत्री (श्री आबिद अली)--

मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५० --सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी गत परिव्यय के अन्तर्गत ४२,१०,८२१ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०--सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी गत परिव्यय के अन्तर्गत ४२,१०,८२१ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९७२-७३ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७२-७३ के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७८

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७२-७३ के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७२-७३ के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७२-७३ के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

बिल की प्रतियां बंटवा दी जायं ।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७२-७३ के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७२-७३ के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २, ३, अनुसूची खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७२-७३ के बढ़ती व्यय कर विनियमन) विधेयक, १९७८

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

३१ मार्च, १९७३ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती व्यय हुई धनराशियों की पूर्ति के लिये राज्य संचित (संहत) निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७२-७३ की बढ़ती व्यय का विनियमन) अधिनियम, १९७८ कहलायेगा ।

१९७२-७३ की बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश के संचित (संहत) निधि में से १,०९,४१,१४,२०९ रुपये का विनियोग

२—उत्तर प्रदेश की संचित (संहत) निधि में से अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग १,०९,४१,१४,२०९ रुपये (एक अरब नौ करोड़ इकतालिस लाख चौदह हजार दो सौ नौ रुपये) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा ।

विनियोग

३—इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश की संचित (संहत) निधि में से जिन धनराशियों के दिये और काम में लाये जाने का प्राधिकार दिया गया समझा गया है, उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा और किया गया समझा जायगा ।

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिए)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	स्वीकृत मांग	बढ़ती राज्य की संचित (संहत) निधि पर भारित	योग
१	२		३	
		रु०	रु०	रु०
३—राज्य आबकारी		१,१७,३६६	..	१,१७,३६६
४—बिक्री-कर		१,३२,८४७	..	१,३२,८४७
६—स्टाम्प		८०,३२१	..	८०,३२१

१	२	३		
		रु०	रु०	रु०
१५—पुलिस		७२,९१,४८५	..	७२,९१,४८५
२०—सार्वजनिक स्वास्थ्य		२,७९,७०,६५५	..	२,७९,७०,६५५
२६—नियोजन और समन्वय		५७,१५,८५३	..	५७,१५,८५३
२७—श्रम और सेवायोजन		२,५०,८७३	..	२,५०,८७३
२८—सूचना निदेशालय		१,३०,९८२	..	१,३०,९८२
२९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां		२९,०४,२०९	..	२९,०४,२०९
३०—समाज कल्याण		३१,६६३	८२०	३२,४८३
३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण–कार्य		८,११,८६,७८१	..	८,११,८६,७८१
३३—सार्वजनिक निर्माण–कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं		१,६०,५३,५६९	७५,८०८	१,६१,२९,३७७
३४—संचार साधनों का सुधार		६,२२,७७५	..	६,२२,७७५
३७—परिवहन		६,५४,७०५	..	६,५४,७०५
३८—दुर्भिक्ष सहायता		३,१८,७९,४४२	..	३,१८,७९,४४२
३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें		४६,३१,९२१	..	४६,३१,९२१
४०—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते		५१,१८२	..	५१,१८२
४१—लेखन सामग्री और मुद्रण		६,७८,८४१	..	६,७८,८४१
ऋण कम करना अथवा उसका परिहार		..	३१,३२,२३,०१४	३१,३२,२३,०१४
४७—बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय		७,४०,७१,४७८	..	७,४०,७१,४७८
४८—सिंचाई निर्माण–कार्यों पर पूंजी परिव्यय		२७,१०,४९,९८८	..	२७,१०,४९,९८८
४९—सार्वजनिक निर्माण–कार्यों पर पूंजी परिव्यय		२५,०७,६६,८६८	..	२५,०७,६६,८६८
५०—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय		४२,१०,८२१	..	४२,१०,८२१
५१—पेंशनों का राशि मूल्य		..	२९,९४२	२९,९४२
योग	..	७८,०७,८४,६२५	३१,३३,२९,५८४	१,०९,४१,१४,२०९

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, अनुसूची, खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर दिघे—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७२-७३ के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७२-७३ के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

जल (प्रदूषण निवारण नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ में संसद द्वारा संशोधन कराने हेतु संकल्प

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प सदन के समक्ष रखता हूं—

"चूंकि दिनांक ६ अगस्त, १९७४ को इस विधान सभा ने संविधान के अनुच्छेद २५२ के खण्ड (१) के अनुसरण में संसद द्वारा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ (१९७४ का अधिनियम संख्या ६) को अपनाने का संकल्प पारित किया गया था ;

और, चूंकि इस राज्य में उपर्युक्त अधिनियम के कार्यान्वयन में प्राप्त व्यावहारिक अनुभव से यह आवश्यक समझा गया कि संलग्न अनुसूची में दिये गये संशोधनों के अनुरूप अधिनियम में कुछ संशोधन किये जायं,

अतएव, अब, यह विधान सभा संविधान के अनुच्छेद २५२ के खण्ड (२) के साथ पठित खण्ड (१) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ में, संसद द्वारा यथा पूर्वोक्त संशोधन किया जा सकता है ।"

माननीय, पहले जो वाटर पल्यूशन का अधिनियम था, उसमें जो संशोधन किया जा रहा था,... पहले एडाप्ट कर लिया था, वह आइटम नं० १७ है संविधान में । इसको हमने एडाप्ट कर लिया है .....

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है । प्रस्ताव के दूसरे पैरा में लिखा है कि—

"चूंकि इस राज्य में उपर्युक्त अधिनियम के कार्यान्वयन में प्राप्त व्यावहारिक अनुभव से यह आवश्यक समझा गया कि संलग्न अनुसूची में दिये गये संशोधनों के अनुरूप अधिनियम में कुछ संशोधन किया जायं"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो मान्यवर, सूची कहां हैं ? एजेंडा में तो कोई सूची संलग्न नहीं है । हमें यह मालूम नहीं है कि उक्त अनुसूची में दिये गये संशोधन क्या हैं। अभी तक वह वितरित नहीं हुआ । तो जब अनुसूची नहीं है तो विचार कैसे होगा ? जो अनुसूची इसका भाग है, उसको टेबुल पर रखना चाहिये था । न यह कार्यवाही में छपा है । तो इस प्रस्ताव पर आज विचार नहीं हो सकता । अतः निवेदन है कि अनुसूची पेश होने पर बाद में इस पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

तिवारी जी ने जो बात उठायी है, यह जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ (१९७४ का अधिनियम संख्या ६) में संशोधनों की सूची, सभी माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गयी है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, अनुसूची मिली नहीं । प्रस्ताव के साथ संलग्न सूची एजेंडा में छपनी चाहिये थी । कृपा कर आप इसको पढ़ लें--सचिव महोदय कुछ दे रहे हैं । सूची तो संलग्न होनी चाहिये थी । अतः इसको दूसरे बिन ले लें, आज न लें । अनुसूची संलग्न है ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

यह ११ अगस्त, १९७८ को मेरे कार्यालय से अनुसचिव के हस्ताक्षर से सभी माननीय सदस्यों को संकल्प के साथ भेजी गयी थी । तो उसके साथ ११ अगस्त की सूची भी भेज दी गयी थी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

लेकिन उसको आज छपना चाहिये था । उसको एजेंडे के साथ होना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष--

अगर कोई विधेयक पहले वितरित कर दिया जाय तो क्या एजेंडे के साथ विधेयक आवश्यक है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रश्न है कौन सा विधेयक ? आना तो चाहिये ?

श्री अध्यक्ष--

कोई भी विधेयक है--अगर उसकी प्रतिलिपि भेज दी गयी है तो उसको कैसे करेंगे ? इस संकल्प की नोटिस दे दी गयी है । ११ अगस्त को माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने इस संकल्प की सूचना मेरे कार्यालय को दी और ११ अगस्त को मेरे कार्यालय ने सभी माननीय सदस्यों को दे दिया जिसमें सूची शामिल है । इसलिये अब इस संकल्प के साथ उसका होना आवश्यक तो नहीं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, कैसे समझायें ? .... इसका मतलब तो यह है कि इस संकल्प को भी नहीं छपना चाहिये था । अगर संकल्प चिट्ठी के साथ भेज दिया गया था तो सूची भी भेज दी जानी चाहिये । या तो यह कहते कि फलां पत्र के साथ भेजा गया, यह कहते, तब हम उसको ढूढ़ते ? वैसे स्वायत्त शासन मंत्री जी तैयार हैं दूसरे दिन के लिये ।

श्री अध्यक्ष--

लेकिन अगर स्थगित कर दें, तो उससे कोई लाभ होगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अनुसूची पढ़ने का मौका मिल जायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

तो अब इस पर कल विचार होगा ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनमें से मैंने श्री रामअधार की सूचना को स्वीकृत किया है वह उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् द्वारा बिजली की दरें चार पैसा प्रति यूनिट और तीन रुपये प्रति मास पावर बढ़ा दिये जाने से जनता पर तीस करोड़ का अधिभार के सम्बन्ध में है । माननीय विद्युत मंत्री इस पर वक्तव्य देंगे ।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

श्रीमन्, ७ तारीख को रख दें ।

श्री अध्यक्ष--

दूसरी सूचना श्री देव कुमार यादव की है । वह बांदा जिले की नरैनी तहसील के कई ग्रामों में हैजा फैलने से वहां की जनता में चिन्ता का वातावरण व्याप्त होने के सम्बन्ध में है । इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत किया है ।

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
२९ अगस्त, १९७८

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८३ पर)

सूची

सर्वश्री—

(१) ज्ञानेन्द्र बहादुर सक्सेना, आर० आई०

(२) एच० ई० जैकब, आर० आई०

(३) राम रक्षा राय, आर० आई०

(४) राज कुमार सिंह, आर० आई०

(५) यशपाल मलिक, आर० आई०

(६) लोकेन्द्र पाल सिंह, आर० आई०

(७) भानु दत्त चतुर्वेदी, आर० आई०

(८) धरमवीर सिंह, सी० आई०

(९) आर० पी० कपिल, आर० आई०

(१०) सज्जन लाल यादव, आर० आई०

(११) आई० डी० पी० शाही, सी० आई०

(१२) पी० सी० रायजादा, सी० आई०

(१३) चन्द्रभान सिंह, आर० आई०

(१४) सूरज पाल सिंह, आर० आई०

(१५) मो० कददुसुल हसन, सी० आई०

(१६) सैयद मो० कामिल, सी० आई०

(१७) बेनी राम गोविल, सी० आई०

(१८) सोरोन सिंह, आर० आई०

(१९) विजय पाल सिंह, आर० आई०

(२०) शिवराज सिंह वर्मा, सी० आई०

(२१) हरेन्द्र सिंह, सी० आई०

(२२) दीप चन्द हरबोला, आर० आई०

(२३) वीरेन्द्र प्रताप सिंह, आर० आई०

(२४) राज बहादुर सिंह, सी० आई०

(२५) राम नरायण दीक्षित, सी० आई०

(२६) मुसाफिर सिंह, आर० आई०

(२७) राम सिंह यादव, आर० आई०

(२८) सुल्तान सिंह रावत, सी० आई०

(२९) राम प्रसाद यादव, आर० आई०

(३०) विजय नारायण चौबे, आर० आई०

(३१) बैजनाथ राय, सी० आई०

(३२) वी० एस० पचौरी, सी० आई०

(३३) महातम सिंह, सी० आई०

(३४) जमीर हसन खां, सी० आई०

(३५) तोताराम गुप्ता, सी० आई०

(३६) महेन्द्र प्रसाद सिंह, सी० आई०

(३७) जय करण सिंह, सी० आई०

(३८) धर्मवीर सिंह थागा, सी० आई०

(३९) मोहन सिंह, सी० आई०

(४०) नारायण सिंह, सी० आई०

अमर उजाला

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९९ पर)

श्री हरि प्रसाद राय के कुर्क शुदा सामान की सूची

१—एक राशि बैल

२—एक राशि बैल

३—एक भैंस

४—एक पाड़ी

५—एक गाय

६—एक बाछा

७—एक चौकी

८—एक चारपाई

९—एक चारपाई

१०—चारा काटने की मशीन

११—बैलगाड़ी के दो चक्के मय उसका पूरा हिस्सा जो अलग-अलग था

१२—लालटेन एक अदद ।

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०—७३ वि० सभा—२०-१-७९—८३५ (पी० डी०)